खण्ड-103, अंक-4
गुरूवार, 19 आषाढ़, शक संवत् 1874
(10 जुलाई, 1952 ई0)

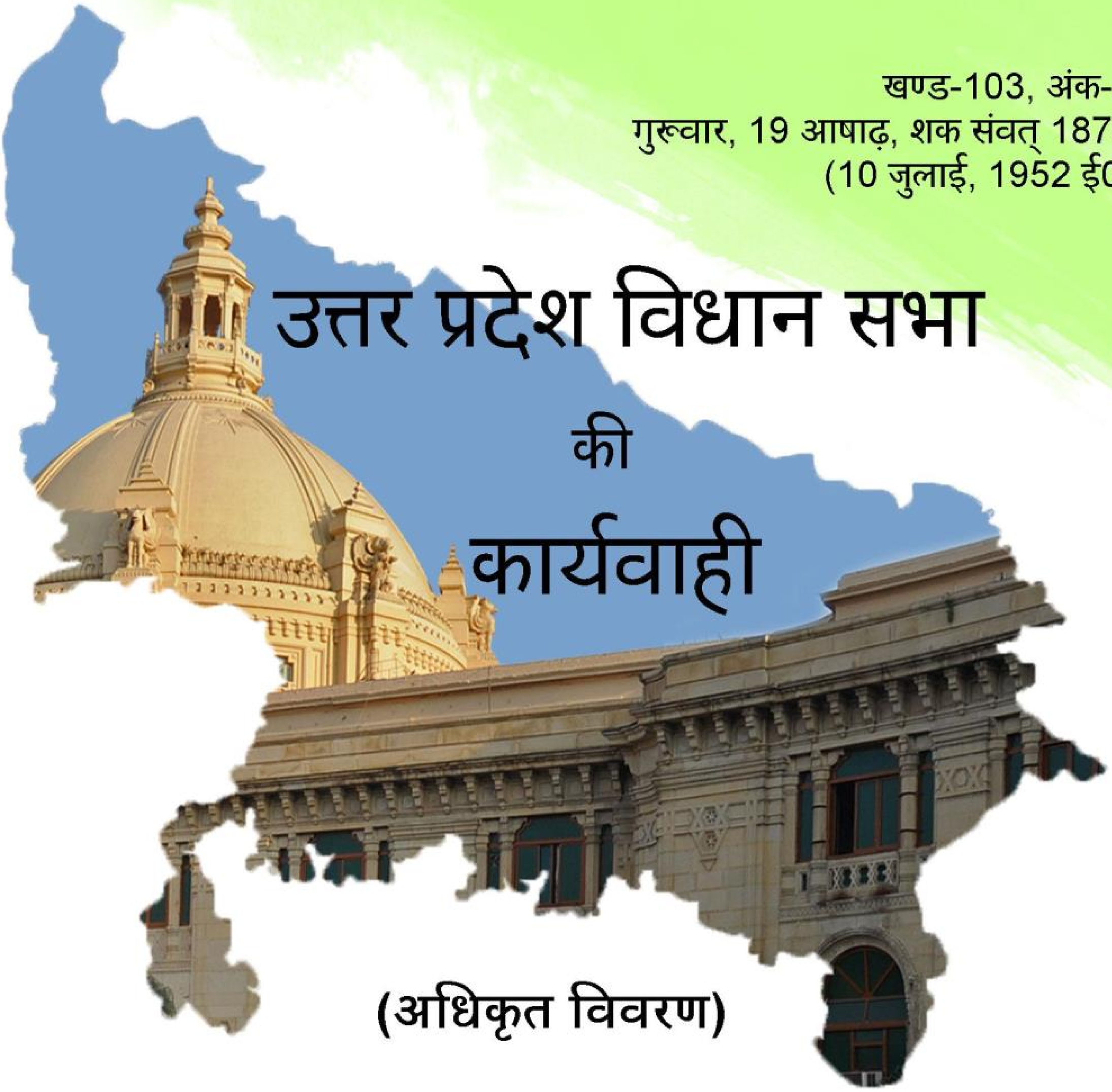

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 103 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १० जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७९)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्त सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल नगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुन्नूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल वर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद दशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव अदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनवार, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिव पूजन राय, श्री
शिवप्रसाद , श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री

श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सुर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद , श्री
हरिचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

संसद सदस्य सूचना

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

सरकारी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य

*१—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या यह सच है कि हिन्दी की परीक्षा पास करने के बावजूद अनेक कर्मचारी सरकारी काम अंग्रेजी में करते हैं ? यदि हां, तो वे लोग हिन्दी में काम क्यों नहीं करते ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—हिन्दी या अंग्रेजी में आवश्यकता व सुविधा के अनुसार काम किया जाता है ।

*२—श्री सीताराम शुक्ल—क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि पांच साल से अधिक समय में भी हिन्दी न सीखने वाले कर्मचारियों को उसे सीखने के लिये अभी और कितना समय दिया जायगा तथा उस अवधि के बाद भी यदि न सीख सकेंगे तो कौन सी कार्यवाही की जायगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—हिन्दी में काम किये जाने में बराबर तरक्की हो रही है और आशा की जाती है कि कर्मचारियों को हिन्दी में काम करना सीख लेने में अब अधिक समय न लगेगा ।

श्री सीताराम शुक्ल—'अधिक समय नहीं लगेगा' के क्या मानी हैं, कितने वर्ष तथा महीने हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं बहुत अच्छी तरह तो समझा नहीं । अधिक समय के मानी हैं मुनासिब से ज्यादा ।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—क्या यह सही है कि सचिवालय से जितने भी आदेश जाते हैं वे प्रायः अंग्रेजी में ही जाते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अंग्रेजी में काफ़ी हुआ करते हैं । बहुत से हिन्दी में भी हुआ करते हैं ।

श्री भगवानदीन मिश्र—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्डों को यह आदेश भेजा जा चुका है कि तमाम कागजात हिन्दी में भेजे जायं लेकिन उनको भी यहां से जो आज्ञायें जाती हैं वे अंग्रेजी में ही जाती हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यहां से तो हिन्दी में भी जाते हैं मगर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्यूनिसिपल बोर्डों के बहुत से लोग बावजूद इसके कि हिन्दी में काम हो यह तो ख्वाहिश रखते हैं, मगर अपना सब काम हिन्दी में करने में दिक्कतें पाते हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार हिन्दी को बढ़ाने की गरज से अब आगे से ज्यादा टाइप राइटर हिन्दी के ही खरीदेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां, जहां तक मुमकिन होगा ।

*३—श्री सीताराम शुक्ल—काम चलाऊ हिन्दी सीख लिया यह जानने के लिये क्या सरकार कोई परीक्षा नियत करेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं।

*४—६ श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[२४ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*७-८—श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २०८ पर।

*९-११—श्री मती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा,) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २०८ पर।]

बस्ती जिले में सरकारी कुटीर तथा गृह-उद्योग

*१२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में जिसकी जन संख्या लगभग २४ लाख के है सरकार कौन कौन से कहां कहां कुटीर उद्योग चला रही है और आगे कौन कौन सा गृह तथा कुटीर उद्योग चलाने का विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—बस्ती जिले में निम्नलिखित उद्योग सरकार चला रही है—

गुड़ उन्नति योजना तथा कुटीर तेल उद्योग। गुड़ योजना के केंद्र बस्ती, डुमरियागंज, पथरा बाजार, धमौरा, तथा कलवारी में हैं और उपकेंद्र धनोहरी, मनवापुर, लटेरा, शाहपुर, कादिराबाद, बाद्जोत तथा महुडेर में हैं।

तेल घानी योजना के अन्तर्गत केंद्र डुमरियागंज, मनवापुर, धनोहरी, कादिराबाद, शाहपुर, धडेरा, पथरा बाजार, बांसी, मेहरवल, बस्ती, धनौरा, बाद्जोत, महुडेर तथा कलवारी में हैं।

इसके अतिरिक्त सरकारी खादी योजना भी चल रही है जिसके अन्तर्गत कताई तथा बुनाई के केंद्र निम्नलिखित हैं—

बौन्दवाल बाजार, सिहटीकर, पी० ओ० बखीरा बाजार, शाहपुर पी० ओ० डुमरियागंज तथा जीवा तहसील बांसी में है। इसके अतिरिक्त २८ औद्योगिक समितियां करघा उद्योग के लिये हैं। करघा उद्योग योजना के अन्तर्गत एक उत्पादन केंद्र खलीलाबाद में है। तीसी रेशा उत्पादन का एक केंद्र बस्ती शहर में है।

भविष्य में कुछ शिक्षण व उत्पादन केंद्र इस जिले में खोले जायेंगे।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी खादी योजना द्वारा कितने लोग ट्रेंड हुये और कितना सूत तथा खादी बना ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में खादी योजना के संबंध में गत वर्ष कितना खर्च हुआ और आगे कितना होगा ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी भी इत्तिला इस वक्त नहीं है।

*१३—श्री राजाराम शर्मा—क्या तीसी रेशा उत्पादन केन्द्र कुटीर उद्योग में सम्मिलित है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां ।

*१४—श्री राजाराम शर्मा—यदि हां, तो बस्ती जिले के तीसी रेशा उत्पादन केन्द्र को सरकार क्यों बन्द कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह—कच्चे जूट की पैदावार बढ़ाने व उसके मूल्य के गिरने के कारण तीसी केन्द्र को बन्द करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*१५—१७—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[११ जुलाई, १९५२ के लिये संख्या २२–२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ में कर्मचारियों की नियुक्तियां

*१८—श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या यह सच है कि गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, में कुछ कर्मचारियों की नियुक्तियां होने जा रही हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की किन किन जगहों के लिये तथा उनका चुनाव करने के लिये कौन अफसर नियुक्त हुये हैं ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ने नये शासकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, के लिये लगभग ६९४ नये पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव अवश्य भेजा है। सरकार इस पर विचार कर रही है । शायद सरकार कुछ पदों की स्वीकृति शीघ्र ही दे दे, परन्तु सब जगहों की स्वीकृति विशेषज्ञ समिति, जो इस प्रश्न को जांचने के हेतु नियुक्ति की गयी है, की रिपोर्ट पर निर्भर होगी। जब सरकार इन पदों को स्वीकृत कर देगी तो अधीक्षक उन पर नियमानुकूल नियुक्तियां करेगा। शायद उनमें से कुछ पदों पर पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश की भी आवश्यकता हो ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग में जो मजदूर रखे जाने वाले हैं वे वहां मुस्तकिल तौर पर रखे जायेंगे या उन्हें टेम्पोरेरी (अस्थायी) रहना होगा ?

श्री हुकुम सिंह—अभी तो फिलहाल टेम्पोरेरी ही हैं। जब पूरे तौर पर बहुत से लोग टेम्पोरेरी मुकर्रर किये जा चुके हैं तो एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद जो नियुक्तियां होंगी उनको नियमानुसार प्रोबेशन पीरियड (परीक्षण काल) दिया जायगा और फिर आगे उनका काम देख कर कंफरमेशन (स्थायी करण) होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि विशेषज्ञ कमेटी, जो उसने बैठायी है उसमें गवर्नमेंट प्रेस के मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन से संबंधित नुमाइन्दे हैं उनको भी उसमें रखा जाय ?

श्री हुकुम सिंह—जो एक्सपर्ट समझे गये वे उस कमेटी में रखे गये ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकारी नौकरों को रखने के लिये सरकार ने कोई हिदायत जिलों को ऐसी दी है कि वह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की राय से रखे जायं ?

श्री हुकुम सिंह—इसमें एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की राय ली जाती है और उनके ही जरिये से काम होता है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार को यह मालूम है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की राय भी सरकारी कर्मचारियों के रखने के सिलसिले में नहीं मानी जाती है ?

श्री हुकुम सिंह—अगर मानने के काबिल होती है तो मानी जाती है और नहीं होती है तो नहीं मानी जाती।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि एक तारीख को इस गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग़ में १७५ कर्मचारियों को निकालने की नोटिस दे दी गई है ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की कृपा करेगी कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज एक सरकारी संस्था है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की कृपा करेगी कि किसी सरकारी संस्था की सिफारिशों को गवर्नमेंट मानने के लिये बाध्य है या नहीं ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय सदस्य को मालूम है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से जब कोई नाम मांगे जाते हैं तो वह उन्हीं लोगों के नाम भेज सकती है जिनकी दरख्वास्तें उनके पास मौजूद हैं। अगर किसी खास क्वालिफिकेशन (योग्यता) के आदमी की जरूरत है तो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज तो उन्हीं आदमियों से जो सबसे अच्छे हैं उन्हीं का नाम भेज सकती है जो उनके रजिस्टर में दर्ज हैं। लेकिन यदि वे काम के उपयुक्त न हों तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कि वह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बात को न माने।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को दरख्वास्त गवर्नमेंट के पास भेज देने का ही अधिकार है या उन दरख्वास्तों में से नाम छांटने का भी अधिकार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो दरख्वास्तें उनके पास आती हैं उनमें सब से अच्छे आदमी जो उनकी समझ में हैं उनकी दरख्वास्तें वह भेजती है ।

*१९—**श्री धर्म सिंह**—क्या यह सच है कि इन नौकरियों में हरिजन भी नियुक्त किये जायंगे ? यदि हां, तो क्या आवेदन पत्र मांगे गये हैं और इसके लिये मुहकमे ने कौन तिथि नियुक्त की है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, परन्तु इस समय आवेदन पत्र मांगने या उसकी तिथि नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*२०—**श्री धर्म सिंह**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन जगहों पर कितने प्रतिशत हरिजन नियुक्त किये जायंगे ?

श्री हुकुमसिंह—हरिजनों की नियुक्ति, नियुक्ति विभाग के शासकीय आदेश संख्या ०-२२६६/२ बी—१३४६ तारीख २६ अगस्त, सन् १९५० के अनुसार की जायगी।

*२१—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[२४ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

सरकारी नौकरियों में विभिन्न जातियों का अनुपात

*२२—श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एक जी० ओ० [सरकारी आदेश] द्वारा भिन्न भिन्न विभागों को आदेश दिया गया था कि सरकारी नौकरियों में किसी एक ही वर्ग या जाति की नियुक्तियां रोकने के लिये उन जातियों के उम्मेदवार को भर्ती करने पर ध्यान दिया जावे जिनका प्रतिनिधित्व नौकरियों में नहीं है या न के बराबर है या जो पिछड़ी हुई जातियां हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—ऐसा कोई भी सरकारी आदेश (जी० ओ०) नहीं है जिसमें हिदायतें उस रूप में, जैसा कि प्रश्न में है, दी हुई हों। विधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि भेदभाव के बिना सरकारी नौकरियों में नियुक्त होने के लिये समान अवसर प्राप्त हैं। किन्तु विधान में पिछड़ी हुई जातियों के नागरिकों के लिये विशेष उपबंधों के अनुसार, १९५० ई० में यह आदेश जारी किये गये थे कि प्रशासन की कार्यक्षमता बनाये रखने के साथ ही—

(१) नियुक्तियां करते समय पिछड़ी हुई जातियों के हित का ध्यान साधारणतया रखा जायगा ।

(२) उत्तर प्रदेश राज्य के मामलों के संबंध में नौकरियों और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये साधारणतया रिक्त स्थानों का १० प्रतिशत सुरक्षित रखा जायगा ।

*२३—श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस आदेश का पालन किया गया या नहीं और यदि किया गया तो ऐसे प्रतिनिधित्व न रखने वाली जातियों के उम्मीदवारों को किस संख्या में और किस किस विभाग में इस प्रदेश में लिया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आदेश बैकवर्ड क्लासेज, पिछड़ी हुई जातियों, के संबंध में दिया गया है, उसके होते हुये भी उनका प्रतिनिधित्व नौकरियों में तनिक भी नहीं किया गया है और अगर किया गया है तो सरकार के पास इस समय वह आंकड़े मौजूद हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—उनके प्रतिनिधित्व की कोई खास तादाद नियत नहीं है, बल्कि यह हिदायत है कि उनका ख्याल किया जाय और जो स्टैंडर्ड है उसको कायम रखते हुये जहां तक भी हो उनको लिया जाय । इसके बारे में खास आंकड़ों का जमा करना भी कोई आसान नहीं है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या यह बात सत्य है कि शिक्षा विभाग में और नियुक्ति विभाग में पिछड़ी हुई जातियों की जो सूचियां हैं वे पृथक पृथक हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह सम्भव हो सकता है ।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि ऐसी विभिन्नता क्यों रखी गई है कि शिक्षा विभाग में पिछड़ी जातियों की दो तरह की सूचियां हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—शिक्षा विभाग में दो तरह की सूचियां नहीं हैं।

ईख उत्पादकों से अमानत के रूप में जमा किया गया धन

*२४—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि सन् १९४८—४९ के सीजन में राज्य के ईख उत्पादकों से किन किन जिलों से कितनी कितनी

रक़म अमानत के तौर पर सरकार ने जमा करायी थी और उनमें से प्रत्येक ज़िले को कितनी रक़म वापस की गई और कितनी रकम इस समय सरकार के ख़जाने में जमा है ?

श्री हुकुम सिंह--१९४८-४९ के सीजन में गन्ने के मूल्य में इस राज्य के प्रत्येक ज़िले में जो कटौती की गयी उसका ब्योरा नत्थी की हुई तालिका में दिया हुआ है । तालिका में दी हुई रकमों म ब्याज भी सम्मिलित है । कटौती की रक़म सरकारी ख़जाने में नहीं, बल्कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक में जमा की गई थी और बैंक ही द्वारा उसका भुकतान भी हो रहा है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २७९ पर ।)

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कटौती किसके आदेश से हुई थी ?

श्री हुकुम सिंह---शायद गवर्नमेंट के आदेश से हुई ।

अध्यक्ष---माननीय उद्योग मंत्री, आप गवर्नमेंट की तरफ से "शायद" नहीं कह सकते हैं । आप यह कहिये कि आप को मालूम है या नहीं ।

श्री हुकुम सिंह---संभवतः ।

अध्यक्ष --"संभवतः" और "शायद" एक ही चीज है ।

श्री हुकुम सिंह---मुझको चूंकि याद नहीं है इस वजह से "संभवतः" मैंने कहा ।

श्री गेंदा सिंह---माननीय उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव बैंक और सरकार का क्या रिश्ता है ?

श्री हुकुम सिंह---वह रिश्ता सर्व विदित है ।

श्री गेंदा सिंह---माननीय उद्योग मंत्री इस बात को क़बूल करेंगे कि उस रुपये के देने की जिम्मेदारी सरकार अपनी समझती है ?

श्री हुकुम सिंह---बैंक में जमा है । बैंक के लिये देना जरूरी है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में भी यह कटौती हुई थी ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है । तालिका में अगर वह ज़िला है तो हुई, वर्ना नहीं हुई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (ज़िला आज़मगढ़)---क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कमल सागर सोसाइटी, ज़िला आज़मगढ़, की देवरिया शुगर मिल के यहां गन्ने की भी दो आने मन की कटौती हुई थी, वह शेष है ?

श्री हुकुम सिंह---मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस तालिका की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि मेज़ पर रखी गई है ।

श्री गेंदा सिंह---कोआपरेटिव बैंक में जो रुपया जमा है वह कोआपरेटिव बैंक के नाम पर नहीं बल्कि सरकार के नाम पर जमा हुआ था, क्या इस बात को माननीय मंत्री स्वीकार करेंगे ?

श्री हुक्म सिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत है । ठीक हाल मिलने पर मैं स्वीकार या इन्कार करूंगा।

अलीगढ़ का ताला उद्योग

*७--श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार को विदित है कि अलीगढ़ ताला उद्योग की जो वहां का प्रसिद्ध धंधा है, दिन प्रति दिन क्षति होती जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह--जहां तक सरकार को विदित है पिछले कुछ वर्षों से ताला की क्वालिटी गिर जाने से ताला उद्योग को अत्यन्त क्षति प्राप्त हुई है ।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साल में कितने रुपये के ताले इस प्रदेश से बाहर दूसरे मुल्कों में जाते हैं ?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ का जो तालों का धंधा गिरता जा रहा है, उसका मुख्य कारण वहां से कारीगरों का चले जाना है ?

श्री हुकुम सिंह--संभव है कुछ लोग चले गये हों।

श्री भगवान सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गये हुये कारीगरों की जगह नये कारीगरों को यह धंधा सिखाने की उसने कोई योजना बनाई है ?

श्री हुकुम सिंह--ऐसी कोई योजना अभी नहीं है लेकिन लोग सीख रहे हैं ?

*८--श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने इस प्राचीन उद्योग की रक्षा के लिये कोई प्रयत्न किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां

(१)--ताला कारीगरों की एक सहकारी समिति बनायी गई, जिसको सरकार की ओर से इस वर्ष ५ हजार रुपया का ऋण दिया गया है । लोहे व अन्य कच्चे माल की सुविधा के लिये परमिट भी दिये जाते हैं।

(२)--सरकारी क्वालिटी मार्किंग योजना भी शुरू की गयी है ।

(३)--सरकारी ताले निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया गया है ।

टेक्निकल स्कूलों की संख्या तथा उनके विद्यार्थी

*९--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कितने टेक्निकल स्कूल खुले हैं, वे किन-किन जिलों में हैं और कौन-कौन सी विषयों की शिक्षा उनमें दी जाती है ?

श्री हुकुम सिंह--राजकीय तथा सहायता प्राप्त टेक्निकल और इन्डस्ट्रियल विद्यालयों की सूची माननीय सदस्यों की मेज पर रक्खी गई है । इस सूची में प्रत्येक विद्यालय के सामने जिले का नाम और पढ़ाये जाने वाले विषय भी लिख दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५....२८१...पर)

*१०--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और अब तक कितने विद्यार्थी शिक्षित किये जा चुके हैं ?

---

*नोट--तारांकित प्रश्न ७-८ श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा ने पूछे ।

श्री हुकुम सिंह--१३४६ विद्यार्थी राजकीय टेकनिकल तथा इन्डस्ट्रियल विद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं । सन् १९३० से १९५१ तक इन स्कूलों में १०,१०३ विद्यार्थियों ने शिक्षा पायी ।

*११--**श्रीमती सज्जन देवी महनोत** (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री यह भी बतलाएंगे कि जो विद्यार्थी इन विद्यालयों से उत्तीर्ण हो कर निकलते हैं, क्या सरकार उनके काम या रोजगार की व्यवस्था भी करती है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह--उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उद्योग विभाग काम या रोजगार दिलाने का प्रयत्न करता है । कुछ विद्यार्थियों को तो उद्योग विभाग काम दे देता है और शेष लोगों को काम दिलाने का पूरा प्रयत्न करता है । साथ ही साथ विभाग इनमें से योग्य विद्यार्थियों को अनुदान व ऋण द्वारा भी सहायता देता है ।

संसद् के एक सदस्य के अत्याचारों के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष--मेरे पास एक "कामरोको" प्रस्ताव आया है जिसमें कि हाउस आफ दि प्युपिल [लोक सभा] के एक सदस्य के विरुद्ध यह आपत्ति है कि वह किसी जिले में अत्याचार कर रहे हैं, उसी संबंध में यह कामरोको प्रस्ताव पेश किया गया है ।

यह बहुत अस्पष्ट यानी वेग है । डेफ़िनिटनेस (निश्चितता) इसमें है नहीं और कई वाद विवाद भी इसमें शामिल हैं । इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि सही हों। ऐसी अवस्था में मैं इसके लिये अनुमति नहीं देता हूं कि यह पेश हो सके और न मैं इसे पढ़ना ही चाहता हूं ।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद जारी होगा ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिग मताधिकार के अनुसार जनतन्त्र होने के बाद स्वतंत्र भारत के इस प्रदेश का यह पहला सदन है मुझे आशा थी कि नैनीताल की शुद्ध, सात्विक और ठंडी आबोहवा में जब हमारे मंत्री महोदय कोई बजट बना रहे होंगे तो ऐसा सुन्दर बजट हमारे हाउस के सामने पेश किया जायगा जो कि प्रदेश की आर्थिक दशा का एक दर्पण होगा और जब फाइनेन्स कमेटी के मेम्बरों पर अविश्वास करके उनके सामने प्रस्ताव नहीं रखे गये तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं और जनहित में ऐसे खतरनाक कदम भी हमारी सरकार उठाने जा रही है जिससे जनता का महान कल्याण होगा । मुझे तो आशा थी कि सदन के सामने सन् १९४६ में में जो पूंजीवाद के विनाश का संकल्प किया गया था और प्रस्ताव पास हुआ था, हमारे मंत्रीगण शायद उस पर गम्भीरता पूर्वक नैनीताल की ठंडी आबोहवा में विचार कर रहे होंगे, लेकिन हमारे सामने जो बजट प्रस्तुत हुआ उसे देख कर मुझे भारी निराशा हुई । उसके बारे में कई लोगों ने कई रायें दीं, लेकिन एक पहलू पर सदन का ध्यान नहीं गया ।

हमारे सामने जो बजट प्रस्तुत है उसमें लगभग आय-व्यय का हिसाब रखा गया है । आय हम करने जा रहे हैं ६१ करोड़ रुपया । चार करोड़ तो टेक्सेशन का मामला है, वसूल हो या न हो वह अलग बात है, लेकिन इस ६१ करोड़ के बजट में जो मशीनरी हमने जन-हित के काम करने के लिये लगायी है उसका खर्चा २५ करोड़ रुपया है । यह खर्चा अंग्रेजों के जमाने में सन्

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

१९३५--३६ में ६ करोड़ था। जब हमारे मुख्य मंत्री का हमारे प्रांत में पदार्पण हुआ यह ११ करोड़ हो गया। सन् १९५०---५१ में २२ करोड़ हो गया और अब २५ करोड़ हो गया है। हमारे मुख्य मंत्री ने अभी हाल में १३ पार्लियामेंट्री सेक्रेट्रीज़ और उप मंत्रियों की भी नियुक्ति की है। उन्होंने कहा यह लाल फीते को हटाने के लिये है। मैं तो यह कहता हूं कि यह हमारे मंत्रिमंडल की अयोग्यता का एक प्रमाण है। भला बतलाइये कि जब २५ करोड़ तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारी आप के विकास की योजनाएं काम में नहीं ला सके तो १३उप-मंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेट्रीज़ क्या करेंगे? अच्छा तो यह होता कि माननीय मुख्य मंत्री हर जिले में एक उप-मंत्री या पार्लियामेंट्री सेक्रेट्री रख देते और वही सरकारी कर्मचारियों का सारा काम कर लेते।

सरकारी बेंचेज की तरफ से आम तौर से यह कहा गया है कि हम लोगों की तरफ से रचनात्मक सुझाव नहीं पेश किये जाते हैं। मैं आज सदन के सामने यह बतलाना चाहता हूं कि आज अगर मुख्य मंत्री की जगह पर मैं होता तो क्या करता। सन् १९४६ में बड़े प्रोपेगंडा के बीच में इस सदन ने यह संकल्प किया था कि हम जमींदारी एबालिशन (उन्मूलन) के बाद पूंजीवाद का विनाश करेंगे। पहला कदम मैं यह उठाता कि आज जितने इस प्रांत में लोहे, सीमेंट, चीनी, कपड़े इत्यादि के कारखाने हैं और इंश्योरेंस और बैंक्स हैं, बजट कम्पनियां में उनके राष्ट्रीयकरण का प्राविजन (उपबंध) करता। अगर विधान हमारे मार्ग में बाधक होता तो हमारी पूरी मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर (त्याग पत्र दे) देती और पं० जवाहर लाल नेहरू को मजबूर कर देती कि या तो हम यह कर के रहेंगे नहीं तो प्रान्त का शासन ठप रहेगा। दूसरा काम हम भूमि योजना के बारे में यह करते कि पहली जूलाई के बाद इस बजट के अवसर पर यह एलान करते कि अब जमींदारी खत्म हो गयी है, ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगी जिनके पास बड़े बड़े फार्म हैं उनमें से अच्छी से अच्छी तीस एकड़ जमीन ले लें, उस के बाद जितनी जमीन होती उसका हम बटवारा करते। दूसरे बजट में हम यह प्राविजन करते कि छोटे जमींदारों को पुनर्वासन भत्ता के अलावा हम बड़े जमींदारों को कोई भी कम्पेंसेशन (प्रतिकर) नहीं देंगे। इस पर भी अगर भारतीय संविधान हमारे सामने आता तो इस इश्यू (प्रश्न) पर भी हमारी मिनिस्ट्री रिजाइन करती और हम ऐसी क्राइसेस (संकट) इस प्रांत में पैदा करते कि हम देखते कि पंडित जवाहर लाल नेहरू किस तरह से इस प्रांत में दूसरी कोई कैबिनेट बना लेते। शिक्षा के संबंध में हम यह कार्य करते कि अपनी पंच वर्षीय योजना में प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा को बिलकुल अनिवार्य और निःशुल्क कर देते। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री के दल के लोगों का पुराना वादा है।

यह हमारी सरकार के ऊपर लांछन है कि ६१ करोड़ के बजट में २५ करोड़ सरकारी कर्मचारियों पर व्यय होता है। यह हमारे मंत्रिमंडल की अयोग्यता का द्योतक है। इस सदन के एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह बजट बिगड़े हुये रईसजादों का बजट है। मैं सरकारी दल के लोगों से कहूंगा कि सरकारी मशीनरी पर यह जो रुपया खर्च हो रहा है यह आपकी अयोग्यता का द्योतक है और इस पर आपको सोचना चाहिये। जो चार पांच साल की बहुत सी योजनायें हैं और बहुत देर में आयेंगी। मैं एक विशाल अन्न सेना की सृष्टि करता। इसमें जो गांवों के लोग हैं, जो देहात के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेकार लोग हैं उनको खाने, कपड़े और दस दस या पंद्रह-पंद्रह रुपया प्रतिमास देकर हजारों और लाखों की तादाद में भर्ती की जाती और उनसे कुओं, नहरों तथा सिंचाई के साधन तथा सड़कों इत्यादि का काम लिया जाता। स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में सारी सर्विसेज़ का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता।

उसके बाद एक बात यह भी मैं करता कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनसे उनकी सम्पत्ति का सन् ३० से लेकर सन् ५२ तक हर पांचवें साल का स्टेटमेंट (नक्शा) मांगता कि सन् ३० में उनके परिवार की क्या सम्पत्ति थी, सन् ३५ में क्या हुई, सन् ४० में क्या हुई और सन् ४५ में क्या हुई। और उसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल से संबंधित शासकीय दल के लोगों का और मेम्बरों का भी स्टेटमेंट मांगता कि उनकी आमदनी सन् १९३० में कितनी थी, सन् १९३५ में कितनी थी, सन् १९४० में कितनी थी, सन् १९४५ में कितनी थी, और सन् १९५० में कितनी थी। अगर गैर कानूनी तरीके से , घूसखोरी से आमदनी बढ़ायी जाती तो उसको लेकर इस बात का प्रयत्न करता कि वह सारा धन आपके बजट में जनहित के लिये रखता। दूसरी बात हम यह करते कि हम अपने पुराने कराची के प्रस्ताव के हिसाब से किसी की तनख्वाह ५०० से अधिक न रखते और १०० से कम न रखते। यह इस बजट से भी संभव है। तो इस तरह से एक ऐसी गवर्नमेंट का निर्माण करते कि जिससे वाकई हमारे प्रदेश की जनता में एक आशा का संचार होता।

आज चीन में क्यों ऐसा हुआ? चीन हमसे बाद में स्वतंत्र हुआ। १७, १८ साल से घरेलू युद्ध में फंसा हुआ था और उसके बावजूद भी किस प्रकार आनन फानन अपनी समस्याओं का हल किया है कि हम भी उससे हजारों टन अन्न लेते हैं। यह सब होते हुये भी हम कहते हैं कि हमारा जमींन का सुधार चीन से भी अच्छा है। डिप्टी लीडर आफ दि अपोजीशन की हैसियत से मैंने डेढ़ दो महीने में कितने ही पत्र माननीय मंत्रियों के पास लिखे मगर उनमें से केवल श्री चरण सिंह जी एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कम से कम मेरे पत्र को ऐकनालेज तो किया (रसीद भेजी) और किसी ने तो यह भी नहीं किया। यह है आपका रवैया जनता के प्रति। मैंने एक प्रश्न माननीय श्री चरण सिंह जी से पूछा दे कि लखनऊ के ट्रैक्टर्स शाप में कितने बार चोरी हुई। यह टैक्टर्स शाप यहां से चार कदम पर है, लेकिन अभी तक वहां से सूचना नहीं प्राप्त कर सके और उत्तर नहीं दे सके। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री एक विकट कर्मठ व्यक्ति हैं। उनकी नाक के नीचे लखनऊ मेडिकल कालेज में कितने ऐसे डाक्टर्स हैं जिनको अस्पताल की तरफ से मकान दिये गये हैं जिनमें उन्होंने अपने क्लिननिक्स खोल रखे हैं और मरीजों से किराया लेते हैं और इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आज हमारे सरकारी दल की तरफ से यह कहा जा सकता है कि ये तो कपोल कल्पनायें हैं, मगर यें कपोल कल्पनायें नहीं हैं। मैं तो मुख्य मंत्री को चेलेंज करता हूं कि आज सदन का रुख बदल दीजिये, आप यहां चले आइये और हमको वहां भेज दीजिये और फिर देखिये कि दो तीन साल में हम सारी चीजें व्यवहारिक बना कर दिखा देंगे।

शिक्षा के संबंध में सरकार की तरफ से एक कमेटी बनायी गयी थी जिसने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स (अध्यापकों) की स्केल आफ पे मुकर्रर की थी। चार, पांच साल से यह प्रश्न चल रहा है मगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हर साल हम चुपके से सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा पुलिस विभाग में एक करोड़ डेढ़ , करोड़ के करीब खर्च बढ़ा लेते हैं , मगर इस प्रश्न को जिसमें कि केवल एक करोड़ का मामला है अभी तक हम नहीं हल कर पाये हैं। यह हालत है हमारे शिक्षा प्रेम की।

इसके अलावा सबसे बड़ी अयोग्यता तो आपने यह प्रदर्शित की कि पहले पांच साल तक आपकी कोई प्लानिंग (नियोजन) ही नहीं थी। हम लोगों के बार बार कहने के बाद यह जो बजट आपने पेश किया है उसमें एक पंचवर्षीय योजना का जिक्र है मगर उसका भी कोई पता नहीं है। क्या वह केवल फाइलों में ही छपने के लिये है। तो इस तरह से तो आप एक हाच पाच (गोलमोल) तरीके से कार्य कर रहे हैं। रचनात्मक सुझावों का जहां तक प्रश्न था, मैंने दे दिये।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि पुलिस के खर्च पर हम लोगों को बहुत एतराज है। ठीक है। एतराज इसलिये है कि यह हमारी जनता का राज्य है और इसमें अगर आप समझते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर आप शासन करते हैं तो यह आपकी अयोग्यता का प्रमाण है कि आपके साथ जनता नहीं है। हजारों किस्म की आपने स्कीमें निकालीं मगर जनता ने आपका साथ नहीं दिया और वे फेल हो गयीं। हमारे एक माननीय सदस्य ने यह भी बतलाया कि पहली जुलाई को जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा जमींदारी अबालिशन की खुशी मनाई गई उससे ज्ञात हुआ कि किसान इस कानून से बहुत खुश है। असलियत यह है कि उन सभाओं में केवल कहीं ५० और कहीं ६० आदमी आये और आपस में ही मिठाई खाकर चले गये। हमारे मित्र सीताराम जी शुक्ल ने कहा कि किसान खुश है, जनता खुश है। मैं नहीं समझता कि किसान कैसे खुश है, इस जमींदारी अबालिशन से उसको क्या मिला? आपने जमींदारी प्रथा का नाश किया इसलिये कि जमींदार ज्यादा लगान लेते थे और सरकार के खजाने में केवल सात करोड़ आता था। मगर आप तो उससे भी ज्यादा वसूल कर रहे हैं इर्रीगेशनल टैक्स (सिंचाई कर) और न जाने किन किन टैक्सों को लगा कर। तो आपने कौन सी नई प्रथा को चलाया? यहां एक गलतफहमी है कि क्या सोशलिस्ट पार्टी जमींदारी अबालिशन के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है यही गलत फहमी फैलाने की कोशिश राजा साहब जगम्मनपुर ने भी की थी। परन्तु वास्तविकता यह कि किस तरह से हम भारत की स्वतंत्रता का स्वागत करते हैं, अगर्चे उससे हमारी आर्थिक समस्यायें हल नहीं हुई हैं उसी तरह से हम जमींदारी अबालिशन का भी स्वागत करते हैं अगर्चे इससे हमारे काश्तकारों की आर्थिक समस्या हल नहीं हुई है। हम पहली जुलाई को किसानों का मुक्ति दिवस मानते हैं। हमें आशा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि अब ३० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी। अब कोई भी जमींदार विद्रोह करने के लिये तैयार नहीं है और तीस एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले किसानों की संख्या कम है, उनसे भी विद्रोह की आशा आशंका नहीं। जमीन के बटवारे की व्यवस्था हो सकती है।

मैंने हमेशा निवेदन किया है कि आप इसी तरीके से रचनात्मक कार्य करें मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि ६१ करोड़ के बजट में २५ करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पर निकल जाता है यह सरकार की अयोग्यता का द्योतक है।

अगर आप देश में क्राइम (अपराध) को रोकना चाहते हैं, यदि आप देश के अंदर शांति स्थापित करना चाहते हैं तो जनता की कमेटियाँ बनाइये और जनता से कहिये कि जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनकी रिपोर्ट दो और उनकी सूचनाओं पर फौरन काम करें। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप ठीक तरह से इंतजाम करना चाहते हैं तो तीन महीने के लिये सब काम बन्द कर दें और सरप्राइज विजिट (अचानक आगमन) करना शुरू कर दें और दफ्तर और सारा काम सेक्रेटेरिज के ऊपर छोड़ दें। यह इस तरह हो कि यदि आज श्री हुकुम सिंह बनारस में हैं तो कल काशी में हैं और परसों कानपुर में नजर आते हैं। जिलों के किसी भी कर्मचारी को आपके प्रोग्राम की खबर न हो। सारे मंत्री इसी तरह भ्रष्टाचार रोकने के लिये कम से कम तीन माह तो सरप्राइज विजिट आवश्य करें। इससे भ्रष्टाचार रोकने में काफी सफलता प्राप्त होगी।

लाल रोशनी अब मेरे सामने है। मैं चेलेंज के साथ आपसे कहता हूं कि अगर इनको मेरे रचनात्मक सुझाव कपोल कल्पित समझ पड़े तो मुख्य मंत्री कुर्सी छोड़ कर इधर आ जायं और हम इन सुझावों को व्यवहारिक बना कर दिखा देंगे।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---स्पीकर महोदय, मैं इस बजट के पेश करने पर माननीय वित्त मंत्री जी को रस्मी और गैर रस्मी, फारमल और इन्फारमल दोनों किस्म के मुबारकबाद देता हूं। मैं इस मुबारबाद में उनके स्टाफ (कर्मचारीवर्ग) और सेक्रेटेरियट को भी शामिल कर लेता हूं जिन्होंने इस बजट को बनाने में काफी मेहनत की है। एक तरह से यह बजट एक तारीखी बजट है। देश के सच्चे प्रतिनिधियों का बनाया हुआ यह पहला बजट है। मैं जानता हूं कि इस बजट के बनाने में काफी मेहनत की गई है।

इस बजट के देखने से यह मालूम होता है कि यह बजट ४ करोड़ २४ लाख रुपये का डेफीसिट (घाटे का) बजट है। गवर्नमेण्ट ने ४ करोड़ रुपया लोन (ऋण) का भी लिया है। इसके अलावा इस बजट के जरिये और भी बचत हुई है। मसलन जमींदारी अबालिशन के बाद ४ करोड़ के करीब रुपया गवर्नमेंट को बचेगा। कण्ट्रोल खत्म हो जाने के बाद जो दो करोड़ रुपया प्रोडक्टिव स्कीम (उत्पादक योजनाओं) पर खर्च होता था वह भी अब बच जायेगा। बजट के अन्दर यह भी बतलाया गया है कि सरकार कुछ टैक्सेज लगायेगी। इसी बजट के अन्दर एक २० करोड़ रुपये की रकम है जो डेवलपमेंट के ऊपर खर्च की जायगी। शायद इतनी बड़ी रकम इस मद पर अब तक कभी खर्च नहीं की गई।

जनाब वाला, हमें इस बात की खुशी है कि हमारी योजनाओं को प्लानिंग कमीशन ने न सिर्फ अपना लिया है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फायनेंस मिनिस्टर श्री देशमुख हैं उन्होंने कह दिया है कि इस सूबे को जो रुपया कमीशन देगा उसको वह पसन्द करेंगे और इस चीज को भी पसन्द करेंगे कि टैक्सेशन (कर) की कुछ आमदनी सूबे को मुंतकिल कर दी जाय। हमें यकीन है कि इन तमाम बातों के मातहत हमारे सूबे की हालत बेहतर हो जायगी। हुजूर वाला, यह सही है कि डेवलपमेंट के लिये हम कर्जा ले रहे हैं। अगर्चे उस कर्जे के सही प्रोपोजल्स (प्रस्ताव) हमारे सामने नहीं हैं लेकिन फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ इशारा कर दिया है कि किन किन चीजों पर टैक्स लगाया जायगा। एक तो डेवलपमेंट लेवी (विकास कर) लगाई जायगी और इस लेवी के जरिये से जिन लोगों ने नफा उठाया है कुछ रकम उनको देना होगी ताकि डेवलपमेंट के लिये कुछ रकम बचाई जा सके। लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जो नफा हमने एक हाथ से काश्तकारों को जमींदारी अबालिशन के बाद दिया है दूसरे हाथ से निकाल लें। तो इसके जरिये से कोई गलत किस्म की भावना यहां न पैदा हो जाय।

दूसरे सेल्स टैक्स (बिक्री कर) में भी कुछ इजाफे की बात की गई है। यह चीज इस हाउस में कई बार कही जा चुकी है कि सेल्स टैक्स मल्टीपिल प्वाइंट टैक्स रहा है, इससे लोगों को दिक्कतें रही हैं। इसलिये इस टैक्स को लोग ज्यादा नहीं पसन्द करते। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस मसले पर भी गौर करेगी।

तीसरी चीज ट्रान्सपोर्ट (परिवहन) के निर्ख के इजाफे की तरफ भी इशारा किया गया है। हुजूरवाला, जहां तक इनडाईरेक्ट टेक्सेशन (परोक्ष कर) का ताल्लुक है लोग उसे बिना संकोच पसन्द करते हैं लेकिन जब डाइरेक्ट टेक्शेसन (प्रत्यक्ष कर) का सवाल आता है तो उससे लोगों की जेबों पर असर पड़ता है। जहां तक रिक्शे और तांगे वालों का सवाल है वह ट्रान्सपोर्ट के बढ़ते हुये टैक्स को देख कर खुश होंगे। मुझे उम्मीद है कि जब यह प्रोपोजल्स हमारे सामने आयेंगे तो इन पर गौर किया जायगा।

इस बजट में कई डेवलपमेंट की स्कीम रखी गई हैं जैसे इर्रीगेशन (सिंचाई,) डेवलपमेंट (विकास) कोआपरेटिव और और तमाम चीजों की स्कीमें हैं और उन स्कीमों में हम रुपया खर्च करेंगे। जैसा मैं पहले कह चुका हूं यह इतनी बड़ी रकम है जिसकी नजीर शायद इस सूबे में क्या किसी दूसरे सूबे में भी नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट ने तो इस काम को चलाने का

[श्री सुल्तान आलम खां]

तहय्या कर लिया है। वह माली मुश्किल के मसले को इस दर्मियान में नहीं आने देगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस सूबे की सरकार ने ईमानदाराना कोशिश की है और वह कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब हर तरफ से उसको सहयोग प्राप्त हो। मसलन इस बजट के दो खास फीचर्स (विशेषतायें) हैं। एक तो जमींदारी का खात्मा होगा दूसरा इस सूबे में कन्ट्रोल उठाया गया। जमींदारी के खात्मे के बाद जो सूरत है उस पर काफी गौर करने की जरूरत है।

बाज लोग गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। बाज लोग यह कह देते हैं कि यह बजट रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल है, गरीब आदमियों का बजट नहीं है। मैं अल्फाज से खेलना नहीं चाहता। हर आदमी यह महसूस करता है कि यह बजट न तो गरीबों का बजट है, न अमीरों का बजट है, न पूंजीपतियों का और न मजदूरों का बजट है। उत्तर प्रदेश में जो नागरिक रहते हैं यह उनका बजट है। कांग्रेस का यही उसूल है जिससे कोई शख्स इंकार नहीं कर सकता। हम तो क्लास-लेस सोसाइटी (वर्गहीन समाज) बनाना चाहते हैं अगर यह मकसद न होता तो हम जमींदारी को खत्म न करते। अगर क्लासलेस सोसाइटी को पैदा करना है तो हमें देखना है कि जमींदारी के खात्मे के बाद क्या करें। हम यह भी कर सकते थे कि जमींदारी खत्म करने के बाद जमींदारों को भी खत्म कर देते लेकिन यह इनसाफ का तरीका है। हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। हमने जो कदम उठाया है वह एवोल्यूशन (शनैःविकास) का है, लेजिस्लेटिव मेजर्स (विधि-निर्माण) का है जिसके जरिये अदालत से कोई काम नहीं किया जा सकता। जो लोग कतई रिवोल्यूशन (क्रांति) में बिलीव (विश्वास) करते हैं उनके लिये इस ऐवान में कोई जगह नहीं है, उनके लिये बाहर जगह है लेकिन जो एवोल्यूशन में बिलीव (विश्वास) करते हैं बेशक उन्हें ठंडे दिल से सोचना चाहिये कि जमींदारी एबोलिशन के बाद क्या चीज मुनासिब है। हमें बाज चीजों पर पूरा ध्यान देना चाहिये। मसलन कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स (चकबन्दी), क्राप प्लानिंग (फस्ल नियोजन), बर्थ, कन्ट्रोल (संतति निग्रह,) इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कल्टिवेशन (घनी तथा विस्तीर्ण कृषि) आर्गनाइजेशन आफ काटेज (कुटीर का संघटन) और होम इंडस्ट्रीज (गृह उद्योग)। क्राप प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके मुताल्लिक अगर गौर किया जाय तो काफी नफा हासिल हो सकता है। मैं यह समझता हूं कि कंसोलिडेशन आफ होल्डिंगज़ [जातों की चकबन्दी] की बाबत किसी को एतराज हो सकता है कि इसमें दुश्वारी है लेकिन जहां तक क्राप प्लानिंग का ताल्लुक है मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वक्त की कमी है नहीं तो मैं इसके मुताल्लिक कुछ अर्ज करने की कोशिश करता। इस मुल्क में हुजूरबाग, कोयम्बटूर में मैसूर की सरकार इसका तजुर्बा कर रही है और इस सिलसिले में प्लानिंग कमीशन ने भी जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें जिक्र किया है और इसके ऊपर काफी जोर दिया है। दूसरी चीज सेल्फ सेफीशियन्सी (आत्मनिर्भरता,) के बारे में है और इसके लिये बर्थ कन्ट्रोल के बारे में काफी जोर दिया है और यह कहा जाता है कि इस चीज को जोर से रोका जाय क्योंकि डेथ रेट (मृत्यु दर) कम हो रही है और बर्थ रेट (जन्म की दर) बहुत बढ़ रहा है। अगर यह चीज चलती रही और बर्थ इसी तरह से बढ़ता रहा तो आगे जाकर काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिये जरूरत है कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन (धनी खेती) की जाय वरना हमारे देश का आगे बढ़ना मुश्किल सा लगता है। इसके अलावा हमारे यहां जो काटेज इंडस्ट्री (कुटीर-उद्योग) है उस तरफ भी तवज्जेह करना पड़ेगी।

जनाबवाला, जहां तक इस खाने पीने का सवाल है इसको पार्टी पालिटिक्स (दलगत राजनीति) से बाला होकर सोचने की जरूरत है। यह बात ऐसी है जो किसी तरह से भी सेन्टीमेंटस (सच्चभावनाओं) से हल नहीं हो सकती और किसी सत्याग्रह से हल नहीं हो सकती है। इसके लिये अगर हम सर जोड़कर काम करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि इस मसले को हल करना है तो यह मसला आसानी से हल हो सकता है। इसके मुताल्लिक

मैं दो चार अल्फाज कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अभी कहा सरकार अपने प्लान के मुताबिक प्लानिंग कमीशन की रिपोट के मुताबिक ईमान्दारी के साथ कोशिश कर रही है लेकिन मेरी यह गुजारिश है कि इस काम में हमको तभी कामयाबी हासिल हो सकती है जब कि सबका कोआपरेशन (सहयोग) हो और पार्टी पालिटिक्स का ख्याल बिल्कुल छोड़ दिया जावे।

इसी के साथ एक चीज यह भी है जिस पर हमको गौर के साथ विचार करना है कि हमारे जो बढ़े हुये खर्चे हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जाय ताकि हमारे पास जो रुपया है उसको हम सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें। हम उसको इस तरह से देखने की कोशिश करें कि कम से कम रुपया सर्फ हो और ज्यादा से ज्यादा काम हासिल हो सके। हमारा काम एफिशियंसी (दक्षता) और इकानामी (कम खर्च) के साथ हो, यह हमारी निगाह होनी चाहिये और इसकी तरफ हमको ज्यादा तवज्जेह देनी चाहिये। मैं इसके मुताल्लिक गवर्नमेंट से इस्तदुआ करूंगा कि वह इस मसले पर एक कमेटी बिठाये। बम्बई गवर्नमेंट ने स्टेट एक्पेंडीचर इन्क्वायरी कमेटी (राज्य व्यय मीमांसा समिति) बिठायी है। इस कमेटी के जरिये से उनको २५ लाख रुपया तो फौरी नफा हासिल हुआ है और करीब १ करोड़ रुपया सालाना का फायदा उनको हुआ है। बिहार गवर्नमेंट ने एक कमेटी जिसका नाम इकानामी कमेटी (अर्थसमिति) है बिठाई है और उस कमेटी ने भी शायद अपनी एक रिपोट दी है और उसमें उन्होंने इकानामी की तरफ कई सुझाव दिये हैं कि कहां तक स्टेट को उनसे फायदा हो सकता है। इसी तरह से मेरा आपसे कहना है कि हम भी एक कमेटी इस तरह की बिठायें जो सेक्रेट्रियट को आर्गनाइज (संघटित) करें और देखे कि कहां तक हम इकानामी हासिल कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस सूबे की गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बिठाई थी लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिल सकी है। अभी तक उसके बारे में मालूम नहीं हो सका है कि उसका काम पूरा हुआ है या नहीं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से यह जरूर दरख्वास्त करूंगा कि वह ऐसी एक कमेटी बिठाये जो इस मसले पर गौर करे और गौर करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाउस के सामने पेश करे।

हुजूरवाला, मैं खासतौर पर गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह जहां तक एग्रीकलचर का मामला है उसको खास तवज्जह के साथ देखे व लोगों को तकावी दी जाय। तकावी के मुताल्लिक मैंने बजट में देखा कि जो रकम पिछली मर्तबा रखी गई थी वही रक्खी गई है। मैं यह समझता हूं कि तकावी के लिये ज्यादा रकम रखी जाय। जमींदारी अबालीशन के बाद अब कंसालीडेशन जल्द से जल्द होना चाहिये।

हुजूर वाला, मैं चन्द अल्फाज एक्साइज (आबकारी) के मुताल्लिक अर्ज करूंगा। अभी कुछ दिन हुये मैंने कुछ सवालात इस हाउस में किये थे तो हमारे बुजुर्ग मिनिस्टर साहेब ने कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं यह देखने के लिये कि एक्साइज कहां तक कामयाब है। जिस सूरत से यह काम आजकल चल रहा है उसमें दिक्कतें हैं। इसलिये उसके लिये कमेटी बैठनी चाहिये। अभी तक वह कमेटी नहीं बैठी। बहुत सी चीजें मिसाल के तौर पर, टिंक्चर, जिंजर और इस तरह की बहुत सी चीजें आज बाजार में बिक रही हैं जिनसे नुकसान होता है। इसकी रोकथाम होने की बेहद जरूरत है।

बाज दोस्तों ने इस बात की भी शिकायत की कि पुलिस का बजट ज्यादा है और एजूकेशन (शिक्षा) का कम है। मैं समझता हूं कि यह चीज वाकयात के खिलाफ है। एजूकेशन का बजट बराबर बढ़ रहा है और पुलिस में कमी हो रही है। पुलिस का डिपार्टमेंट भी एक तरह से डेवेलपमेंट का डिपार्टमेंट है क्योंकि जब तक ला ऐंड आर्डर (व्यवस्था और शान्ति) नहीं कायम रहेगा तब तक इंडस्ट्री (उद्योग) या और कोई चीज तरक्की नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है कि मेरे पास वक्त कम है मगर मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा बातें मैं अर्ज कर सकूं करूं। हमें मसर्रत है कि प्लानिंग का मुहकमा हमारे चीफ मिनिस्टर साहेब के पास है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हम फिजिकल कल्चर को

[श्री सुल्तान आलम खां]

रिआर्गेनाइज (पुनः संघटित) करें। यह मुसल्लमा उसूल है कि जब तक कि कोई इन्सान मेंटली (मानसिक रूप से) और जिस्मानी दोनों तरह से दुरुस्त न हो वह कभी भी नेशन (राष्ट्र) के लिये मुफीद नहीं साबित हो सकता। नेशन बिल्डिंग (राष्ट्रनिर्माण) को आगे बढ़ाने के लिये सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हमारा कैरेक्टर (चरित्र) बने। इसलिये हमें इस तरफ भी खास तवज्जेह करनी चाहिये।

श्री देवनंदन शुक्ल (जिला देवरिया)---आदरणीय स्पीकर महोदय, जो बजट इस सदन के सामने उपस्थित है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उसमें प्रदेश की उन्नति के लिये चेष्टा की गई है, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास की कल्पना की गई है। श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा सरकार से यह कहना है कि अनाज की कमी को और लोगों की भूख की पीड़ा को हल करने की जितनी समस्या इस बजट में उपस्थिति की गई है वह पर्याप्त नहीं है। किसी समाज का बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्थान तब तक हर्गिज नहीं हो सकता जब तक जनता भूखों मरती है। लोग भूख से पीड़ित हैं। जब जनता भूख से पीड़ित हो और कराहती हो उस वक्त में बौद्धिक और सांस्कृतिक कल्पना की बात करना हिमाकत की बात समझता हूं। लोग क्षुधा से पीड़ित हैं और दुखी हैं विशेष कर पूर्वी जिलों के लोग आन दी प्वाइंट आफ स्टारवेशन (भूख के कारण मृत्यु के निकट) हैं। वहां गल्ला बहुत कम है। यद्यपि गवर्नमेंट ने पूर्वी जिलों का बजट में काफी ध्यान रखा है लेकिन जितनी तवज्जुह दी गई है वह पर्याप्त नहीं है और उससे वहां की भूख की समस्या हल नहीं हो सकती है।

पश्चिमी जिलों में नहरों का जाल बिछा हुआ है, ट्यूबवेल का जाल बिछा हुआ है इसके अतिरिक्त और भी सिंचाई के प्रबंध हैं लेकिन पूर्वी जिले इन सुविधाओं से वंचित हैं। कोई नहर पूर्वी जिलों में नहीं, ट्यूबवेल्स भी अब प्रारम्भ किये गये हैं। देवरिया जिले के कुछ सदस्यगण माननीय मुख्य मंत्री से वहां की स्थिति के बारे में मिले। इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पूर्वी जिलों की ओर गवर्नमेंट खास तौर पर तवज्जुह करेगी और यह भी कहा था 'At the cost of Western districts Eastern districts will be attended to" [पश्चिमी जिलों की ओर ध्यान में कमी करके पूर्वी जिलों की ओर ध्यान दिया जायगा।] यह उनकी बड़ी कृपा है और इसके लिये बजट में गवर्नमेंट ने प्रयत्न भी किया है। उसके लिये पूर्वी जिलों की जनता सरकार की अत्यन्त आभारी है, किन्तु श्रीमन् मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जो भी प्रयत्न बजट में किया गया है वह नितान्त ही अपर्याप्त है, उससे वहां की दरिद्रता नहीं मिटाई जा सकती। इतने से वहां के लोगों की भूख की समस्या हल नहीं हो सकती। ऐसी दशा में साहित्य, विज्ञान और संस्कृति की बातें करना मैं क्या कहूं हिमाकत ही है। इसके लिये दूसरा और कोई शब्द साहित्य में मुझे दिखायी नहीं देता। जब कोई आदमी भूख की ज्वाला से मरता हो तो उसे कोई और बात दिखायी नहीं देती है। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है "क्षुधा पीर सह सके न योगी" पूर्वी जिलों की यही हालत है। वे किस तरह से गुजर करते हैं इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

इस सदन के माननीय सदस्यगण इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वहां के निवासी कैसे गुजर करते हैं। आप यह जानते हैं कि सारे हिन्दोस्तान में जहां जहां कुलियों की जरूरत है वहां वहां देवरिया और गोरखपुर से कुली जाते हैं। दोनों जिलों की आबादी ४४---४५ लाख है और आज २० साल से देवरिया और गोरखपुर में ईख की पैदावार हो रही है इसके कारण वहां की सारी जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गयी है। अब वहां की भूमि कोई चीज भी पैदा करने योग्य नहीं रह गई है।

जमीन की फर्टिलिटी (उर्वरा शक्ति) समाप्त हो गई है। इन देवरिया और गोरखपुर जिलों से सरकार को करीब करीब ३ करोड़ रुपया चीनी सेस का मिलता है, अगर देवरिया और गोरखपुर के साथ बस्ती को भी मिला लिया जाय तो उन तीनों जिलों से सरकार को करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की आमदनी होती है। यह सेस की आमदनी सेन्ट्रल और प्राविंशियल गवनमेंट को इन जिलों से मिलती है। इस सिलसिले में यह भी कहना असंगत न होगा कि जितनी आमदनी सेस और रेवेन्यू (माल) की कुल प्रदेश भर की होती है उसका पांचवां भाग सिर्फ गोरखपुर डिवीजन से ही हो जाती है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं मंत्रिमंडल से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने करीब चार करोड़, साढ़े चार करोड़ रुपया सालाना मिलों से सेस लिया, आपने और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेकिन इसके एवज में आपने उन जिलों को दिया क्या? कुछ नहीं दिया। सिंचाई का वहां कोई प्रबन्ध नहीं है। वहां की सड़कें तो apology for roads (दयनीय दशा) में हैं। वहां की जनता तो यह समझती है कि पूर्वी जिलों के लोग hewers of wood and drawers of water (लकड़ी काटने वाले और पानी भरने वाले) का ही बर्ताव सरकार की ओर से पाते हैं। आज उन जिलों के लोगों की मांगों पर कोई तवज्जुह नहीं दी जाती। मुझे तो वहां के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करना है और वहां के लोगों की यह भावना है कि गोरखपुर डिवीजन की तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी जाती।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा वहां की जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि जनता ने मुझे चुन कर अपनी सेवा के लिये आपके पास भेजा है। उसकी भावनाओं को मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट के सामने उपस्थित कर रहा हूं। गवर्नमेंट के उच्चाधिकारी वहां जाकर, वहां रह कर लोगों की दैन्य परिस्थिति का व्यक्तिगत अध्ययन करें। इस माने में जो बजट पेश किया गया, यद्यपि मैं इस बजट की सराहना करता हूं तथापि मैंने तो कल्पना की थी कि इंडिपेंडेंस (स्वतन्त्रता) हो जाने के बाद और बालिग मताधिकार से असेम्बली का चुनाव होने के बाद इस असेम्बली मे जो बजट पेश होगा वह कुछ ऐसा नहीं होगा जैसा दकियानूसी ढंग का अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। लेकिन इस बजट में मुझे कोई मौलिकता नहीं मिली। मौलिकता का माने यह है कि बहुत आइटम्स (मदों) को रिजेक्ट (अस्वीकृत) करके गरीबी को दूर करने के लिये, दरिद्रता को दूर करने के लिये इस भूख की समस्या को हल करने के लिये लायन्स हार्ट ऐंड ईग्लिस आईज (शेर का कलेजा और गरुड़ की दृष्टि) लेकर बजट बनाया गया होता। और गरीबी की समस्या चीन और रूस जैसे देशों की तरह साल दो साल या तीन साल के अन्दर हल कर दी जाती। अरबों रुपया इस मुल्क का जो विदेशों से गल्ला खरीदने में चला जाता है वह हमारे लिये कोई श्रेय और गौरव की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार इन समस्याओं को हल करना चाहती है उससे मैंने ऐसे बजट की कल्पना की थी। लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी भी है जिससे वह नहीं हो पाया।

श्रीमन्, जो कुछ पूर्वी जिलों के बारे में बजट में चर्चा की गयी है उससे मैं समझता हूं कि गवनमेंट की तवज्जुह उस तरफ है लेकिन वह बिलकुल अपर्याप्त है। वहां की जनता की मांग है कि हमारी भुखमरी की समस्या का हल निकाला जाय। आप जानते हैं कि अनावृष्टि के कारण पूर्वी जिलों के लोग तो मरते ही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा अतिवृष्टि से भी मरता है। जब अतिवृष्टि होती है तो बाढ़ से करीब करीब गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती और बलिया के जिले तो बर्बाद हो जाते हैं। इसकी भी कल्पना आप नहीं कर सकते कि किस तरीके से ये बर्बाद हो जाते हैं। तो इस लिये नहर, ट्यूबवेल और पक्के कुओं की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त हमारी सर्विसेज (सरकारी कर्मचारियों) को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। पी० डब्लू० डी० तो खास कर जनता की विश्वासपात्री बिलकुल नहीं है। इट हैज टोटली लास्ट

[श्री देवनंदन शुक्ल]

दि कान्फीडेन्स आफ दि पब्लिक (जनता ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया) इस लिये सरकार की तवज्जह उस तरफ जाना चाहिये। एक्जीक्यूटिव सर्विसेज (प्रबंधक सेवाओं) पर भी जनता का विश्वास बिलकुल नहीं है। भ्रष्टाचार काफी मात्रा में है। हमारी कांग्रेस सरकार इन सर्विसेज के कारण बदनाम होती है। हमारे मंत्री महोदयों के सामने वह लोग हर मौके पर मीठी चुपड़ी बातें कर देते हैं लेकिन उनका संस्कार अंग्रेजी राज्य से चला आता है। उनके चरित्र में इतनी खामी है कि वह अपने मिनिस्टर के सामने सत्य बात नहीं करते। मैं नहीं कहता कि सभी झूठे हैं और चरित्रहीन हैं लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं और वे लोग जो नीचे से तरक्की पाकर ऊपर आये हैं जैसे कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, या पुलिस सर्विसेज में जो छोटे छोटे आदमी ऊपर चले गये हैं उनका स्तर बहुत गिरा हुआ है। इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

श्रीमती साबिया अब्दुल वाजिद (जिला बरेली)—जनाबवाला, मैं बजट को पेश करने पर अपने मिनिस्टर को मुबारकबाद देने से इस वजह से मजबूर हूं कि मैं यह समझती हूं कि मुझे यह हक हासिल नहीं है कि मैं मुबारकबाद पेश करूं। इस बात को तय करना कि यह बजट अच्छा है या पूरा उत्तर प्रदेश की जनता, जो उत्तर प्रदेश में रहती है और जिसकी नुमाइन्दगी करने का हक मुझे हासिल है, उसको है। मुझे यह कहने का हक तो है कि इससे यहां की जनता की खुशहाली हुई या बरबादी हुई। मुझे इस बजट के अन्दर दो बातें कहनी हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने दो खबरों अखबारों में देखी। एक तो "नेशनल हेराल्ड" में यह खबर थी कि एक औरत लखनऊ में पांच दिन की भूख की वजह से अस्पताल पहुंचाई गई। वह बेचारी बुड्ढी थी बेवा थी, खाने को मिल न पाया और इसलिये वह भूख की शिद्दत से बेहोश हो गयी और हमारे यहां पुलिस को उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। दूसरे एक तपेदिक का मरीज था, यह खबर आज के ही "नेशनल हेराल्ड" में छपी है कि वह दूकान के सामने पड़ा हुआ था कब्ल इसके कि पुलिसवाले उसे अस्पताल पहुंचायें वह मर गया। यह वह खबरें हैं जिन्हें देखने के बाद यह कहना कि यह बजट अच्छा है जरा मुश्किल काम है। मगर सवाल यह है कि अगर बजट अच्छा नहीं है तो अब वह वक्त आ गया है जब यह मान लेना चाहिये कि सूबे के लोगों की हालत अच्छी नहीं है और जब तक यह नहीं मानते तब तक वह कमी हर्गिज पूरी नहीं होगी और तब तक आगे जिन जिन बुराइयों को दूर करना है उनको दूर कैसे करेंगे। अब सवाल यह है कि इसको मानते हुये हम आगे क्या कर सकते हैं। बहुत सी बात ऐसी हैं जिनका कहना आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होती है। गवर्नमेंट की भी मजबूरियां हैं। यह कोई माकूल बात नहीं है कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज (आलोचना) तो करें, लेकिन उसकी मजबूरियों की तरफ कोई ध्यान न दें। आप ही सोचिये कि यह डेफिसिट (घाटे का) बजट है। इसमें कहां कहां खर्च करें और कहां कहां खर्च न करें यह सवाल पैदा होता है। यह भी सवाल है कि डेफिसिट बजट है तो टेक्सेशन (कर) भी कैसे बढ़ायें। टेक्सेशन का वक्त इसलिये नहीं है कि इस हालत में जब कि हमें यह मालूम है कि जनता के पास रुपये की कमी है। हाल यह है कि हमारे सेण्टर के एक मिनिस्टर साहब जब यहां तशरीफ लाते हैं तो कहते हैं कि लोगों की खाने पीने की हालत बहुत खराब है लोगों की माली हालत बहुत खराब है। इस हालत में अगर टैक्सेशन बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ायें, हमने बढ़ाया भी है लेकिन क्या यह सही रवैया होगा? लेकिन सवाल यह है कि अगर टैक्सेशन न बढ़ायें तो डेफिसिट (घाटा) कैसे पूरा हो। उसके लिये हम बहुत इत्मीनान से प्लानिंग (नियोजन) करनी होगी। और मुल्कों में भी जब ऐसी हालत पैदा हुई जो हमारे सामने मौजूद है कितब उन्होंने क्या किया। आजकल चीन का बड़ा चर्चा है। चीन को हमारे यहां से कुछ लोग भी गये थे। उनमें चेलापति राय भी थे। उनके आर्टिकल (लेख) मैंने पढ़े। उन जैसे आदमी जो इतने समझदार हैं और जो पोलिटिकल अफेयर्स (राजनीतिक मामलों) से इतने वाकिफ हैं अगर उनके आर्टिकलस से हम फायदा

न उठायें तो यह ज्यादती की बात है। उन्होंने बताया है कि चीन में इंडस्ट्रीज (उद्योगों) और एग्रीकल्चर (कृषि) को ठीक से डील किया है जिसकी वजह से उनको कितना फायदा हुआ है। दो साल के अन्दर उनकी प्राबलम्स (समस्यायें) किस हद तक हल हो गई हैं। अगर हम यह सोच लें कि हमने बहुत सी गलतियां की हैं, उन गलतियों को हमको दूर करना है और इस मुल्क को सही मानी मे आजादी दिलानी है, रोटी कपड़े की दिक्कत दूर करनी है, तो हम बहुत कुछ यहां कर सकते हैं। असल में हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह यह है कि अगर हम गांवों में जाते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का चोली दामन का साथ है। जब तक हम इन दोनों चीजों को साथ-साथ नहीं लेंगे हर्गिज कोई तरक्की न होगी। हमें यह सोचना है कि हमें हर चीज का सही सही इस्तेमाल करना है। करप्शन (भ्रष्टाचार) को दूर करने के लिये हमको क्या क्या स्टेप्स (कदम) लेने हैं। ये वह बातें हैं जिनका जब तक सही इस्तेमाल नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता। ऐंटी–करप्शन डिपार्टमेंट से हर्गिज करप्शन दूर नहीं हो सकता। जब तक आप जनता को तालीम न दें कि वह करप्शन को खुद दूर कर दे, जब तक उनको ऐसी तरबियत न दी जाय कि वह करप्शन को बुरी नजर से देखने लगे तब तक करप्शन हरगिज दूर न होगा बल्कि वह बढ़ता ही जायगा।

बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ हमको ध्यान करना है। अगर तरक्की के रास्ते की तरफ दरअसल जाना है तो लाजिमी है कि हम अपने यहां की एजूकेशन (शिक्षा) को बढ़ायें। आजकल मुझे यह मालूम हुआ है कि युनिवर्सिटीज मे जो सोशल सर्वे (सामाजिक पर्यालोचन) हुई थी उसमे पता यह चला कि चालीस फीसदी लड़के इन हालत मे तालीम पा रहे हैं कि वह गरीबी की वजह से रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और खाना अपने हाथ बनाते हैं। इन सब चीजों को हमें दूर करना है। हमें नयी नयी इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिये। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (कपड़े का उद्योग) जो हमारे यहां बहुत कमजोर हो रही है उसको तरक्की देनी चाहिये। यहां पर नयी नयी चीजें बनायें जिससे आइन्दा तरक्की हो सके वरना इस तरह से टैक्सेशन के जरिये से यह डेफिसिट पूरा हो यह कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता। अब वक्त ऐसा आ गया है कि जिनको अमीर कहा करते थे, उनकी भी हालत खराब है। ऐसी सूरत में आपके सामने बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर आप करें तो फायदा हो सकता है। आपके यहां से जो रुपया जाता है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो और रुपया इस तरह से खर्च हो जिससे उसका पूरा मुनाफा हमें मिले, तब हमारे लिये बेहतर हो सकता है। आप नयी नयी इंडस्ट्रीज खोलें, नयी नयी चीजें बनायें तो आप सरप्लस (आधिक्यपूर्ण) बजट बना सकते हैं। आपके यहां जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हिम्मत दिला सकते हैं। उनकी पूरी मदद करें। इस तरह से लोगों को मजदूरी दिला सकते हैं। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक कोई काम नहीं होगा। आप इस सूबे को कुछ हिस्सों में बांट दें और हर हिस्से को डाक्टरों के सुपुर्द कर दें कि फलां डाक्टर फलां हिस्से का इंचार्ज होगा जिसकी वजह से कम से कम यह हालत तो न होगी कि मरीज टी० बी० में मुब्तला है और वह अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकता।

इसी तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि खाली स्कीमें बनाने से मजदूरों का पेट नहीं भर सकता। जब तक आप इंडस्ट्रीज न बनावें और उनको बढ़ाने के लिये नई कम्पनीज और कारखाने नहीं खोलेंगे तब तक मजदूर का भला हर्गिज नहीं होगा। इस लिये कहना यह है कि वह वक्त आ गया है कि जब और मुल्कों की हालत को देखकर उनसे हम फायदा उठायें और खासकर चीन की मिसाल अपने सामने रखें। अगर वहां दो साल में करप्शन (भ्रष्टाचार) मिट सकता है तो हमारे यहां भी ५ साल के अन्दर खत्म हो सकता है। जबतक आप यह कोशिश नहीं करेंगे कि करप्शन मिटे और रोजगार बढ़े तब तक मुल्क की बेहतरी मुमकिन नहीं। अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो कोशिश यह कीजिये कि आइंदा जरूर करेंगे और इसके लिये सोच समझ कर प्लानिंग बनायेंगे। तभी यह खराबियां दूर हो सकती हैं।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, दो दिन से इस बजट पर बहस चल रही है और अनेक व्यक्तियों ने अनेक अनेक बातें कही हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट में बहुत परिश्रम के साथ इस प्रदेश के रहने वाले लाखों करोड़ों इनसानों के जीवन के प्रश्न की बहुत सी बातें रख दी हैं। मेरे बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं। बजट में तमाम विकास योजनाओं की बात है, जिसमें खेती-बाड़ी बढ़ाने की बात है और जिसमें मजदूरों के जीवन की बात है। अनेक योजनायें हैं। किसी देश के लिये, किसी प्रान्त के लिये बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। एक उस समय का बजट था जब सन् ३७ में हम यहां हुकूमत में आये और फिर सन् ४६ में आये, तो उस वक्त बहुत सी बातें इस तरह की थीं कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उन आन्दोलनों में खर्च किया गया था कि जो पार्टीशन (विभाजन) के बाद हमारे सूबे में हुये। अब यह शान्ति का बजट है, उद्योग धंधों का बजट है और इसके अनुसार यदि ईमानारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य किया गया तो इससे काफी लाभ हो सकता है।

अभी तक हमारे सूबे में अन्न की कमी रही और बाहर के देशों से अन्न मंगाया जाता रहा। उसके लिये लोग चाहते हैं कि हथेली पर सरसों जम जाय। लेकिन यह कैसे हो सकता है? नहर बनाने के लिये, ट्यूबवेल बनाने के लिये बहुत बड़ी योजना की जरूरत पड़ती है। हमारे सूबे के किसान सिर्फ पानी पर और प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहते हैं। तो पानी की कमी को दूर करने के लिये यह जो सन् १९५२-५३ का बजट है इसमें अनेक प्रकार की योजनायें रखी गयी हैं। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे सूबे में भुखमरी फैल रही है। लेकिन आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्या गवर्नमेंट जिसके हाथ में कुल अख्तियार हैं इसकी जिम्मेदार है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाहे आप कितनी ही योजनायें बनायें, चाहे कितने ही साधन प्राप्त करें, लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमारे सारे प्रयत्न एक व्यवस्थित ढंग से हों और देश के हित के लिये हों।

अभी उद्योग-धंधों की बात कही गयी। आप पिछले बजटों को देखिये, उनमें कभी भी रुपया उद्योग धंधों के लिये नहीं दिया गया। लेकिन इस साल के बजट में और इसके पहले के कुछ बजटों में रुपया दिया गया है। यही बात काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योग) के लिये है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एजूकेशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम यह महसूस किया करते थे कि हमारे यहां प्रत्येक बालक बालिका पढ़े, लेकिन आप देखिये कि बेसिक एजूकेशन (आधार भूत शिक्षा) आई। हमने गांव गांव में स्कूल खोल दिये। बेसिक शिक्षा का जहां तक संबंध है उसमें अनेक प्रकार की बातें हैं। उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना सुधार होगा और उनसे हमारे विद्यार्थियों को कितनी सहायता मिलेगी जो आगे चलकर अपने देश का निर्माण करेंगे और देश के स्वतंत्र नागरिक होंगे और क्या वास्तव में बेसिक एजूकेशन से उन्हें लाभ है। एक तरफ टीचर्स की बात आती है कि उनकी तनख्वाहें कम हैं। क्या इस बजट में इनकी तनख्वाहों के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है? मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन की बात कही गयी लेकिन क्या यूनिवर्सिटी एजूकेशन से अनएम्प्लायमेंट (बेकारी) नहीं बढ़ रहा है? क्या लाखों और करोड़ों विद्यार्थी जो स्कूल कालेजों से निकलते हैं वे सड़कों पर मारे मारे नहीं घूमते हैं? यदि इस अनएम्प्लायमेंट को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया गया तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक निकलेगा। जो विद्यार्थी वर्षों शिक्षा प्राप्त करता है, यदि उसको एम्प्लायमेंट नहीं मिलता है तो वह क्या खेत में जा करके हल जोतेगा? मैं यह कहूंगा कि हमारी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये जिस में उद्योग-धंधों की बात हो, उसमें ऐसी बात हो जिससे हमारे विद्यार्थी स्कूल कालेजों से निकलने के बाद खेतों में हल जोतें। वास्तव में जो आज हमारे स्कूलों और कालेजों में शिक्षा होनी चाहिये वह नहीं होती है।

इसलिये अगर आप यूनिवर्सिटी की एजूकेशन को बढ़ाते चले गये और अनएमप्लायमेंट की बात को पूरा नहीं किया, तो इससे हमारे देश का भला नहीं होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरिजन प्रोब्लम (समस्या) की बात थोड़े में आप के सम्मुख रखना चाहता हूं। जब पुरानी बातों की हम याद करते हैं, जब हजारों वर्ष की बातों को हम याद करते हैं, तो मैं इसको मानता हूं कि हमारा एक बिगड़ा हुआ समाज है जिसके लिये आपने गांधी जी के नेतृत्व में उदारता दिखलायी है। यहां पर हमारी सरकार ने २६,७२,७०० रुपया एजूकेशन पर खर्च करने की बात कही है, लेकिन अगर इस रुपये को बांटा जाय तो प्रत्येक विद्यार्थी पर एक वर्ष में दो आने और दो पाई आते हैं। इसके अलावा सुपरवाइजर्स हैं, रीजनल हरिजन सहायक आफिसर्स हैं। उन पर पैसा [illegible] किया जाता है लेकिन क्या उनको कोई पावर्स (शक्तियां) दी गयी हैं? एक सुपरवाइजर को २० रु० तनख्वाह होती है लेकिन आप उम्मीद यह करते हैं कि २० रुपये में वह तमाम जिले का दौरा करे। उसके बाद रीजनल हरिजन सहायक आफिसर्स हैं। उनको क्या कोई एक्जीक्यूटिव पावर्स दी गयी हैं? मैं ऐसे बहुत से उदाहरण जानता हूं कि छोटी छोटी बातों के लिये कहा गया लेकिन किसी भी बात को नहीं माना गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार की ओर से उदारता दिखलायी गयी है लेकिन आप यह देखिये कि सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट (सामाजिक अयोग्यता निवारण अधिनियम) पास हुआ मगर कहां तक उसका पालन किया जाता है? आज यह कहा जाता है कि हम हरिजनों को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आफिसर्स का सहयोग नहीं मिलता है। गांधी जी ने कहा था कि वास्तव में अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हरिजनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हरिजन प्राब्लम को साल्व (हल) नहीं किया गया तो देश में एक बहुत बड़ी कमी रह जायगी और उस कमी के रहने से बहुत पिछड़े हुये लोग समाज में रह जायेंगे। मैं मानता हूं कि इसके लिये बजट में ५० लाख रुपये का प्राविजन उपबन्ध है और पिछले आंकड़ों को देखने से भी पता लगता है कि सदैव उदारता दिखाई गयी है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, जिन के पास हरिजन विभाग भी है, वे इस बात को साफ करेंगे कि क्या आर्थिक प्रोग्राम इस संबंध में रखा गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि यह मंदिरों की बात नहीं है, यह कोई विशेष सामाजिक बात नहीं है। यह एक आर्थिक प्रोग्राम है जो वास्तव में अब लाना पड़ेगा और जिसके न लाने से यह जो समाज है जिसके उत्थान के लिये दस वर्ष के लिये योजनायें बनायी गयी हैं कि इतने दिनों में उनका स्तर इतना ऊंचा हो और जिसमें से दो वर्ष बीत गये और समस्या को सुलझाया न जा सका तो क्या नतीजा होगा। रिजर्वेशन (सुरक्षण) की बात आती है। बहुत से मेरे माननीय सदस्यों ने रिजर्वेशन (सुरक्षण) की बात कही। मैं साफ साफ कहने के लिये तैयार हूं कि उसका एक मजाक उड़ाया जाता है। हम मानते हैं कि दस, बीस लड़के पढ़ने वाले होते हैं लेकिन जिस तरह से बहुत से कोई हाई स्कूल और ग्रेजुएट लड़के मारे मारे फिरते हैं वैसे ही उनका भी हाल हो तो इसका असर पिछड़ी जाति के लोगों पर क्या पड़ेगा? हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की एक पालिसी है मगर उसके मुताबिक़ काम नहीं हो रहा है। आखिर ये बातें कब तक होती रहेंगी? मैं माननीय मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ देखें। आखिरकार जब रेक्रूटमेंट (भरती) होता है और उनके पास शिकायतें आती हैं तो वे क्या कहने के लिये तैयार हैं। वे एक सर्कुलर (परिपत्र) भेजें और देखें कि कितने हरिजन हैं। हरिजनों का रेक्रूटमेंट करने से एक तो छुआछूत खत्म होगी और हम लोग आगे तरक्की कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां बजट के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयीं हैं। मेरे लिये आज्ञा हुई कि केवल दस मिनट बोलूं। मैं अधिक नहीं कहूंगा। वास्तव में बजट एक बहुत ऊंचा बजट है जिसमें यह दिखलाया गया है कि इससे हमारा देश, हमारा सूबा सम्पन्न हो कर आगे चल कर किस तरीके से जनता के स्तर को बढ़ायेगा। जैसा कि मैंने बतलाया, हम हथेली पर सरसों

[श्री धर्म सिंह]

जमाना नहीं चाहते हैं, हम सही ढंग से समस्याओं का हल करना चाहते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब कि जनता का सहयोग सरकार को प्राप्त हो। एक तरफ आप हजारों स्कीमें बनाते चले जाइए लेकिन दूसरी तरफ अगर जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है और जो हमारे सरकारी अफ़सर हैं वे जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, तो कोई भी स्कीम कामियाब नहीं हो सकती एक स्कीम आती है बहुत उम्दा तरीके से उस स्कीम को लाया जाता है, मगर क्या कभी आपने यह भी देखा है कि जब एक स्कीम सस्पेंड (निलम्बित) हो जाती है और उस स्कीम पर लाखों रुपये बरबाद हो जाते हैं तो क्या वे आफिसर्स उसके जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने उसको शुरू किया ? मेरा यह सुझाव है कि स्कीम आने से पहले उनसे यह लिखा लिया जाय कि जो स्कीम आप चलाने जा रहे हैं क्या उससे जनता का वास्तव में लाभ हो सकेगा। अगर लाभ नहीं होता तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाय। अगर जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया बरबाद होता है तो उसके जिम्मेदार वे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, वास्तव में बजट ऊंचा है। इसमें सिंचाई के लिये व्यवस्था की गयी है और सेल्फ सफीशिएंसी इन फूड (खाद्यविषय में आत्मनिर्भरता) की ओर भी ध्यान दिया गया है। मगर जो आफिसर्स क्लास है वह नहीं चाहता कि कोई स्कीम पूरी हो और वे दफ्तरों में बैठे हुये गवर्नमेंट को गालियां देते हैं और उनका किसी तरह से सहयोग नहीं है। आप दूसरे मुल्कों को देखिये। आखिर वहां के जो आफिसर्स होते हैं क्या वास्तव में गवर्नमेंट को चलाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है ? क्या उनका वह देश नहीं है ? क्या यहां पर जो मंत्रिमंडल और कांग्रेस के लोग हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है ? तो मैं आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इन आफिसर्स के द्वारा कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है

एक बात मैं प्लानिंग (नियोजन) की कहूंगा। इन प्लानिंग आफिसर्स के द्वारा कोई सुधार होने वाला नहीं है, अगर जनता का उसमें सहयोग नहीं हुआ। वास्तव में जो आंकड़े दिये गये हैं अगर उनका प्रयोग किया गया तो जनता का स्तर ऊंचा उठेगा और सूबे की भी तरक्की होगी और अनाज की जो हमारे यहां कमी है वह भी पूरी होगी। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा समय देकर मेरे भाषण को सुना।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चीना पीक पहाड़ी के उच्च शिखर के नीचे नैनीताल के शुद्ध, सुखद और ठंडे जलवायु के मध्य ब्रुकहिल लौज में जब हमारे विधायक, हमारे मंत्रिमंडल के महानुभाव हमारे प्रांत का बजट बना रहे थे तो मुझे विश्वास होता था कि पहली बार ही मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं इस बजट के संबंध में माननीय वित्त मंत्री को बधाई दे सकूंगा। जब आर्थिक प्रशासन के इतिहास में पहली बार श्री राबर्ट वालपोल अपने बजट को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में गये थे तो उसी समय से वित्त मंत्रियों को बधाई देने की हर पार्लियामेण्ट या ऐसम्बली में एक परम्परा सी पड़ गई है। उस परम्परा के अनुसार उनकी मेहनत के लिये माननीय वित्त मंत्री और सारा मंत्रिमंडल बधाई का पात्र है। लेकिन जहां तक प्रांत के हजारों लाखों परिवारों के बिगड़े हुये बजटों को बनाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह बजट अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। यह ब्रुकहिल बजट एक बहुत ही नमकीन बजट है, इसमें मैं समझता हूं कि बजट के नमकीन होने की कड़ुवाहट करीब करीब सभी सदस्यों को मालूम हुई है। इसमें इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी रह गई हैं जो संविधान के अनुसार होना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि संविधान के अनुच्छेद २०२ (२) व (३) के अनुसार एस्टीमेट्स (प्राक्कलनों) में 'Charged upon, consolidated fund of the state' [राज्य की संचित निधि पर भारित] अंश अलग लिखा होना चाहिये। इसके चार हिस्से अलग-अलग होने चाहिएं। इसमें जगह-जगह लिखा तो हुआ है लेकिन सैपरेट अकाउन्ट (पृथक् लेखा) नहीं मिलता है जिससे मालूम हो जाय कि संविधान के अनुच्छेद की

पूर्ति की गई। इसके अलावा जमींदारी अबालीशन फंड (जमींदारी उन्मूलन निधि) का सवाल है। यह एक सिंकिंग फंड (ऋणशोधन निधि) है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ १६ पर कहा है कि यह रुपया स्टेट को प्राप्त नहीं होगा बल्कि जमींदारों को प्रतिकर के रूप में दिया जायगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि पब्लिक अकाउण्ट में २३ करोड़ ८४ लाख रुपया रखा गया है जब कि ३२ करोड़ रुपया रखा जाना चाहिये था।

इस साल के बजट के देखने से मालूम होगा कि यह तो कुछ गल्तियां ह जो मैंने आपको बतलाई। इसके अलावा जो हमारा नमकीन बजट है, उसके विभिन्न रूप हैं। ऐतिहासिक दृष्टि-कोण से यह एक कंजर्वेटिव (अनुदार) बजट है। इसके साथ साथ जहां तक इकोनोमिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण का प्रश्न है यह आर्थिक स्फीति को और बढ़ाने की संभावना का बजट है। इस मिक्सड इकोनौमी (मिश्रित अर्थव्यवस्था) तथा इंफलेशनरी टेंडेंसीज (मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति) वाले बजट का चेहरा पूंजीवादी है।

अब मैं संक्षेप में आपको यह बतलाने की चेष्टा करूंगा कि तदनुसार यह कैसे अनुदार बजट है। हमने देखा है कि अंग्रेजों ने जो हमारे देश में एक परम्परा चलायी थी वह आज तक चली आ रही है। उसमें आप देखेंगे कि पिछले साल के ऐक्चुअल्स (वास्तविक आंकड़े) वर्तमान वर्ष के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स (पुनरीक्षित प्राक्कलन) और अगले वर्ष के एस्टीमेट्स सामने रखे जाते हैं। मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा कि किस प्रकार यह उचित नहीं है। ऐक्चुअल्स इस साल के मालूम नहीं हैं और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स मालूम हैं और उसी आधार पर टैक्सेशन (करारोपण) हुआ करते हैं। उदाहरण के रूप में १९५०–५१ के क्लोजिंग बैलेन्स (अन्तिम शेष) के एक्चुअल्स अगर २ करोड़ ४६ लाख हैं तो रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में केवल ६१ लाख रुपया है। सन् १९५१–५२ में जब क्लोजिंग बैलेंस ठहराये गये तो दुहराये हुए तखमीनों में ९१ लाख रुपया था, लेकिन ऐक्चुअल्स ७ करोड़ १४ लाख रुपये हुये। इसी प्रकार जो मैमोरेंडम (स्मृतिपत्र) हमको दिया गया है उसके ५४ पृष्ठ पर १ करोड़ ८६ लाख ४४ हजार रुपया बताया गया है, लेकिन नीचे नोट लगा है कि वास्तविक बैलेंस २१ लाख ८० हजार रुपया है। जिस तरह से हमारा बजट ब्रिटिशर्स बनाते थे उन्हीं परम्पराओं पर अब भी बजट बनता है। हमारा यह बजट किसी नये तरीके पर होना चाहिये था। हमारे आज के माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी विषय पर ६ मार्च, १९३५ को केन्द्रीय बजट पर विरोधी दल की ओर से बोलते हुये कहा था—

"I feel, Sir, that if our figures were restricted to two years,— namely, the actuals for the preceding year and the estimates for the coming year, then that course would provide correct data for our budget, would remove the element of uncertainity and speculation, and might, in certain circumstances, save us against unnecessary burdens of taxation. I may just give an instance. In the year 1933-34, the actuals show a real surplus of 2,72 lakhs, while the revised estimate indicated only 1·29 lakhs. Had the Honble the Finance Member before him the actuals of the year 1933-34 when he framed the budget for 1934-35, perhaps he would have refrained from imposing some of the taxes that he then proposed. From several other points of view, too, it would be a better and financially a sounder method."

[श्रीमान् जी, मैं यह समझता हूं कि यदि हमारे आंकड़े दो वर्षों तक ही सीमित होते, अर्थात् गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े तथा आगामी वर्ष के प्राक्कलनों के आंकड़े होते, तो इस प्रकार हमारे आय-व्ययक में शुद्ध आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे, अनिश्चितता तथा अनुमान का तत्व निरस्त हो जायगा और सम्भवतः कुछ दशाओं में, हम लोग अनावश्यक कर-भार से बच सकें। मैं एक उदाहरण देता हूं। १९३३–३४ में वास्तविक आंकड़ों के अनुसार २७२ लाख का आधिक्य

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है जबकि पुनरीक्षित अनुमानों से केवल १.२९ लाख द्योतित हुआ। सन् १९३४–३५ का आय-व्ययक बनाते समय माननीय वित्त सदस्य यदि १९३३–३४ के वास्तविक आंकड़े अपने सम्मुख रखते तो सम्भवतः वे उन करों को न लगाते जो कि उन्होंने उस समय लगाये। अन्य कई दृष्टिकोणों से भी यह उच्चतर तथा आर्थिक रूप में एक ठोस रीति होगी।]

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस मामले में मैं अकेला नहीं हूं। हमारे सदन के नेता भी इस मामले में साथ हैं।

दूसरी कंजरवेटिव नीति यह है कि हमारा बजट अब भी अप्रैल फूल डे (मूर्ख दिवस) से शुरू होता है। पहली अप्रैल से चालू होता है। वेलबी व चेम्बरलेन कमीशन ने बताया था कि यह भारतीय परम्परा के अनुसार या तो १ अक्टूबर, १ नवम्बर या १ जनवरी से होना चाहिये क्योंकि हमारे बहीखाते दीवाली दशहरे पर ही बनते हैं। मानसून का खतरा भी लगा रहता है। तो अंग्रेजी परम्परा के अनुसार अब भी हम अपना बजट वाइज मेन डे (बुद्धिमानों के दिवस) से शुरू न करके अप्रैल फूल डे से शुरू करते हैं। मुझे खुशी है कि इस संबंध में भी सदन के नेता के विचार हमारे साथ हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा था ——

"Sir, in the circumstances of our country, a financial year the Ist of October or November would be more appropriate. We are mainly an agricultural people, our indigenous bankers renew their annual accounts from either the Diwali or the Dussehra, and the monsoon is an important factor. It has been repeatedly said that in our country the budget is a gamble in rains. So, if our budget year started on the Ist October or November, after the rains, that would suit this country better, and such a suggestion had, in fact, I think, been made by the Welby Commission."

[श्रीमान जी, हमारे देश की परिस्थिति में, पहली अक्तूबर या नवम्बर से आरम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष अधिक उपयुक्त होगा। हम मुख्यतया किसान लोग हैं। हमारे यहां महाजन लोग अपने खातों का नवीनीकरण दीवाली या दशहरे पर करते हैं और मानसून का विशेष ध्यान रखना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अनेक बार कहा गया है कि हमारे देश में बजट एक ऐसा जुवा है जिसका परिणाम वर्षा पर निर्भर करता है। अतः हमारा आय-व्ययक वर्ष, यदि वर्षा के उपरान्त पहिली अक्तूबर या नवम्बर को प्रारम्भ हो, तो वह इस देश के लिये अधिक उपयुक्त होगा। और वास्तव में मेरा विचार है कि वेल्बी कमीशन ने भी इस प्रकार का सुझाव दिया था।]

मैं समझता हूं कि हमको स्वतंत्र भारत के इस प्रथम प्रदेशीय बजट बनाने में इस ब्रिटिश परम्परा से मुक्त होना चाहिए था।

इसके अलावा अंग्रेजों ने शोषण की एक नीति और अपनाई थी। स्वायत्त शासन बजट, प्राविंशियल टैक्सेशन पालिसी और लोकल बाडीज टैक्सेशन पालिसी में कोई खास संबंध नहीं रक्खा था। आज भी हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपिल बोर्ड आदि स्वायत्त-शासन संस्थाओं के बजट के साथ हमारे बजट का कोई मेल नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है। इस मानी में भी हम ब्रिटिश परम्परा को कायम किये हुये हैं।

इसके बाद मैं टैक्सेशन की तरफ आता हूं। कहा यह गया है कि ४ करोड़ २४ लाख रुपये का घाटा है। मैं देखता हूं कि इसमें सरकार ने वही नीति अख्तियार की है जैसा कि बाइबिल में एक जगह दिखाया गया है।

"To those who have much, more shall be given, and from those who have little, that little shall be taken away."

[जिन लोगों के पास अधिक है उनको और भी दिया जायेगा और जिन के पास कम है उनसे वह कम भी ले लिया जावेगा।]

एक तरफ हम देखते हैं कि चीनी मिल मालिकों को पिछले साल पूरी शुगर केन सेस (गन्ना उपकर) के ३ करोड़, ९० लाख रुपये का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया गया तथा ५० फीसदी एक्साइज डयूटी (उत्पादकर) भी कम कर दी गई। दूसरी तरफ गरीब किसानों पर डेवलपमेंट के लिये डेवलपमेंट लेवी (विकास कर) और बेटरमेंट लेवी (उन्नति कर) लगाई जा रही है। इस तरह से बाइबिल की वह वक्रोक्ति आप लागू कर रहे हैं।

वित्त मंत्री जी दावा करते हैं कि हम प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कर लगा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट लेवी और बेटरमेंट लेवी दोनों एक साथ लगाई जायं। बजट के अनुसार एक ही क्षेत्र में डेवलपमेंट लेवी दो बार लगाई जा सकेगी। इसमें कहा गया है कि डेवलपमेंट लेवी जो है वह दुर्भिक्ष वाले एरिया में नहीं लगाई जायगी। यह साफ नहीं कहा गया है कि बेटरमेंट लेवी दुर्भिक्ष वाले एरिया में नहीं लगाई जायगी। इसके अलावा यह भी प्रतीत होता है कि बिना सिंचाई वाली और सिंचाई वाली दोनों जमीनों में करीब करीब बराबर का टैक्स लगाया जा रहा है। यह कहा गया है कि सारी बिना सिंचाई वाली जमीन पर भी कम दर वाला विकास टैक्स लगाया जायगा। इस प्रकार स्टेट प्लानिंग कमेटी और केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन दोनों की सिफारिश के विरुद्ध डेवलपमेंट और बेटरमेंट लेवी दोनों लगाई जा रही हैं, जब कि इर्रीगेशन रेट्स (सिंचाई की दर) अभी एक दो साल हुये, बढ़ाये गये हैं। तो यह बात कैसे उचित है इसके अलावा हमारे हाथ में यू० पी० इकोनामिक ऐण्ड रिसेंज की कमेटी की रिपोर्ट भी है।

हमारे यहां जो टैक्सेशन की प्रणाली है उसमें कुछ टैक्स मोटर विहिकल्स टैक्सेशन ऐक्ट, मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट और रजिस्ट्रेशन स्टाम्प टैक्सेशन ऐक्ट के द्वारा लागू किये गये हैं। इसके बाद सन् १९४८ ई० में इन सभी के यह रेट फिर बढ़ाये गये। आपने उस समय कहा है कि मुद्रास्फीति जो बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिये यह टैक्सेशन बढ़ाये जा रहे हैं। लेकिन आज क्या कारण है। आज मुद्रास्फीति कम हुई है तो फिर आप तीसरी बार टैक्सेशन को बढ़ाने जा रहे हैं। रिसोर्सेज कमेटी की रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन स्टाम्प टैक्सेशन नहीं बढ़ना चाहिये। सन् १९४९-५० ई० में हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में खुद कहा था कि इन्कमटैक्स (आयकर) हमारी यू० पी० की जनता की आबादी के अनुसार ही हमको केन्द्र से मिलना चाहिये। इन्कमटैक्स कमीशन की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन यह समझ में नहीं आता है, हमारी जनता के ऊपर टैक्स का भार और बढ़ाया जा रहा है। मोटर बसेज का रेट बढ़ाया जा रहा है। उसके लिये कहा जाता है कि मोटर पार्ट्स (पुर्जे) और टायर के दाम ज्यादा बढ़ गये हैं इसलिये किराया बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ पैट्रोल पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि ट्रान्सपोर्ट (परिवहन) का किराया बढ़े और उसके लिये कहा जाय कि पैट्रौल के दाम ज्यादा हैं और खुद पेट्रोल पर टैक्स लगा कर दाम बढ़ा रहे हैं। आप जिस सिद्धांत को अपने लिये सरकार के लिये लागू करना चाहते हैं वह जनता के लिये लागू नहीं करना चाहते हैं। रिसोर्जेज कमेटी की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कहा गया है कि—

Owing to an increase in the price of motor vehicles and an increase in the pay of drivers and the price of spare parts, Government servants and other private owners of motor cars are finding it increasingly difficult to own and maintain motor cars. In view of the above considerations the Committee is of the opinion that for the time the licence and registration fees of motor vehicles should not be increased at present"

[मोटर गाड़ियों के दाम बढ़ जाने के कारण तथा ड्राइवरों के वेतन व फुटकर पुर्जों के दाम बढ़ जाने के कारण, सरकारी नौकरों को व निजी मोटर गाड़ियां रखने वालों को मोटर गाड़ियां रखने और उनका रख रखाव करने में अधिकाधिक कठिनाई पड़ रही है। उपर्युक्त विचारों को दृष्टि में रखते हुये समिति की यह राय है कि मोटर गाड़ियों की लाइसेंस व निबन्धन फीस इस समय बढ़नी नहीं चाहिये।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

गवर्नमेंट अपने आप कमेटी बिठाती है और उसकी रिपोर्ट आने पर उस पर कोई ध्यान नहीं देती है और उसकी सिफारिश को लागू करना नहीं चाहती है।

इसके साथ साथ मैं सेल्स टैक्स (विक्रय कर) के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। आप सेल्स टैक्स को बढ़ा रहे हैं जब कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं आया है कि उसको बढ़ाया जाय। कमीशन ने केवल better coverage and administrations of sales Tax (बिक्री-कर का अच्छा प्रशासन और बृहत्तर प्रवर्त्तन-क्षेत्र) का जिक्र किया है बढ़ाने का नहीं। प्रोफेसर सी० एन० वकील ने इस सेल्स टैक्स के बारे में कहा है कि—

"Like other commodity taxes, the Sales Tax is regressive in character. It does not take into account the way in which the income is earned, the way in which it is spent, and the number of dependents or savings from income. It is a tax on consumption or on expenditure, and, as such, discriminates to the disadvantage of the poorer classes, who spend larger proportion of their income on necessities than the wealthier classes."

[अन्य वस्तु-करों की भांति, विक्रय कर भी प्रतिगामी प्रकृति का है। इसमें इन बातों का कुछ ध्यान नहीं रक्खा जाता कि आय किस प्रकार अर्जित होती है, किस प्रकार व्यय होती है, उससे भरणीय मनुष्यों की संख्या क्या है, या उसमें से क्या बचत होती है। यह कर उपभोग पर या व्यय पर लगता है और इस कारण से उन गरीबों के लिये हानिप्रद है जो कि सम्पन्नतर व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी आय का अधिक भाग आवश्यक वस्तुओं पर व्यय करते हैं।]

अगर सेल्स टैक्स बढ़ाया जाता है तो हर प्रकार से यह लागू हो जाता है। उपर्युक्त सिद्धान्त पुनः प्रोफेसर वकील ने अपनी किताब में कहा है कि—

"The Sales Tax is an indirect tax, likely to intensify the regressive nature of our present taxation system. From this general point of view the Sales Tax must be pronounced as unsuitable to Indian conditions."

[विक्रय कर एक अप्रत्यक्ष कर है और इससे हमारी वर्तमान कर प्रणाली की प्रतिगामी प्रकृति को बल मिलने की सम्भावना है। इस सामान्य दृष्टिकोण से विक्रय कर भारतीय परिस्थिति के लिये अनुपयुक्त घोषित कर देना चाहिए।]

प्रोफेसर वकील को सभी लोग चोटी का अर्थशास्त्रज्ञ मानते हैं। इन्होंने कहा है कि यह सेल्स टैक्स किसी तरह से भी नहीं बढ़ना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि यह बजट कंज्यूमर (उपभोक्ता) को ज्यादा कंज्यूम करने वाला है इट इज रादर मोर टू कंज्यूम दि कंज्यूमर यह उपभोक्ता को ही उपभोग करने वाला है)। जितना आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं वह सब कंज्यूमर (उपभोक्ता) के ऊपर जा रहा है।

हम समझते हैं कि जमींदारी अबालिशन से कुछ लोगों को आराम मिलेगा। मगर अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं अगर आप उनके ऊपर विचार करें तो स्टेट का बहुत लाभ हो सकता है। आपके पास २६ करोड़ रुपया मुआवजे के लिये आया है। अगर आप उससे एक फंड बनालें और मुआवजा न दें तो उससे बहुत सा डेवेलेपमेण्ट (विकास) का काम हो सकता है। मगर हमारी बात को कौन मानने वाला है? इसलिए मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट एक अमीरदारवादी बजट है और प्रांत की जनता के बोझ को किसी तरह से भी हल्का करने वाला बजट नहीं है। यह बजट उस चरमराती व्यवस्था का प्रतीक है जिसको हम सब का प्रथम कर्त्तव्य है कि हम समाप्त करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद और खास कर विरोधी दल में बैठे हुये कुछ सदस्यों की बात

तथा उनके भाषण जो इस सदन में हुये उनको सुनने के बाद मैं इस निश्चित मत पर आया हूं कि बजट के खिलाफ सैद्धांतिक रूप से, बुनियादी रूप से, कोई बात किसी के पास कहने की नहीं रही। मैंने देखा कि जब बजट के बारे में बात चीत की गई तो उसे परम्परावादी बजट बताया गया। लेकिन जब बजट के सम्बंध में भाषण देने का सवाल आया तो परम्परा के नाम पर २५, २५ और ४०, ४० मिनट और उससे भी अधिक समय तक बोलने की इजाजत मांगी गई। बहरहाल, इस बजट के संबंध में सिर्फ एक ही बात मैं कह सकता हूं और वह यह कि यदि बजट इससे भी कम होता तो हमारे प्रदेश की जनता को आज के युग में, जबकि हमारे देश और हमारे प्रान्त का निर्माण युग है, उसको बनाना है और उसकी बुनियाद उठाने का सवाल है, यह सहर्ष स्वीकार होता।

मुझे अधिक हैरत तब हुई जबकि कुछ दोस्तों ने चीन का हवाला दिया और कहा कि हमारी दिक्कत उसकी तरह से काम करने में जल्द हल हो सकती है। उन्होंने अपने दिलों में इसे ठीक ही समझकर कहा और उनका ऐसा विश्वास है। लेकिन उन्होंने हमारे संविधान के संबंध में जरा भी सोचने की कृपा नहीं की। जिस दिन तक हमारा मौजूदा संविधान है तब तक यहां चीन का तरीका राजकाज चलाने के लिये इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है। खासकर जब तक हम प्रजातंत्र की बात को मानते हैं तब तक 'विशिंग कोआपरेशन आफ़ दी पीपिल, (जनता के इच्छायुक्त सहयोग) के सिवा हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके दबाव पर हम चीन की तरह अपना शासन चला कर उसकी तरह उन्नति करने में सफल हों। हमारे यहां किसी सिद्धांत या उसूल को मनवाने के लिये जनता की राय काम करती है। दूसरी तरफ हमारे कुछ भाई ऐसी बातें करते हैं जिनसे डिक्टेटरशिप (तानाशाही) की बू आती है। आज जब जनता को समझाने के लिये वे जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी कर बढ़ाने वाली सरकार रूढ़िवादी सरकार है और दूसरी तरफ़ हम गवर्नमेंट के नौकरों की यूनियन बनाकर भाषण देते हैं कि वेतन बढ़ना चाहिये। तो ये दोनों बातें हमारी समझ में नहीं आतीं कि ऐसी बातें साथ साथ कैसे चल सकती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि बिना रुपया पाये हुये कोई सरकार कैसे उसे दूसरों को दे सकती है? सरकार के सामने कोई ऐसी दूसरी सूरत नहीं हो सकती। जहां तक मैंने इस भाषण को पढ़ा है मुझे तो निश्चित रूप से दूसरी बात नहीं मिली। जहां तक सेल्स टैक्स (विक्रय कर) और दूसरे टैक्सों का ताल्लुक़ है उसके संबंध में योजना बनेगी। हमारे विरोधी भाई की ओर से कल जब इस ओर के बैठने वालों के संबंध में कुछ बात कही गई और यह कहा गया कि सन् १९४०–४२ में कौन कहां बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे भाई को बजट के संबंध में कुछ कहना ही नहीं। वे तो केवल यह समझ रहे मालूम होते थे कि उनके पास १५ मिनट का समय कुछ न कुछ कहने के लिये है। अतः मैं इस बजट के संबंध में अपने वित्त मंत्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इसमें कोई बात सैद्धांतिक रूप की नहीं छोड़ी जिस पर हमला किया जा सके। यह तो अर्थ शास्त्रियों का निश्चित मत है, हमारे प्रान्त के ही नहीं, देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर सर्वमान्य अर्थशास्त्रियों का यह निश्चित मत है कि डेवलप्मेण्ट के स्टेजेज (विकास प्रकरणों) में मुल्क का बजट डेफिसिट (घाटे का) हो सकता है लेकिन वह १० वर्ष की मियाद से ज्यादा नहीं जाना चाहिये। दस वर्ष के एग्रीमेण्ट (जौड़) में किसी मुल्क का बजट डेफीसिट नहीं होना चाहिये। यह माने हुये अर्थ शास्त्रियों का सिद्धांत है। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने इसको नजर अन्दाज करके इस बजट को दिवालिया बजट, और बुरा बजट कहा है। इस बजट में तरह तरह की बातें बताई गई हैं और उनको कागज के अन्दर या जबानी मुंह से बुरा या अच्छा कह देना कोई मानी नहीं रखता है। खेत में जो किसान काम करता है, या फैक्ट्री में जो मजदूर काम करता है उसमें देश प्रेम की भावना जगाकर बुनियादी काम में, गृह-निर्माण की योजनाओं में सहयोग देने की भावना पैदा करना है। केवल इसी के द्वारा हमारा देश प्रगति कर सकता है।

यह किसका बजट है, मैं इसके बारे में कुछ कहने के लिये तैयार नहीं हूं। यह बजट किसी खास वर्ग का नहीं है। जहां तक डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) का ताल्लुक़ है कोई बजट किसी खास वर्ग के

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

लिये नहीं बनाया जाया करता। यह हो सकता है कि जिन लोगों का बहुमत हो यानी दबे हुये, शोषित, गरीब आदि लोगों के बारे में कुछ ज्यादा योजनाएं उसमें रखी गयी हों। खेतों के पानी के प्रबन्ध के विषय में, शिक्षा के विषय में, अस्पतालों के विषय में, ऐसी ही हमारी जो समस्याएं हैं, उनके विषय में जरूर कुछ ज्यादा जिक्र हो सकता है। हमारे देश में खाने-पीने की समस्या, शिक्षा की समस्या और बीमारी की समस्या आदि ऐसी समस्याएं हैं जो मुख्य हैं। कुछ लोगों का यह हाल है कि भवन के बाहर कुछ और अन्दर कुछ, अभी कुछ और थोड़ी देर बाद कुछ कहते हैं उनकी कोई खास निर्धारित नीति नहीं है। इस बजट के संबंध में भी इसी तरह की कई प्रकार की बातें कही गई हैं। उनमें भी उनकी वही हालत है। तेलंगाना और चीन की बात कह कर जमीन के बटवारे के संबंध में कहा गया लेकिन अपने देश के पूज्य नेता महात्मा गांधी के शिष्य संत विनोबा भावे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जो कि उसी भावना को लेकर घूम रहे हैं जो महात्मा गांधी ने हमको बताई थी, उनका तज़किरा किसी ने नहीं किया। हमारे भाई सब कुछ कानून द्वारा और सरकार द्वारा ही करवाना चाहते हैं और उसी परम्परा में विश्वास करते हैं, उसी परम्परा को चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिना जनता के हृदय में कोई बात बिठाये उस कानून को लागू कर दिया जाय। मैं कहूंगा कि आप उनमें जागृति पैदा कीजिये, मोटिवेट कीजिये और फिर उनके हृदय में जमीन के बटवारे की बात बिठाइये, लेकिन ऐसा असंभव मालूम होता है। ऐसी बात किसी के हृदय में भी नहीं आ सकती। आपको पहले जिसके पास भूमि है उसके हृदय और मस्तिष्क को बदलना होगा। आज हमारी खेती की यह हालत है कि प्रति एकड़ पांच छः मन गल्ला पैदा होता है जब कि बाहर देशों में बीस-बीस मन पैदा होता है। इन बातों पर विचार करना होगा। खाली इन बातों का हवाला देने से कुछ काम बनने वाला नहीं कि प्रोफेसर वकील ने यह कहा और उसने यह कहा। जब वह टैक्स लगाये जायेंगे जिनका जिक्र सरकारी बजट में है तब इन बातों पर विचार किया जायगा अभी तो यह सिद्धांत की बात है।

जहां तक श्रीमान् जी, इस बजट का संबंध है मैं पहिले ही वित्तमंत्री महोदय को धन्यवाद दे चुका हूं लेकिन उसके साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय को यह भी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे दुश्मन हैं, जो प्रतिक्रियावादी हैं वे किसी खास रंग की, पीले या लाल रंग की, टोपी पहिने हुये नहीं बैठे हैं। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वह काम करने की लचर आदतें हैं। मेरा मतलब उन लोगों से है जो कि करप्शन (भ्रष्टाचार) में विश्वास रखते हैं और जो उसे पूरी तौर पर करते हैं। जिस दिन मैंने बख्शी तालाब पर माननीय मुख्य मंत्री की तकरीर सुनी उसी दिन मुझे विश्वास हो गया कि जिस तरह का रास्ता उन्होंने अपनाया है उससे यकीनन हमारे शासन से यह चीज दूर हो जायगी।

जहां तक मजदूरों का प्रश्न है उसके लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि मजदूरों के मकान बनाने की योजना के लिये ७५ लाख रुपया रखा गया है। मुझे मालूम नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया क्या करेगी लेकिन मुझे आशा है कि हम इससे मजदूरों की दशा को सुधार सकेंगे। इन सब बातों को हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। आपकी आंखें करप्शन के खिलाफ होनी चाहियें, आपकी आंखें फिजूलखर्ची के खिलाफ होनी चाहियें। क्योंकि एक विभाग की बात मेरे पर्सनल नालेज (वैयक्तिक जानकारी) में आयी है कि हर विभाग यही चाहता है कि मेरे लिये एक अलग छापाखाना खोल दिया जाय। पंचायत राज वाले चाहते हैं कि मेरे लिये एक अलग ही छापाखाना खोल दिया जाय। गवर्नमेंट प्रेस में जब इन विभागों की तरफ से कोई कागज छापने के लिये दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे जल्दी छाप कर दे दिया जाय तो वहां के अफसर लिख देते हैं कि हम टाइम (समय) पर इसे नहीं छाप सकते हैं। अतः यह विभाग बाहर से छपवा लेता है। लेकिन इस तरह से प्राइवेट छापेखानों में अगर आप काम भेजते हैं तो आपके हजारों रुपये फिजूल में खर्च हो जायेंगे। गवर्नमेंट प्रेस में हजारों टेम्पोरेरी (अस्थायी) तौर पर काम करने वाले हैं। कई तो ४०, ४१ साल तक टेम्पोरेरी नौकरी करने के बाद रिटायर हो गये। तो मेरा निवेदन यह है कि छापेखाने में काम करने वाले जो अफसर हैं वे

हर डिपार्टमेंट के काम को समय के अभाव के कारण नहीं लेते हैं और इस तरह से बाहर छपवाने में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है।

मुझे विश्वास है कि आज हमारे सामने दो तरह के विरोधी हैं। एक तो प्रतिक्रियावादी हैं और दूसरे जो हैं वे अपने को अग्रगामी कहते हैं लेकिन दोनों ही वास्तव में रिएक्शनरी (प्रतिक्रियावादी) हैं। दोनों की आवाज एक ही है। जिस दिन डिपार्टमेंटल बजट पेश होगा उस दिन मैं इस संबंध में जो कुछ भी कहना होगा कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सदन के सामने बोलने का मौका दिया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट को यदि मैं एक निर्माणकारी और तामीरी बजट कहूं तो अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इसमें निर्माणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है। यही उचित भी था कि स्वतंत्र भारत हो जाने के बाद अमन और शान्ति स्थापित करते ही, विस्थापित व्यक्तियों को बसाते हुए, पंचायतें, जो हमारी रिपब्लिक की इकाई हैं, कायम करते हुए और साथ ही साथ जमींदारी प्रथा का विनाश करते हुए इस देश में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

मैंने परसों बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने विरोधी दल के नेता का भाषण सुना, इस आशा से कि मैं समझूं कि वे क्या सक्रिय सजेशन्स (सुझाव) इस बजट में पेश करते हैं और साथ ही साथ दूसरे विरोधी दल के लोगों के भाषणों को भी सुना। मैंने हर एक में यह खोजने की कोशिश की कि कौन कौन से सक्रिय सुझाव वे लोग पेश करते हैं जिससे कि हम सदस्यों का, इस सरकार का, इस प्रदेश की जनता का सब का भला हो सके। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विरोधी दल के नेता ने एक भी सक्रिय सुझाव इस सदन के सम्मुख नहीं रखा बल्कि मैं तो यह समझने पर मजबूर हो जाता हूं कि वह कंस्ट्रक्टिव रोल (रचनात्मक) नहीं अदा कर रहे हैं जिसके लिये वह जनता के सामने वोट मांगने के लिये गये थे और जिसके लिये उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया था कि इस प्रजातन्त्र के जमाने में एक पार्टी की हुकूमत अच्छी नहीं रह सकती है। उन्होंने जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया था कि प्रजातंत्र के जमाने में यह आवश्यक है कि दूसरी पार्टी कंस्ट्रक्टिव आपोजीशन (क्रियात्मक विरोधी दल) बनकर बैठे तो वह उन बुराइयों को, उन गलतियों को और उन खामियों को जो कि एक पार्टी की हुकूमत में सम्भवतः हों रोकने के लिये कोई सक्रिय सुझाव पेश कर सके। लेकिन मैंने देखा कि ऐसा निर्माणकारी बजट प्रस्तुत हो जाने के बाद भी हमारे विरोधी दल के नेता कोई सक्रिय सुझाव न दे कर छोटे मोटे सजेशन्स देकर डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले (विनाशक कार्य) कर रहे हैं। हमारे माननीय निहालुद्दीन साहब ने एक बिगड़े हुये रईसजादे का बजट इसको बताया, मुझे यह सुनकर खेद हुआ। बिगड़ाहुआ रईसजादा स्वभावतः अपनी झूटी इज्जत व शान के लिये व्यर्थ का अपव्यय करता है और किसी अच्छे काम में उसका पैसा नहीं लगता, लेकिन इस बजट में जितने भी खर्च दिखाये गये हैं वह निर्माण के कामों के लिये हैं, भले ही वह आमदनी से अधिक हों। अतः इसके लिये मैं वित्त मन्त्री को हृदय से बधाई देता हूं।

इसके साथ ही साथ विरोधी दल के नेता ने पंचायतों के सिलसिले में भी कुछ जिक्र किया कि गवर्नमेंट ने पंचायत राज को अपनी ही मजबूती के लिये कायम किया है। उनके सेक्रेट्रियों पर नियंत्रण रखने और ५० लाख रुपये वेतन देने की जो बात की है वह भी अपने शासन की मजबूती के लिये एक प्रयत्न है। इस सिलसिले में मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि पंचायत राज इस रिपब्लिक की प्रथम इकाई है जिसके लिये स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने एक स्वप्न देखा था। हमारी, आपकी सबकी इच्छा थी कि पंचायत राज कायम हो क्योंकि यह पंचायती

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

राज हमारे शासन के लिये एक ट्रेनिंग स्कूल हो सकता है। हमारे जितने लोग भी वहां से निकलेंगे वह अपना प्रबन्ध स्वयं करना और अपने देश का इन्तजाम करना कुछ वहां से सीखेंगे और अपनी व्यवस्था को सुधारने में तथा अपने ग्राम की दशा अच्छी करने में वह कुछ कर सकेंगे और लोगों को भरोसा के साथ ऊपर उठा सकेंगे। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस खास काम में भी विरोधी भाई कोई सहायता न दे सके। हां टांग खींचने की कोशिश की गई और बुराइयां ही बुराइयां बताई गईं, खराबियां बतलाई गईं, गवर्नमेंट पर दोषारोपण भी किये गये और यह सारी बातें भुला दी गईं कि उससे कितना बड़ा लाभ हमारे प्रदेश को पहुंचा है। पंचायतों के सिलसिले में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि उसमें इस प्रकार के गलत जजमेंट (निर्णय) दिये जाते हैं और ऐसे गलत फैसले किये जाते हैं लेकिन मैं अपने जिले की बाबत बतलाऊं कि हमारे यहां जितनी भी पंचायतें काम कर रही हैं उनमें से बहुत ही कम पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने गलत सलत काम किया है। जहां तक गलत फैसलों की बात है वह तो हमारे बहुत से तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर्स और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स भी कर देते हैं। उनके जजमेंट्स भी ऊपर की अदालतों से लौटते हैं। तो अगर इसी प्रकार से पंचायती अदालतों के जजमेंट्स रिवीजन (पुनर्वीक्षण) में डिप्टी कलेक्टर्स लौटा देते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात मैं नहीं समझता क्योंकि उनमें तालीम की कमी है, उनको उतना तजुर्बा नहीं है जितना कि हमारे तहसीलदारों को, हमारे डिप्टी कलेक्टर्स और हमारे जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स को है। अगर वास्तव में ऐसी खामियां हैं तो आवश्यक है कि हम उन खामियों को दूर करें जो हमारी पंचायती अदालतों में और सरपंचों में बतलाई जाती हैं। मुझे यह आशा है कि हमारी पंचायतों को जो कि एक ट्रेनिंग स्कूल हैं, हम सब मिल कर सहयोग देंगे जिससे हमारे वह इकाइयां भविष्य के नियोजन और विकास कार्य में ठोस कदम उठा सकें, जिसकी ओर हमारा प्रदेश ही नहीं वरन् समस्त देश देख रहा है कि किस प्रकार हमारे देश का विकास और नियोजन कार्य बढ़ेगा। मैं यहां यह कहने के लिए तैयार हूं कि आगे के लिए चाहे प्रोक्योरमेंट (वसूली) की स्कीम हो, या कोई दूसरी स्कीम हो, जितने भी विकास के कार्य होंगे, चकबन्दी व सहकारी काम अथवा जितना भी सहकारिता के आधार पर बिक्री का कार्य किया जायगा, इन सबमें हमारी पंचायतें और गांव सभायें काफी इमदाद कर सकती हैं। इसलिए मैं अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर स्वशासन मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि दृढ़ता के साथ इस कानून में, जो भी कमी समझी जाय, और सम्भव है कि मैं भी कोई सक्रिय सुझाव दे सकूं, उन सबको दूर करके इसे सफल बनाने का प्रयत्न किया जाय। इसमें हम कांग्रेस वाले और विरोधी दल के सदस्य भले ही वह लाल या पीली टोपी रखते हों उन सबका यह फर्ज हो जाता है कि वे इस कार्य में सहयोग दें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा का जो तरीका है, मैं समझता हूं कि उसने काफी अनएम्पलायमेंट (बेकारी) बढ़ा दिया है। एक अच्छी मिसाल याद है। एक बी० एस० सी० लड़का जिसने एम० ए० पास किया है ७५ रुपया की सुपरवाइजरी की नौकरी के लिए दरख्वास्त देता है। तो आज दशा यह है कि बी० ए०, बी० एस० सी० और एम० ए०, एम० एस सी० छोटी छोटी तनख्वाहों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अगर किसी छोटे से स्कूल की मास्टरी या अन्य क्लर्की के लिए दरख्वास्तें मांगी जायं, और पांच छः जगहें हों, तो हजारों उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आ जायंगी। इससे स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली से काफी बेरोजगारी बढ़ी है। इस लिए हमें टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस (प्राविधिक और व्यावसायिक संस्थाएं) खोलने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन इंस्टीट्यूशंस को सरकार जितनी भी मदद दे सके उतना ही हमारे नवयुवक अपने देश के निर्माण कार्य में लग सकेंगे और उतनी ही हमारी बेरोजगारी दूर हो सकेगी।

मुझे रोड्स (सड़कों) के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है। केवल ७१० लाख रुपया सड़कों के निर्माण के लिए हमारे बजट में रखा गया है। इस सिलसिले में मैं अपने निर्माण-मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें हर एक जिले का ध्यान रखना चाहिये, लेकिन न जाने मुज़फ़्फ़र-नगर की क्या बदकिस्मती है कि एक अर्से से कोई भी पैसा हमारे जिले की सड़कों पर, और विशेषकर नयी सड़कों पर लगाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। बुढ़ाना जो कि अपनी तहसील का हेडक्वार्टर है, वहां एक पुल पांच छः साल से टूटा पड़ा है। लोकल बाडीज (स्थानीय निकायों) में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको बना सकें। वहां की सड़क जिस पर हज़ारों लोग प्रतिदिन मुज़फ़्फ़रनगर सदर में आते हैं उसकी भी बड़ी बुरी दशा है। लेकिन उस दस मील के टुकड़े को बनाने के लिये भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। हस्तिनापुर में आपने करोड़ों रुपया लगा कर वहां का डेवलप्मेंट (विकास) किया है, वहां का विकास किया है और लोगों को बसाया है। हमारे गोर्धनपुर परगने में तीस हजार एकड़ बंजर पड़ा हुआ है। वहां पर लोगों ने स्वयं हजारों एकड़ भूमि तोड़ी है। अगर वहां बराबर बंजर टूटता भी चला जाय, किन्तु उनकी पैदावार की वस्तुओं को बेचने का कोई समुचित प्रबन्ध न हो सका तो इससे उनको बड़ी भारी दिक्कत होगी। हस्तिनापुर में सरकार ने इतना बड़ा कार्य किया है। एक डेवलप्मेंट स्कीम गवर्नमेन्ट ने स्वयं अपने खर्च से बनायी और उसे लागू भी किया। मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करता हूं कि मुज़फ़्फ़रनगर के गोर्धन-पुर परगने की ओर, जिस में तीस हजार एकड़ बंजर पड़ा हुआ है, जिसमें से दसियों हजार एकड़ भूमि तोड़ी भी जा चुकी है उसकी ओर ध्यान दे और उसकी सड़कों व पुल वगैरह की ओर विशेष ध्यान दे।

मैं पी० डबलू० डी० मुहकमे की बुराई की बाबत संकेत कर देना मुनासिब समझता हूं और मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि ५० फी सदी रुपया जो पी० डब्लू० डी० में निर्माण कार्यों के लिये रखा जाता है वह बेकार जाता है। अभी अभी मुज़फ्फरनगर में कुछ रिफ्यूजीज क्वाटर्स (शरणार्थियों के मकान) बने हैं। मुझे ही नहीं वरन् हर किसी व्यक्ति को जो उन क्वार्टर्स को देखेगा उनक बारे में जानकारी हो सकती है। पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर के मकान के सामने ही वे क्वार्टर्स बने हैं और कोई भी उस सीमेंट को जो उनमें लगाया गया है हाथ से उखाड़ सकता है। जरा सी बरसात में ही उनमें से बहुत से क्वाटर्स चूने लगे हैं। इसी प्रकार के क्वार्टर्स श्यामली में भी बने हैं। तो मैं निर्माण मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस वेस्टेज और करप्शन (अपव्यय व भ्रष्टाचार) को जो उनके मुहकमे में हो रहा है रोकने का पूरा प्रयत्न करें। उसी समय हमें उस रुपये के जो उनके मुहकमे में रखा गया है सदुपयोग में सफलता हो सकती है वरन् ७१० लाख रुपया जो सड़कों और भवन निर्माण के लिए रक्खा गया है सम्भव है उसमें से ३५० लाख रुपया ही किसी प्रकार के कार्य में काम आ सकेगा।

बजट पर बहस के सिलसिले में चीन के विकास का भी जिक्र किया गया। मुझे उस समय बड़ी हैरत हुई जब हमारे बहुत से कांग्रेस के साथी भी चीन के विकास का जिक्र करते हुये उससे हमारे देश की तुलना करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि जो वहां की परिस्थिति है वह हमारे देश की नहीं और जिन उसूलों के आधार पर हमारा देश स्वतंत्र हुआ और जिन उसूलों पर हमारा देश बढ़ना और तरक्की करना चाहता है वह उसूल चायना के उसुलों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, उनसे बिल्कुल ही दूसरे हैं। हमारे देश में तो सत्य और अहिंसा के आधार पर आजादी की नींव रखी गयी और अहिंसा और सच्चाई के आधार पर ही यह देश ऊपर उठना भी चाहता है। इस देश में यह इच्छा किसी की भी नहीं कि इस प्रकार हिंसा के हथियारों का सहारा लेकर और सड़कों पर गोलियां चलाकर और लोगों को न्याय का मौका दिये बगैर खत्म करके इस देश में शासन-व्यवस्था कायम की जाय।

इसके साथ ही, साथ 'मैं ग्रो मोर फूड' (अधिक अन्न उपजाओ) के संबन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश में अन्न की एक बड़ी भारी समस्या है और गवर्नमेंट काफी हद तक

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

उसको सुलझाने में सफल भी हुई, लेकिन मुझे यह निवेदन करना आवश्यक है कि चकबन्दी की स्कीम जिसको आन प्रिंसीपल (सिद्धांतः) गवर्नमेंट ने भी स्वीकार किया है, अगर उसको तुरन्त ही लागू कर दिया जाय तो हमारी खाद्य की समस्या बहुत हद तक हल हो जायगी और जब उन इरिगेशन (आबपाशी) के जरिये को बढ़ाया जायगा जिनको इस बजट में मुहइया किया गया है तो उससे भी वह समस्या हल हो सकेगी । "ग्रो मोरफूड स्कीम" द्वारा मैं समझता हूं कि कार्य अच्छा बढ़ाने में गवर्नमेंट सफल रही है, लेकिन साथ ही मुझे भय है कि जितना उस पर व्यय किया गया उतना उत्पादन अन्न का नहीं बढ़ा है । इसलिये मुनासिब है कि उसके साथ हमारी चकबन्दी और इरिगेशन की योजनाओं को भी तुरन्त लागू कर दिया जाय । इस संबंध में मुझे एक बात और कहनी है कि जहां गवर्नमेंट किसानों को इरिगेशन की सुविधाएं देने का इरादा रखती है और उत्पादन बढ़ाकर तथा अन्य उपायों से भाव गिराने का इरादा रखती है वहां आबपाशी के रेट (दर) को दुगुना करने का भी इरादा रखती है । उससे किसान जो गिरते हुए भाव में अपने को संभालना चाहते हैं संभल नहीं पायेंगे और उनकी प्रोडक्टिव पावर (उत्पादन शक्ति) भी घटेगी । इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा इरिगेशन के मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इन गिरते हुये भावों के समय और किसान की इस कमजोरी की परिस्थिति में आबपाशी की दरह बढ़ाने की ओर ध्यान न दें ।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर अपने विचार प्रगट करने से पहले मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूं इसलिये कि जिस प्रकार से यह बजट पेश किया गया है और जिस ढंग से बनाया गया वह उन्हीं के मुआफिक था ।

अध्यक्ष महोदय, बजट का अध्ययन करने से और दो रोज तक उस पर बहस सुनने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह बजट बड़ा पालिश्ड और चमकीला है । लेकिन यह भी सही है कि 'आल दैट गिलिटर्स इज नाट गोल्ड" (सभी चमकने वाली वस्तुयें सोना नहीं होती)। इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बजट को एक तस्वीर बतलाया है, तस्वीर खींचने वाले मंत्री एक अच्छे आर्टिस्ट या फोटोग्राफर कहे जा सकते हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि तस्वीर बहुत अच्छी है लेकिन जब हम तस्वीर या फोटो का वास्तविक ढांचा देखते हैं तो कुछ दिल में दुख होता है । मैंने इस बजट को दूसरे रुख से भी अध्ययन किया कि मैं यह देखूं कि इस सारे प्रान्त का जो ६०, ६५ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है वह किस सिद्धांत पर, किस बेसिस पर, किस पैमाने पर भिन्न भिन्न जिलों में खर्च किया जा रहा है । माननीय वित्त मंत्री ने कर लगाने में कुछ नीति या पैमाना निर्धारित किया है । टैक्सेशन (करारोपण) के विषय में उन्होंने अपने बजट भाषण में यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी परिस्थिति या उसकी सामर्थ्य के अनुसार इसका भार ग्रहण करना पड़ेगा अर्थात् उससे कर वसूल किया जायगा । दूसरे कर के संबंध में उन्होंने यह बताया कि जिस अनुपात से किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा की गयी विकास योजनाओं से लाभ होगा, उसी अनुपात से उससे डेवेलपमेंट लेवी लिया जायगा । इस डेवलपमेंट लेवी (विकास कर) के विषय में मैं फिर कहूंगा लेकिन इतना मैं मानता हूं कि कुछ सिद्धांत तो है जिसके मातहत कर लिया जा रहा है ।

खर्च के संबंध में भी मैंने बजट में टटोलने की कोशिश की कि इतना रुपया ५१ जिलों में या ६ करोड़ जनता पर किस सिद्धांत पर खर्च किया जा रहा है, आबादी के लिहाज से या क्षेत्रफल के लिहाज से या जरूरत के लिहाज से या किस लिहाज से खर्च किया जा रहा है । लेकिन मैं असमर्थ हूं, मैंने कोई सिद्धांत नहीं पाया । अगर इस मामले में भी कोई सिद्धांत या पैमाना मान लिया जाता तो शायद इस सदन में जो जिलेवार खींचातानी होती है उसमें समय नष्ट नहीं होता । पूर्वी जिलों के लोग यह कहते हैं कि पूर्वी जिलों के लिये कुछ नहीं किया गया । हमारे पहाड़ी प्रांत के भी सदस्यों ने यह कहा है कि वहां के लिये कुछ नहीं रखा गया है । शिकायत

करने की गुंजाइश इसलिये भी होती है कि कोई सिद्धांत नहीं है। यदि किसी सिद्धांत के आधार पर इतना रुपया खर्च किया जाता तो शायद हम लोगों को बोलने का मौका न होता। हम लोग यह सोचते कि अगर इस साल कुछ नहीं हुआ है तो दूसरे साल होगा।

बजट में कोई ऐसा भी प्लांड प्रोग्राम (नियोजित कार्यक्रम) नजर नहीं आया कि इस साल इतने मील मोटर सड़क बनेगी, इतने मील दूसरी सड़क बनेगी, या इस साल इस जिले में यह हुआ और दूसरे साल उस जिले में यह होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं इस बजट को एक बैलेन्सड प्लांड (संतुलित नियोजित) बजट नहीं कह सकता। यह बजट एक हैफैजर्ड (जल्दी के) तरीके से बनाया हुआ मालूम होता है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सरकार की जो नीति या प्रोग्राम है उसका विवरण दिया है जाहिर है कि बजट से या बजट भाषण से सरकार की नीति और प्रोग्राम का पता चलता है। तो जहां तक बजट भाषण का संबंध है उनकी पहली नीति यह है कि जनता का आर्थिक विकास हो और उसकी सांस्कृतिक और मानसिक उन्नति हो। भाव तो अच्छा है, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूं। और इससे अधिक चाहिये क्या? अगर जनता का आर्थिक विकास हो सकता है, उसका मानसिक विकास हो सकता है तो फिर जनता को और चाहिये क्या? लेकिन जब हम भाषण में यह देखने की चेष्टा करते हैं कि ऐसा करने के लिये व्यवस्था कौन सी की गयी है तो वह नहीं पाते हैं। यह जो प्रस्ताव रखा गया है वह किस प्रकार से गवर्नमेंट पूरा करने जा रही है। बजट से साफ़ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में उसका मानसिक और आर्थिक विकास करने के लिये समान अवसर प्राप्त होंगे। यह तो ऐसा है जैसे हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और।

हम कैसे मान सकते हैं कि इस बजट से प्रत्येक जिले में लोगों का आर्थिक और मानसिक विकास हो सकेगा? मैं अपने जिले से चलता हूं। "चैरिटी बिगिन्स ऐट होम बट इट शुड नाट एण्ड देयर" (दान का आरम्भ घर से होता है पर इसकी समाप्ति वहां नहीं होनी चाहिये)। हर एक व्यक्ति अपने घर से चलता है। जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है पहाड़ी प्रांतों के वास्ते साढे छै लाख रुपया रखा गया है। जैसा मैंने पहले कहा, किस आधार पर, यह मैं नहीं जानता हूं। न तो क्षेत्रफल के लिहाज से, न आबादी के लिहाज से और न जिलों के लिहाज से यह रखा गया है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाय तो एक आदमी पर दस रुपये आता है? अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाय तो एक वर्ग मील पर छै हजार रुपये खर्च होते हैं और अगर जिलों के लिहाज से देखा जाय तो एक करोड़ १७ लाख के करीब फ़ी जिला आता है। तो आर्थिक विकास के लिये साढे छै लाख रुपया चार पांच जिलों के वास्ते रखा गया है। इससे क्या आर्थिक विकास हो सकता है यह मैं नहीं समझ सकता हूं।

आर्थिक विकास के लिये छोटी मोटी नहरें होनी चाहियें। बड़ी नहरों को तो बन्द ही कर दिया गया है। वह इसलिये कि वहां नहरों पर ज्यादा खर्च होता है और नहरें खुद अपने खर्च को बरदाश्त नहीं कर सकती हैं। मैं यह कहता हूं कि वहां छोटी छोटी नहरें अगर न भी दी जायं तो कम से कम भूमि व्यवस्था तो की जाय। खेतीहीन लोगों को कम से कम कुछ जमीन तो दिलायी जाय। इस मामले में बहुत दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है। इस संबंध में पहले से लोगों की दरख्वास्तें मौजूद थीं, मगर बाद में कुमायूं नव आबादी ऐक्ट लगाया गया और वे दरख्वास्तें रद्द की गयीं और कहा गया कि इस ऐक्ट के मुताबिक फिर से नयी दरख्वास्तें दी जायं। उसके अनुसार भी हजारों दरख्वास्तें पेश हो चुकी हैं लेकिन कुमायूं नव आबादी ऐक्ट के जो रूल्स नियम हैं वे इतने जटिल हैं कि उसके अनुसार एक इंच भी जमीन मिलना मुश्किल है। टेहरी में जहां मकानों के पीछे मुनारे लगे हुये हैं उसके विषय में सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि उनको कम से कम पीछे हटा दिया जाय ताकि जंगलों को अधिक नुक्सान न रहे और गरीब किसानों को तथा हरिजनों को भूमि देने की कुछ व्यवस्था हो सके। लोग इस आशा में बैठे थे कि सैटिलमेंट (बन्दोबस्त) हो रहा है, डिमारकेशन

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

(निशान लगाना) हो रहा है, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जायगा। लेकिन पता चला कि जो आफिसर हैं उनको एक इंच भी मुनारा हटाने का अधिकार नहीं है और न उनको हटा सके। जब यह हालत है तो आर्थिक विकास का स्वप्न देखना और यह कहना कि गवर्नमेंट की इस नीति से कुछ फायदा होगा, गलत है।

दूसरी ओर जहां इंटेलेक्चुअल (बौद्धिक), सांस्कृतिक और मानसिक विकास का सवाल हमारे सामने आता है तो मैं समझता था कि हमारे पहाड़ी इलाकों में आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से अवश्य गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिये कुछ न कुछ रखा होगा। मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि इस वर्ष एक काम जरूर किया गया है कि वहां जो डिप्टी इंसपैक्टर आफ स्कूल्स का आफिस है उसके हैड क्लार्क की जो एक पोस्ट थी उसको जरूर परमानेंण्ट (स्थायी) कर दिया गया है। यह काम जरूर हुआ है बाकी और कुछ नहीं हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका सांस्कृतिक और मानसिक विकास किस तरह से हो सकता है। वहां की हालत मैं आपको बतालाऊं कि सारे जिले भर में ४,५०० वर्ग मील के एरिया में एक भी डिग्री कालेज नहीं है, सिर्फ एक ही इन्टर कालेज है। महाराज साहब के समय में चन्द लोग छात्रवृत्ति लेकर अथवा वहां के जो उच्च कर्मचारी थे उन्होंने अपनी तनख्वाह के जरिये अपने बाल बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये प्लेन्स (मैदान) में भेजा जिससे वहां पर मुश्किल से ४०-५० ग्रेजुएट्स मिल सकते हैं। लेकिन अब छात्रवृत्ति तो बन्द हो चुकी है और डिग्री कालेज वहां कोई नहीं है। गरीब जनता इतनी सामर्थ्य नहीं रखती है कि वह अपने बाल बच्चों को जिले के बाहर मैदानों में उच्च शिक्षा के लिये भेज सकें। इसके साथ साथ एक दिक्कत और भी है और वह यह है कि वहां आने जाने के साधन कुछ भी नहीं हैं। अगर ८०-१०० मील पैदल चल कर देहरादून में आ जाय तो उसको ऐडमीशन (प्रवेश) मिलना मुश्किल हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो इतने पिछड़े हुये लोग हैं उनका आर्थिक विकास हो सकता है और सरकार यह कहती है कि हमारी नीति यह है कि सब का विकास हो। मैं कहता हूं कि अगर सरकार यह कहती कि हमारी यह नीति है कि कुछ व्यक्तियों का ही आर्थिक और मानसिक विकास हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर पालिसी यह है कि सबका विकास हो तो कुछ न कुछ अनुपात होना चाहिये। ऐसी हालत में हम देखते हैं कि यह बजट ठीक नहीं है।

श्री विष्णुशरण दुब्लिश (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, जो बजट आज हमारे सामने पेश है भिन्न भिन्न सदस्यों ने अपनी भावना के अनुसार उसका भिन्न भिन्न रूप देखा। किसी ने उसको निकम्मा, रद्दी की टोकरी में डालने लायक बताया, किसी ने उसको दिवालिया बताया, किसी ने उसको अमीरों का बजट बताया। एक सदस्य ने अपनी स्पीच में उसको नमकीन बजट बताया। जिसका जो भाव था उसी भाव के अनुरूप उसने बजट को देखा। मैं यह समझता हूं कि यह बजट एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुये देश का बजट है। मैं जानता हूं कि इस बजट के बनाने वालों के सामने, जिस वक्त वह बजट की रकमें डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) करने के लिये बैठे होंगे, हजारों समस्यायें उनके सामने नाचती होंगी। उस वक्त उनको सोचना पड़ता है कि इनमें से किन चीजों को ले लें और किनको छोड़ दें। कोई यह दावा नहीं करता कि हमारे प्रदेश की जितनी जरूरी समस्यायें हैं इस बजट के द्वारा उनका समाधान हो गया। अगर हमारी समस्यायें इतनी आसान होतीं कि एक लाख के बजट से हम उनको पूरा कर सकते तो हमारे देश के जो कर्णाधार हैं उनको ऐसा करने में खुशी होती। हमारे देश की जो समस्यायें हैं उनके बारे में इधर और उधर वाले और बाहर वाले सबकी एक ही राय है। हममें से हर एक मानता है कि हमारे देश में अन्न की कमी है। हमारे देश में अगर अन्न की कमी न होती तो जो अरबों रुपया अन्न खरीदने के लिये हम व्यय करते हैं, बाहर भेज देते हैं वह बच जाता। अगर हमारे देश में अन्य वस्तुओं की कमी न होती, अन्न की उपज बढ़ाने के साधनों की कमी न होती तो हमारा बहुत सा रुपया बाहर जाने से बच जाता। आप सब जानते हैं कि १०० एकड़

जमीन में से केवल १९ एकड़ जमीन में किसी तरह से आबपाशी होती है, । हमारे लिये खाद की भी समस्या है। रिश्वत और भ्रष्टाचार की भी समस्यायें हमारे सामने हैं। सरकारी सर्विसेज का ही नहीं, बल्कि सारे समाज का स्तर नीचा है। ये समस्यायें अगर न होतीं, अगर हजारों वर्ष की गुलामी में पैदा की हुई समस्यायें हमारे सामने न होतीं तो हमें गुलामी के खिलाफ इतनी बड़ी जद्दोजहद करने की आवश्यकता न पड़ती। समस्या क्या है इसमें मतभेद नहीं है। मतभेद उसके हल करने में ही है। एक मेरे मित्र ने कहा कि वह मुख्य मंत्री जी के आसन पर जाना चाहते थे। उनके आसन पर जाना इतना आसान नहीं है। मैं उनको यह बतलाता हूं कि जन-सेवा के बड़े चक्करदार रास्ते से वहां जाना होता है। जनता का इतना बड़ा जनमत रख कर ही वहां कोई पहुंच पाता है।

चीन में करप्शन (भ्रष्टाचार) मिट जाने की बड़ी दुहाई दी गयी। हर शख्स चाहता है कि करप्शन दूर हो। यह मैं भी मानता हूं कि हिटलर की जर्मनी में करप्शन नहीं था, आज इंग्लैंड में करप्शन नहीं है। अगर किसी मुल्क ने एक समस्या को हल कर दिया तो इसके यह मानी हर्गिज नहीं होते कि उसकी सारी बातें हम अपने यहां लागू कर लें। हर गवर्नमेंट का एक अलग तरीका होता है। अगर हम अपने मित्र की बात मान लें तो जो उन्होंने चीन की कल्पना की और अगर मुख्य मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री चीन का रास्ता अख्तियार कर लें। तो उसका पहिला नतीजा यह होगा कि जिन सिरों पर काली, लाल या पीली टोपी हैं वे इस दुनिया में नहीं रह सकते। जो तरह तरह की विचारधारायें लोग अखबारों के जरिये देश के सामने रखते हैं वे सब गायब हो जायंगी। अदालतें सब खत्म हो जायंगी और मेरे जैसे पार्टी मैन जज का कार्य करेंगे। क्या आप इसके लिये तैयार हैं? एक ही विचारधारा चाहे वह पं० जवाहरलाल की हो या पन्त जी की हो वह विचारधारा बराबर रहेगी। उसमें किसी प्रकार से राय देने का सवाल नहीं होगा। एक समाज की रचना का प्रश्न हमारे सामने है। हमें तो आगे का ध्यान रखकर आगे चलना है, किसी और मुल्क के सेटअप (व्यवस्था) को देखकर नहीं चलना है। हमें किसी चीज के पहलू को लेकर नहीं चलना है, हमको उस चीज के एक एक पहलू को साथ लेना है और उसपर पूरी तरह से गौर करके चलना है।

आज हमारे देश में क्या दुनिया के अन्दर ही दो बिचारधारायें काम कर रही हैं इसमें किसी तरह से कोई मतभेद नहीं है। यहां पर जितने सदस्यगण हैं उनका और जो बाहर दूसरे लोग रह जाते हैं और दूसरे पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ध्येय सब का एक ही है कि देश की उन्नति हो लेकिन उसके रास्ते अलग अलग हैं। सोसाइटी का सेटअप (व्यवस्था) क्या हो उसके अन्दर ज्यादा भेद नहीं है। हम तो यह समझते हैं कि गांधीजी की क्लासलेस सोसाइटी (वर्गहीन समाज) और कोम्युनिस्ट की स्टेट के मुर्झाजाने के बाद की अवस्था जब जिसकी जो ताकत है उसके वह अनुसार कार्य करे और उसको जो जरूरत है उसके मुताबिक उसको मिल जाय, एक ही बात है। अगर इस तरह की हम सोसाइटी बना दें तो फिर उस समाज की रचना हो जाती है जिसका हम स्वप्न देखते हैं। महात्मा जी ने उसी रास्ते को बताया। मार्क्सवाद का सिद्धांत भी उसी सोसाइटी की बात कहता है लेकिन रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। मैं भी अपने जीवनभर मार्क्स के सिद्धांत को मानता रहा और मैं मार्क्स को बड़ा आदमी समझता हूं लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि उस रास्ते को शुद्ध करने के लिये ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी ने यह बताया कि नये समाज की रचना के लिये, क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिये यह जरूरी नहीं है कि खून की नदियां बहाई जायं और तब उस रास्ते को अपनाकर उस सोसाइटी का निर्माण किया जाय। अपने देश के अन्दर हमने इस बात का अनुभव किया कि बिना खून बहाये भी बड़े से बड़े काम और सोसाइटी की रचना हो सकती है। इसका हमने अपनी आजादी के प्राप्त करने में अनुभव किया और दूसरा अनुभव किया जमींदारी उन्मूलन करने में। तो अब सवाल यह है कि जब इस रास्ते से अब दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और उसमें

[श्री विष्णु शरण दुब्लिश]

हमारा जो मार्ग है वह अलग हो जाता है तो हमारे चलने का तरीका दूसरा हो जाता है। जो आदमी यह विश्वास करने लगे कि मुझे देश के अन्दर लाल क्रांति लानी है तो वह उसके लिये वैसे ही रास्ते अख्तियार करेगा और ऐसे रास्ते पैदा करने की कोशिश करेगा जिससे लाल क्रांति के लिये मैदान तैयार हो। वह इसी तरह की बात पैदा करेगा कि जिससे लोगों में असंतोष पैदा हो जाय लोगों के दिलों में एक तरह से ऐसी भावना पैदा हो जाय कि वह मरने मारने को तैयार हो जायं जिससे जो उसका रास्ता है उसमें मदद मिले। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है और एक शांतिमय क्रांति का रास्ता अख्तियार करना है और उसको अख्तियार करके ही चलना है और लोगों के अन्दर भी शांति की भावना को ही पैदा करना है। हम आदमी को इसके लिये तैयार करना है कि वह मेहनत का रास्ता अपना सके।

चीन के बारे में कहा गया कि उसने खाने के मामले में इतनी जल्दी आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया। मैं बता देना चाहता हूं कि चीन के अपने इतिहास में कभी एक टन भी गल्ला बाहर से नहीं मंगाया गया और वह सदा से आत्म निर्भर है। आचार्य नरेन्द्र देव ने अपने बयान में कहा कि चीन के लोग दिल की बात बताते डरते थे। अंडमान में जब मैं था दो चार आदमी गये और उन्होंने वहां जाकर देखा कि लोग काफी परेशानी में हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो वहां के लोगों ने कहा कि हम बहुत आनन्द में हैं। चीन का किसान दुनिया का हमेशा से सबसे अच्छा किसान रहा है। पहिले जो वहां अकाल पड़ते थे उसका कारण यह था कि निरन्तर लड़ाई के कारण खेती नहीं हो पाती थी। यह कम्पोस्ट खाद का जो प्रचार हमारे यहां हुआ है वह क्या हमने चीन से ही सीखा है? यह खाद हमारे यहां बहुत मुफीद साबित हो रही है। कपड़े और अन्य चीजों की चीन में बहुत कमी है। मैं कहता हूं कि आप आचार्य नरेन्द्र देव जी के बयान को पढ़िये। तब आपको चीन की असली हालत का पता चलेगा।

जब से मैं इस हाउस का सदस्य बना हूं तब से यह सातवां बजट मेरे सामने उपस्थित है। इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसके अन्दर एक आशा का संचार है कि हमने और हमारी सरकार ने यह इरादा कर लिया है कि हम अपने मुल्क के लोगों को और मुल्क को ऊंचा उठायें। लेकिन मैं खासतौर से यह बतलाना चाहता हूं कि कितने ही आप प्लान बनावें, अकेली पूंजी से ही मुल्क ऊपर नहीं उठ सकता है। चाहे आप कितने ही टैक्स लेकर पूंजी दुगुनी कर लें लेकिन उससे हमारा काम पर्याप्त रूप से नहीं हो सकता है। जब तक आप जनता के दिल में जोश पैदा नहीं करेंगे और उसे अपने साथ नहीं लेंगे उस समय तक आपका कोई भी प्लान सफल नहीं हो सकता। मेरा कुछ महीनों का अभी का यह तजुर्बा है कि हमारी जनता बड़ी समझदार है। यदि हम जनता को स्थिति समझाकर उसे अपने साथ लेंगे तो नामुमकिन बात है कि जनता हमारा साथ न दे। मैंने अपने ही जिले में देखा है कि जनता में हजारों आदमी सड़कें बनाने के लिये तैयार हैं। २५०, ३०० मील लम्बी सड़कें लोगों ने अपने प्रयास से बनाई। एक जले हुये चिराग से हजारों चिराग जलाये जा सकते हैं लेकिन एक बुझे हुये चिराग से हजारों चिराग नहीं जलाये जा सकते हैं। अगर हमारे मंत्री सब अपनी अपनी कंस्टीट्यूऐंसीज (निर्वाचन क्षेत्रों) में जावें और जनता को सरकार का प्लान समझावें तो जनता अवश्य हमारा साथ देगी और उससे पूरा पूरा लाभ उठाने को तैयार रहेगी। इसी तरह हमारा प्रयास सफल हो सकता है। ऐसी हालत में हमारा मुल्क ऊपर उठेगा और दूसरे लोग ताज्जुब करेंगे। हमने दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिखला दिया है कि जो दुनिया को खून की नदियों से बचायेगा। आज अगर कोई चाहता है कि यहां खून की नदियां बहें तो कौन कह सकता है कि हम दूसरों के हाथ में नहीं पड़ जायेंगे? चाहे आप लोग हमसे अलग ही रहें परन्तु आप को ऐसा रचनात्मक कार्यक्रम बनाना चाहिये जिससे जनता का लाभ हो, चाहे आप उसमें हमारा सहयोग लें या न लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे मुल्क आगे बढ़ेगा। हमें चाहिये कि हम रक्तपात से बचकर अपने देश को आगे ले जावें। यही महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है।

अध्यक्ष––मुझे यह सूचना देनी है कि प्रत्येक माननीय सदस्य के बोलने का समय १० मिनट है। बहुत लोग बोलना चाहते हैं परन्तु ३ बजकर २५ मिनटपर माननीय मंत्रीगण से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे उसका उत्तर कुछ देना चाहें तो दे सकेंगे।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)––इस विचार का मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को मैं एक तेज तलवार मानता हूं। जिसके द्वारा हमारे प्रदेश की जनता की गरीबी का अन्त किया जा सकता है। यदि इस बजट का उपयोग हुआ तो इससे दूसरे भाव भी आ सकते हैं। मैं जानता हूं यदि सरकार ने यहां पर चकबन्दी को अपनाया और उसके कार्य को किया तो प्रदेश की आत्मा में एक नयी जागृति आ जावेगी।

इस बजट के अन्दर यह जो सिंचाई के अन्तर्गत कर बढ़ाने की व्यवस्था है वह दूसरे शब्दों में एक तरीके से किसानों पर लगान बढ़ाने की ही योजना है। यह बुद्धिमत्तापूर्वक शब्दों में ही एक चीज रखी गयी है लेकिन उसका निवारण किया जा सकता है, उसका परिमार्जन किया जा सकता है यदि हम चकबन्दी के प्रोग्राम को लायें। हमारे पाश्चात्य विद्वान् एक व्यंग चित्र लाते हैं। "भारतीय चिन्ता जगत में बहुत ऊंचे उठते हैं किन्तु व्यवहारिक धरातलपर कम उतरते हैं"। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रांत की हालत सुधरे तो हमें चकबन्दी करनी चाहिये। आज यह पुराना समय नहीं है, आज सिर्फ मूर्ख ही खेती नहीं करते। जब से गल्ले का मूल्य बढ़ा है लिखे पढ़े लोग भी खेती करने लगे हैं। लेकिन हमारा वह ५ बीघा खेत भी अगर ५० जगह पर है तो कैसे फायदे की खेती हो सकती है? किस तरह से और व्यवस्था की जा सकती है? इसके लिये केवल एक ही तरीका हो सकता है और वह यह कि किसी तरह से आप चकबन्दी कर दें। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे किसानों में एक जागृति की लहर पैदा हो जायगी। अब हमारे सामने यह कर्तव्य है कि हम चकबंदी को करें। चीन का उदाहरण हमारे सामने रखा जाता है। चीन में भूमि सेना संगठित हुई, चीन में कुएं निर्माण कराये गये और चकबन्दी की व्यवस्था की गई। चकबन्दी की व्यवस्था कुछ तो सनयातसेन के समय में ही हो गई थी और कुछ इधर की गई। लेकिन हमारे देश में जो यह विरोधी भाव पाया जाता है वहां चीन में यह नहीं है। वहां तो एक कार्यक्रम लाया जाता है और सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। यहां की भांति विपरीत-गामी लोग वहां नहीं हैं।

आज हमारी मूल समस्या गरीबी है। अगर हम उसको गहराई से सोचें तो आपको मालूम होगा कि उसका एक मात्र इलाज चकबन्दी है। इसके अंतर्गत एक जादू है, एक बिजली है जो इस समस्या को हल कर सकती है। आप सिंचाई की व्यवस्था करें या और भी कोई काम करें तो भी आपको उतनी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि यदि किसान का घर भर काम में लगा रहेगा तो भी उसका कुछ भी अधिक लाभ वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिये हमको चकबन्दी को अविलंब कार्यान्वित करना होगा। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे प्रान्त का जो मेरुदंड है वह किसान और मजदूर है। इसलिये बजट का प्रधान स्वर हमारे किसानों की उन्नति करना होना चाहिये। जो प्रतिगामी लोग हैं वे किसानों से कहेंगे कि यह तो दूसरे रूप में लगान ही बढ़ा दिया गया है, और सचमुच किसान भी यही समझेगा; लेकिन अगर सरकार ने चकबन्दी कर दी तो उसके घर में रुपया आ जायगा। आप जानते हैं कि इस बीसवीं शताब्दी में रुपया ही ईश्वर है। अगर इसकी समस्या हल हो जाती है तो सारी बातें हल हो जाती हैं। अगर सरकार ने यह कर दिया तो सारी चीजें हल हो जायेंगी।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है मैं कल से सुन रहा हूं कि उसके बारे में चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। मैं भ्रष्टाचार के संबंध में दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करता हूं, दूसरी दिशा में ही विचार करता हूं। भ्रष्टाचार के संबंध में खास बात यह है कि हमारे प्रान्त में इस सदन के सदस्यों की संख्या ४३० की है। क्या इसे हम भ्रष्टाचार को दूर करने के काम में नहीं ला सकते हैं? क्या केवल मंत्रिमंडल ही सब व्यवस्था कर सकता है? न हम एकदम मंत्रिमंडल पर ही अवलम्बित रह सकते हैं। मंत्रिमंडल को चाहिये कि उसके

[श्री रामलखन मिश्र]

मेम्बर जिलों में जा जाकर किसानों से आकस्मिक इंटरव्यू (भेंट) करें तो उनको सच्चे रूप में मालूम हो जायगा कि वहां भ्रष्टाचार कितना है और वह किस तरह से दूर हो सकता है। वहां का वातावरण ही कुछ ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार के सिवा और किसी बात की चर्चा ही नहीं होती। आज हमारे डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जिस स्तर से आये हैं उससे इस बात का विश्वास होता है कि भ्रष्टाचार में अवश्य कमी होगी। सरकार को चाहिये कि वह ऐसी परम्परा स्थापित करे जिससे जनता के जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनके वाक्य का मूल्य हो। अगर ऐसा वातावरण बनाया जाय तो भ्रष्टाचार में कुछ न कुछ अवश्य कमी होगी।

श्री सत्यानन्द (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर श्रीमान् वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसे मैंने कई बार पढ़ा। सिंचाई के संबंध में जो व्यवस्था होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि उससे मुझे बड़ी खुशी हुई और इसके लिये हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। परन्तु तमाम बजट को देखने के बाद खादी ग्राम उद्योग, के संबंध में जो बात सोची गयी है उससे मुझे बहुत निराशा हुई। इस युग में जब हम कांग्रेस के लोग इतनी बड़ी संख्या में इस सदन में मौजूद हैं और यह कहा जाता है कि इतने बड़े सूबे की सारी बागडोर हमारे हाथ में है और हम सब कुछ कर सकते हैं, उस समय एक ऐसा फैसला करना खादी के बारे में कि खादी का सब काम बटोरा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, एक बड़ी ग्लानि की बात है। मैं इस बात को सुनकर स्तम्भित रह गया कि इसे समाप्त किया जा रहा है। जबकि कई जिलों के गांवों में यह काम अच्छी तरह से फैल रहा है और गांव के लोग सूत कात कर अपना काम चला रहे हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आजमगढ़ के जिले में कितने वर्षों से जो इस काम को करते आ रहे हैं, जो खादी का कारोबार करते हैं उन्होंने हमेशा खादी मजदूरों के रूप में की। और भी कई जिलों का अनुभव है कि श्री तुलसीराम जी जब गांवों में इसकी जांच करने के लिये गये तो मालूम हुआ कि ५० मील के एरिया में करीब ५ हजार कतीनें और लड़के इस काम के लिये ट्रेंड किये गये थे जो इस काम को कर रहे थे। गुरुकुल हरिजनों के जरिये जो खादी करीब करीब ५ लाख की बनी थी उसमें से साढ़े तीन, चार लाख की खादी औरतों को मजदूरी के रूप में मैंने दे दी।

खादी के पीछे एक भावना है और उस भावना से ही खादी जीवित हो सकती है और खादी से ही समाज की रचना और ग्रामों की रचना हो सकती है। यदि उस भावना को जीवित रखना है तो वह केवल बहुतों के खादी खरीद लेने से जिन्दा नहीं रह सकती है स्वयं काम करने से और अपनी मौलिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने से जो ताकत आदमी में होती है वह हजार बाहरी ताकतों से बढ़कर है। इसलिये मैं अपने माननीय मंत्री महोदयों से यह प्रार्थना करूंगा कि यह काम न किया जाय। इससे मैं समझता हूं कि खादी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और उस चीज को धक्का लगेगा जो कांग्रेस की मजबूती का बहुत बड़ा प्रतीक है, रामराज्य के विचार का और गांधी जी के विचारों का बहुत बड़ा प्रतीक है, उसको हटाया जाय तो बहुत बड़ा धक्का खादी के व्यवसाय को लगेगा और बहुत बड़ी हानि होगी।

दूसरी बात मैं ग्रामोद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। गुड़ का उद्योग एक काफी पुराना उद्योग हमारा रहा है जब से सन् १९३७ में कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी इस पर काफी जोर दिया जा रहा है। और गांवों में गुड़ बनाने, गुड़ खाने और गुड़ से जीविका चलाने की व्यवस्था बहुत दिनों से कायम है। उसको बन्द कर देने से बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी और गांवों के लोगों को भी कष्ट पहुंचेगा। दो वर्ष पहले कोल्हुओं पर लाइसेंस लगाने की बात चली थी। उसका परिणाम यह हुआ कि उसके लिये सत्याग्रह तक चलाने की बात हुई। बड़ी खुशी की बात

है कि वह बात सरकार ने नहीं की और सरकार ने कोल्हुओं का लाइसेंस नहीं लगाया और इस हेतु भी मैं सरकार से यह कहता हूं कि इस योजना को जरूर वापस लिया जायगा और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन दिया जायगा।

मेरे हाथ में चर्खा संघ की तीन वर्ष के काम की स्कीम है जो कि पिछले तीन वर्षों से गांधी जी के देहान्त के बाद उसने किया है। गांधी जी ने कहा कि खादी बनाकर बेंचने का वक्त अब गया, अब हम लोगों को खादी बनाने और खादी पहनने की शिक्षा होनी चाहिये और अगर यह नहीं किया जाता तो अब खादी का कार्य टिक नहीं सकता। मैं समझता हूं कि इसकी नीति में अब यहां पर भी परिवर्तन किया जाना चाहिये और वह किया जायगा।

अब जहां तक शिक्षा की बात है उसमें टैक्निकल (प्राविधिक) शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। १२-१३ वर्ष पहले जब कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में राजेन्द्र बाबू के नेतृत्व में हुआ था तो उस वक्त बुनियादी शिक्षा के बारे में बातें हुई थीं कि शिक्षा बुनियादी तरीके से होनी चाहिये। आर्यनायकम् जी, काका कालेलकर जी और दूसरे लोगों ने बिहार मद्रास, बम्बई और गुजरात में इस काम को करके यह सिद्ध कर दिया है कि कारबार के रूप में जो विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा असली है। आज बेकारी की फौज बढ़ रही और इकट्ठी हो रही है। लोग पढ़ लिख कर हमको गालियां दे रहे हैं और बुरा भला कहते हैं और हमारे साथ दुश्मन का सा व्यवहार करते हैं क्योंकि पढ़ा लिखा कर हम उनको नौकरी दे नहीं सकते। तो इसलिये हमें इस तरीके को छोड़कर बुनियादी तालीम को अपनाना चाहिये और तभी हमारा कुछ काम बन सकता है।

एक बात और है। हम जितने शब्द लिख रहे हैं और जितनी भाषायें हैं संस्कृत सबकी जननी है, लेकिन उस संस्कृत शिक्षा की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। हजारों वर्षों से इस देश में ऐसा शासन रहा है या रहे हैं जिन्होंने संस्कृत से प्रेम नहीं किया। अब ऐसा समय आ गया है जब संस्कृत शिक्षा आवश्यक होनी चाहिये। संस्कृत के साथ बहुत लापरवाही बर्ती जा रही है। मैं समझता हूं कि संस्कृत पाठशालाओं के लिये, उनके मकानों के लिये, उनके विद्यार्थियों के लिये ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

हरिजनों की बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत वर्षों से मेरा उनसे सम्पर्क रहा है और मैं इस काम को करता रहा हूं। मैं जानता हूं कि हरिजनों में पढ़ने का बहुत शौक़ पैदा हो गया है। लेकिन उनकी गरीबी इतनी ज्यादा है कि वे पढ़ नहीं सकते। कम से कम उनके एक वक्त के भोजन का प्रबन्ध होना चाहिये। प्राइमरी शिक्षा में भोजन या जलखई के लिये कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। बिना इसके उनमें शिक्षा की बहुत शीघ्र उन्नति नहीं हो सकती। वह पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीबी की वजह से रह जाते हैं। बहुत से होनहार लड़के इसमें रह जाते हैं और अमीर लड़के जो चाहें बेवकूफ भी हों आगे बढ़ जाते हैं।

स्वास्थ्य विभाग के बारे में यह कहना चाहता हूं कि सफाई और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर हमें ध्यान देना होगा। हम लोग जो दवाखानों और अस्पतालों का प्रबन्ध कर रहे हैं इससे काम चलने वाला नहीं है। करोड़ों आदमी अगर स्वस्थ रहेंगे तो अपनी बुद्धि से काम करेंगे और कर्त्तव्य पालन करेंगे। इसकी शिक्षा अगर ठीक तरह से मिल सकती है तो प्राकृतिक चिकित्सा से मिल सकती है। सर्वोदय समाज की विचारधारा में एक बुनियादी तालीम है शुद्ध और सुसंस्कृत रहना, इसमें स्वास्थ्य संबंधी नियम भरे पड़े हैं।

श्री रणंजय सिंह (ज़िला सुल्तानपुर)—अध्यक्ष महोदय, किसी भी कार्य का बनाना बड़ा कठिन होता है किन्तु आलोचना बड़ी सरल होती है। मैं जानता हूं कि जो यह बजट बनाया गया है इसमें सन्देह नहीं कि उसका प्रयत्न, उसका परिश्रम सर्वथा स्तुत्य है। मैं उसकी सराहना करता हूं। बजट तो सोच समझ कर बनाया गया है किन्तु मुझे भी उसमें कुछ निवेदन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस बजट में जहां बहुत सी सुधार की

[श्री रणंजय सिंह]

बातें की जा रही हैं शारीरिक विकास के सम्बन्ध में, बहुत अधिक इसमें कोई प्रकाश डाला नहीं गया है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां शारीरिक विकास के साथ साथ सदाचार का भी विकास होना चाहिए। जब इसी पर हमारा सारा जीवन आधारित होगा तभी हमारे देश की भली भांति उन्नति हो सकेगी। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि किसी प्रकार गुंजायश निकल सके तो जैसे अमरावती की श्री हनुमान व्यायामशाला है या बड़ौदा की जुम्मादादा व्यायामशाला है उसी प्रकार यहां पर भी एक विशाल व्यायाम-शाला खोली जाय। उसमें हमारे नवयुवक सदाचार के सोपान पर चढ़ते हुए हृष्ट पुष्ट हो सकेंगे। इसके लिए शुद्ध घी और शुद्ध दूध की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह निवेदन करूंगा कि घी दूध की नदियां अगर बहानी हैं तो विधान बना कर गो वध को बन्द कर देना चाहिए और इस प्रकार हमें दूध और घी की नदियां ही नहीं, सभी तरह की शुद्धता दृष्टिगोचर होने लगेगी। हम भारत की प्राचीन संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। अगर हम इस ओर अग्रसर होते हैं तो हमारा देश सुखी हो सकता है। हमारे देश में पाश्चात्य जलवायु, पाश्चात्य रीति नीति उतनी लाभकर नहीं हो सकती है जितने कि हमारे प्राचीन आचार विचार जो कि सात्विकता से भरे हुए होते थे, जो कि हमें वास्तव में बनावट से दूर रखने वाले हुआ करते थे। सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा उनके द्वारा प्राप्त हो सकती है।

इसी प्रकार से दूसरी बात जो मुझे थोड़ी सी खटकती है वह यह है कि हमारी सरकार ने बहुत दिन से इस बात का निर्णय कर लिया है कि हिन्दी भाषा इस प्रान्त की भाषा है और मैं देखता हूं कि सरकार उसके लिये यद्यपि बहुत कुछ प्रयत्न करती है, पुरस्कार देकर लोगों को प्रोत्साहन देती है, बड़े बड़े कार्य करती है लेकिन सरकार के अधीन बहुत से कर्मचारी, यद्यपि उनके यहां हिन्दी के टाइप राइटर भी विद्यमान हैं, फिर भी अंग्रेजी टाइप राइटरों द्वारा टाइप करके या हाथ से लिख कर पत्र-व्यवहार अधिकतर अंग्रेजी में ही करते हैं। इससे हिन्दी के प्रचार में बाधा पड़ती है। इस बात का ध्यान रखते हुए मैं देखता हूं कि बजट में अंग्रेजी टाइप राइटरों के मोल लेने की बात आती है। मैं समझता हूं कि यूनीवर्सिटियों के लिए अंग्रेजी टाइप राइटरों की बात तो मानी जा सकती है क्योंकि वहां पर अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है, परन्तु मैं जब देखता हूं कि कृषि विभाग के लिए, नहर विभाग के लिये, और अन्य विभागों के लिये अंग्रेजी के टाइप राइटर मोल लिये जा रहे हैं और सहस्रों रुपये व्यय हो रहे हैं तो मुझे आशंका होती है, मैं चौंक पड़ता हूं मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है। उसकी क्या आवश्यकता है? जब हिन्दी में समस्त कार्य करना है तो अंग्रेजी टाइप राइटरों के पीछे जनता के धन को इस प्रकार बहाना कहां तक उचित हो सकता है और उससे क्या लाभ हो सकता है?

इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्रीमान् जी, कि हमारे प्रान्त में जो शासन चल रहा है, मैं यह जानता हूं कि हमारे मंत्रीगण बड़े योग्य हैं, माननीय हैं, उनके विचार बड़े उच्च हैं, वे सच्चे देशभक्त हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है; लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी योजनायें यदि किसी कारण से सफल नहीं हो पातीं, या उनकी सफलता में कोई कंटक उपस्थित होता है तो उसका कारण क्या है। कुछ महानुभावों ने यह कहा कि हमारे सरकारी अफसर लोग भी जो हैं, जो राज कर्मचारी हैं, वे ठीक ध्यान नहीं देते, परन्तु बात यह नहीं है। मैं सरकारी कर्मचारियों के साथ सदैव रचनात्मक-कार्यों में सहयोग देने वाला हूं और मैं यह देखता हूं कि सरकारी कर्मचारी जो पढ़े लिखे विद्वान्, चरित्रवान् और योग्य होते हैं और प्रबन्ध की भी शिक्षा जिन्हें मिली होती है उनके ऊपर धौंस जमाने को कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो न विद्वान् होते हैं न शिक्षित और न योग्य होते हैं। उनकी तुलना अंग्रेजी राज्य के गोरों से की जा सकती है, जो अशिक्षित होते हुए भी अंग्रेजों के शासन काल में अतिकाल पर्यन्त बिरादरी के

समझे जाने के कारण उच्च स्थान पाते थे। इसी प्रकार के लोग कर्मचारियों के काम में अड़ंगे लगाते हैं। इस प्रकार से मैं देखता हूं कि कार्यों में सफलता कम मिलती है।

साथ ही साथ में थोड़े समय में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी, जैसा कि पूर्ववक्ता महानुभाव ने कहा, मुझे भी इस बात का खेद हो रहा था कि ग्राम उद्योग के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान कुछ कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी, विश्ववन्द्य बापू जी की जो योजनाएं थीं उन्हें चलाने के लिये कितनी-कितनी बातें की गयीं, परन्तु साथ ही साथ उनकी योजनाओं में भी कमी आती जा रही है। नशाबन्दी के लिये यह घोषित हुआ था कि प्रान्त भर में नशाबन्दी कर दी जायगी, किन्तु वह नशाबन्दी की योजना भी स्थगित हुई और जहां जहां वह है भी उसमें शिथिलता आ रही है। इसलिये इन बातों का ध्यान करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि यदि कोई ठोस कार्य होता है तब तो लाभ होता है अन्यथा नहीं।

अन्त में मैं थोड़ा सा करों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि जब यहां पर करों के सम्बन्ध में विरोध होता है और उनके सम्बन्ध में कोई आपत्ति उपस्थित की जाती है, उस समय केवल यही कहा जाता है कि ऐसे ऐसे कर तो इंगलैण्ड में हैं, अमरीका में हैं, अन्य अन्य देशों में हैं। परन्तु मैं, श्रीमान् जी, यह निवेदन करूंगा कि अमरीका की परिस्थिति में, इंगलैण्ड की परिस्थिति में, और भारत की परिस्थिति में जमीन आसमान का ही नहीं, आकाश और पाताल का अन्तर है। वहां की जनता और यहां की जनता में अन्तर है, परिस्थिति में अन्तर है। यहां की जनता ने बड़ी बड़ी आशाओं के साथ कि अंग्रेजी राज्य यहां से हटे, उसे सब प्रकार का सुख हो, रामराज्य हो, इसलिए अपने मत दिये थे। लेकिन उसके ऊपर कर लगते चले जाते हैं, भांति भांति के ये कर बड़े भयंकर सिद्ध हो रहे हैं और जनता देखती है कि कहां उसे आशा थी कि सुख मिलेगा, लेकिन वह सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। अब रही बात यह कि करों की आवश्यकता होगी क्योंकि रुपये की जरूरत है, तो उन पर कर धीरे धीरे लगते। अगर छोटा सा बछड़ा हो, या मनुष्य का छोटा सा बच्चा हो तो उसके कंधे पर एक साथ बड़ा बोझा नहीं रखा जाता है। पहले उसे बलवान बनाना चाहिये तब वह बच्चा बोझ सहन कर सकता है। लेकिन अगर बोझा एक साथ रख दिया जायगा तो वह दब जायगा, पनप ही नहीं पायेगा। इसलिये इन करों से जनता पनप ही नहीं पायेगी। नाना प्रकार के कर देहातों में लगाये जा रहे हैं। पंचायत के कर, किसान की बैलगाड़ी है उस पर कर, आटे की चक्की चलती है उस पर कर, इस तरह के बहुत से कर लगने लगे हैं। उसका परिणाम जनता के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है और जनता उससे क्षुब्ध है और उससे उसको किसी प्रकार का संतोष नहीं है। मैं देहात की जनता में कार्य करता हूं। मैं उसकी ओर से प्रार्थना करूंगा कि ये कर जहां तक सम्भव हो कम किये जायं और जहां तक सम्भव हो उनकी सहायता की जाय। आगे चल कर जब जनता पनपेगी तो ऐसे ऐसे कर भी उसे सह्य होंगे, लेकिन इस समय वे असह्य हैं।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कल की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है, हमारे यहां कितनी गरीबी है, हमारे यहां अन्न काफी नहीं है, अन्न के साधन जो सिंचाई आदि के हैं उनमें कितनी कमी है, पैसा भी हमारे पास नहीं है, ऐसी दशा में ऐसे बजट को उपस्थित करना, जिसमें ६५ करोड़ तो राजस्व से और २० करोड़ पूंजी से खर्च किया गया है और जिस ८५ करोड़ में से करीब ४० करोड़ जो जनता के उपयोगी कार्य हैं

[श्री रतनलाल जैन]

उस पर खर्च किया गया है, यह बड़े साहस और योग्यता का काम है। इसलिये मैं मंत्रिमंडल को और विशेषकर वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। विरोधी पक्ष की तरफ से कहा गया कि यह पूंजीपतियों का बजट है। यह सुन करके मुझे हंसी आती है। मुझे तो यह दिखाई देता है कि यह एतराज सिर्फ विरोध की दृष्टि से किया गया है। वास्तव में वे समझते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था। जानबूझ कर ऐसा एतराज किया गया है। इस बजट में करीब ४० करोड़ रुपया जनता के उपयोगी कार्यों पर खर्च करने के लिये रखा गया है। इसमें २० करोड़ रुपया तो सिर्फ किसान और मजदूरों के लिये है जिसमें १४ करोड़ ४० लाख रुपया सिंचाई से सम्बन्धित कार्यों पर खर्च हो रहा है यानी बुंदेलखंड के चन्द्रप्रभा जैसे बांध के बनाने में खर्च हो रहा है, जलाशय बनाने में खर्च हो रहा है, ऊसर जमीनों को खेती के योग्य बनाने में खर्च हो रहा है, खाद के बनाने में खर्च हो रहा है। ५ करोड़ ४० लाख रुपया बिजली के पैदा करने में या जो बिजली के लाइसेन्स हैं उनके बढ़ाने में खर्च हो रहा है। यह २० करोड़ रुपया सीधे किसान या ग्रामीण जनता के लाभ के लिये है। अगर यह ग्रामीण जनता के लाभ के लिये नहीं है तो मैं उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा पूछना चाहता हूं कि यह किनके लाभ के लिये है? इससे सीधा लाभ ग्रामीण जनता को पहुंचता है और ग्रामीण जनता में वहां के किसान और मजदूर हैं। इसके साथ साथ ७ करोड़ १० लाख रुपया सड़कों पर खर्च किया जा रहा है और यह साधारण जनता के लाभ के लिये है। इसके अलावा और भी रुपया कितनी ही मदों में है, तालीम में है, जो जनता के लाभ के लिये है। इसके अलावा कुछ रुपया बस सर्विस और दूसरे ऐसे व्यापारों पर खर्च किया जा रहा है। यह सब मिला कर ४० करोड़ से ऊपर है।

श्रम के सम्बन्ध में भी हमारे कुछ मित्रों ने कहा।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान् जी, मैं विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं) पार्लियामेंट्री कनवेंशन (संसदीय परिपाटी) के मुताबिक माननीय वित्त मंत्री को यहां पर उपस्थित होना चाहिये, जब कि इस तरह का वाद विवाद जारी हो।

उपाध्यक्ष—उपमंत्री उपस्थित हैं। अभी वित्त मंत्री भी उपस्थित हो जायंगे।

श्री रतनलाल जैन—इस बजट में श्रम के सम्बन्ध में ४० हितकारी केन्द्र खोले गये हैं जिनमें स्वास्थ्य के सम्बन्ध में माता और शिशु के पालन के सम्बन्ध में चिकित्सा में व्यय हो रहा है। इसके अलावा ७५ लाख रुपये कानपुर और लखनऊ में जो मिलों में काम करते हैं उनके मकानात के लिये रखे गये हैं और यदि केन्द्र ने रुपया दिया तो इससे कहीं अधिक श्रम के ऊपर खर्च किया जायगा। ऐसी दशा में कैसे कहा जा सकता है कि यह बजट मजदूर और किसानों और ग्रामीण जनता के लाभ के लिये नहीं है?

१९४५-४६ से लेकर १९५१-५२ तक छै सालों में हमारी शिक्षा में बहुत बड़ी उन्नति हुई है। पहले जहां पर १९ लाख विद्यार्थी थे, अब बढ़ कर ३२ लाख हो गये हैं। पहले १९ हजार प्रारम्भिक स्कूल थे अब बढ़ कर ३२ हजार हो गये हैं। इसी तरह से पहले १७ कालेज थे जो अब बढ़ कर ४५ हो गये हैं। इस प्रकार शिक्षा में काफी उन्नति हुई है। जहां पहले २, ३ करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च होता था आज ७ करोड़ हो रहा है। मगर साथ-साथ इसके एक बड़ी भारी हानि भी हुई है। हमारे स्कूलों से करीब डेढ़ लाख लड़के मैट्रिक पास करके निकलते हैं। कालिजों से भी प्रतिवर्ष करीब १५ हजार ग्रेजुएट्स निकलते हैं। जितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं वे सरकारी नौकरियां चाहते हैं या इंजीनियरिंग या वकालत में जाते हैं। इनको काम नहीं मिलता है जिससे उनको बड़ी परेशानी होती है और उनके दिमाग पर निराशा छा जाती है और इस बेकारी

का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। निराशा के होने पर जो कुछ हानियां हो सकती हैं वे सब इसमें हैं। इस शिक्षा से एक प्रकार की यह बड़ी हानि हो रही है। मैं माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा मंत्रिमंडल को यह कह देना चाहता हूं कि जो शिक्षा आज हमारे देश में चल रही है वह हमारे लिये लाभकारी नहीं है। जिस शिक्षा में इतनी बेकारी हो, इतने हमारे नवयुवक निराश हों वह शिक्षा कभी भी कामयाब नहीं कही जा सकती। और देशों में ऐसा होता है कि मैट्रिक को एजूकेशन है वह तो आम तौर से होती है मगर उसके बाद कालिजों में वही लड़के जाते हैं जो खास कर सैद्धान्तिक शिक्षा लेते हैं। आम तौर से तो लोग टैक्निकल कालेजों में जाते हैं, व्यापार का रास्ता ढूंढते हैं। जैसी शिक्षा हमारे देश में दी जा रही है वैसी और देशों में नहीं दी जाती है। इसलिये वहां के युवक बेकार नहीं हो रहे हैं। माननीय मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं। अगर मैं उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा और जो हमारे उपमंत्री हैं उनसे यह कह देना चाहता हूं कि आपको शिक्षा का तरीका बदलना पड़ेगा। शिक्षा वह होनी चाहिये जिससे अच्छे नागरिक बनें उनमें मनुष्यता आवे और वे संसार के संघर्ष में अच्छी तरह चल सकें। मानवता तब आ सकती है जब उनकी मारल (नैतिक) एजूकेशन हो, जब उनका कैरेक्टर ऊंचा हो, उनमें अपने कर्त्तव्य का भान हो। साथ में दूसरी शिक्षा वह है कि जिससे वे रोटी कमाने योग्य बन जायं और देश को भी लाभ पहुंचावें। इसलिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में हमारा जो दृष्टिकोण रहा है उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। वह परिवर्तन दो दिशाओं में हो। एक तो हमारी शिक्षा नैतिक शिक्षा हो जिससे हमारा आचार सुधरे और दूसरी दिशा यह है कि शिक्षा ऐसी हो कि जिससे लोग रोटी कमाने के योग्य हो जायं। साथ ही मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि हमारी नैतिक हालत बहुत गिरी हुई है। जगह जगह घूसखोरी है जिस विभाग को देखें उसी में घूस-खोरी है। जितनी योजनायें हमारे माननीय मंत्रियों ने बनाई हैं वे योजनाय पूरे तौर से होने नहीं पाती हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों में कार्य करने की लगन नहीं है जो उनमें होनी चाहिये।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—श्री अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं इस बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सदन में जितनी बहसें इस पर हुईं वह मैंने गौर से सुनीं। अपोजीशन के लीडर की बात भी सुनी और अपोजीशन पार्टी के लोगों की दलीलें भी सुनीं। मैं यह समझता हूं कि बजट को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो उसके एस्टीमेटस (अनुमान) और प्रोग्राम है और दूसरा हिस्सा उसका एक्जीक्यूशन (कार्यान्वय) का है। सदन के ज्यादातर मेम्बरान का ध्यान इसके एक्जीक्यूशन के हिस्से की तरफ गया है और प्रोग्राम की तरफ ध्यान नहीं गया है। इसी बिना पर ज्यादातर मेम्बरान ने बजट एक्जीक्यूशन पर क्रिटिसिज्म (आलोचनायें) की हैं। हो सकता है कि कोई बजट के प्रोग्राम वाले हिस्से से तो ऐग्री (सहमत) करता हो और इसके दूसरे हिस्से के बारे में अपने मुख्तलिफ ख्यालात रखता हो।

मैं सबसे पहले तो यह जो दो तीन दलीलें इस बजट के खिलाफ पेश की गई हैं उन पर आलोचना करना चाहता हूं। मैं तो यह समझता हूं कि जिस तरीके से हमले इस बजट के ऊपर होने चाहिये थे वह नहीं हुये। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊंगा। इतना समय तो नहीं है कि ज्यादा आलोचना कर सकूं सिर्फ दो मिसालें देना चाहता हूं। पहली मिसाल तो यह है कि यह कहा जाता है कि इससे किसानों का क्या भला हुआ और जमींदारी विनाश से भी क्या भला हुआ। यह बड़े जोरों के साथ कहा गया और तर्क यह दिया गया कि मालगुजारी ज्यों की त्यों रही। मैं समझता हूं कि इसमें लाजीकल फैलेसी (नैयायिक विभ्रम) है जिसको कि हम समझ नहीं पाये, किसानों का लगान या जमींदारों की मालगुजारी जो

[श्री नौरंगलाल]

दस साल पहले थी वही आज भी है और हर चीज की कीमत बढ़ गई है। मामूली मकान जो पहले १ रुपये माहवार पर उठता था वही आज ३०-४० रुपये में उठता है। लेकिन किसानों का लगान जमींदारों की और मालगुजारी आज अपनी जगह पर वही कायम है। कमी यह हुई कि लगान और मालगुजारी बढ़ाई जानी चाहिये थी जो नहीं बढ़ाई गई। इसी वजह से सरकार ने छूट दे दी। इस तरीके से जो यह कहा जाता है कि सरकार ने किसानों को और जमींदारों को कोई छूट नहीं दी यह गलत साबित होता है बल्कि ५००/६०० परसेंट छूट मिल गई। सिर्फ समझने का फर्क है। इसके अलावा यह भी लोग कहते हैं कि यह किसानों का बजट नहीं है, बल्कि रईसों का है और वह इन्कम टैक्स की तरफ इशारा करते हैं। आपको सजेश्चन (सुझाव) तो वह देना चाहिये जो माना जा सके और व्यवहार में आ सके। आप कहते हैं कि शुगर फैक्ट्रीज को टैक्स किया जाय। लेकिन हमें मालूम होना चाहिये कि यह मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सूबे की सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह से इन्कम टैक्स (आय कर) का भी सवाल है। इसलिये आप ऐसे सजेश्चन दें जो व्यवहार में आ सकें वर्ना इस तरह के सजेश्चन देना ठीक नहीं है और इस तरह का क्रिटिसिज्म भी ठीक नहीं है। ज्यादातर लोगों ने इस बजट के एक्जीक्यूशन के हिस्से पर ही बहस की है। असल में जो प्रोग्रोम है उस पर बहस नहीं की।

बजट को जज करने के ५ तरीके होते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। पहला तरीका तो यह है कि बजट यूनीफाइड (एक) होना चाहिये। उसमें सप्लीमेंट्री (अनुपूरक) बजट न हो, एक्सट्रा डिमांड्स (अतिरिक्त मांगें) न हों। यह जो बजट पेश किया गया है उसमें कोई एपेंडिक्स (परिशिष्ट) या सप्लीमेंट्री डिमांड्स नहीं हैं, यूनीफाइड बजट होने से अच्छा बजट कहा जा सकता है। दूसरी खूबी यह होनी चाहिये कि बजट प्रोपोर्शनेट (आनुपातिक) होना चाहिये। हर जिले से डिमांड्स आती हैं, हर जिला यह चाहता है कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा रुपया पहुंच जाय लेकिन जितना रुपया हमारे पास है उससे सबकी डिमांड्स पूरी नहीं हो सकतीं, न सबको रुपया दिया जा सकता है। खूबी यह है कि उन डिमांड्स को एडजस्ट (विधिवत् प्रयुक्त) किया जाय। किसको ज्यादा किसको कम मिलना चाहिये। हर एक शिकायत करेगा लेकिन प्रोप्रोशनेट के मानी यह हैं कि जितना रुपया जिस मद में जरूरी है उतना उसमें रखा जाय। शुरू से आखिर तक आप इस बजट को पढ़ जाइये, जिस मद में जितना रुपया जरूरी था उसमें उतना ही दिया गया है। तीसरी खूबी यह होती है कि बजट बैलेंस्ड (संतुलित) होना चाहिये। बैलेंस्ड के मानी यह हैं कि जितनी इन्कम हो उतना ही खर्च होना चाहिये। अगर कहीं इन्कम बढ़ी हो तभी खर्चा बढ़ा कर रखना चाहिये। अगर इन्कम न बढ़ाई गई हो तो खर्चा बढ़ाने का अख्तियार नहीं है। जितना खर्चा बढ़ाया गया है तो साथ ही इनकम बढ़ाने के साधन भी लिख दिये गये हैं। इसलिये यह बजट बैलेंस्ड है। चौथी खूबी यह होनी चाहिये कि बजट व्यवहारात्मक होना चाहिये। इस वक्त तो खूब बना कर रख लिया, लेकिन जब एक्चुअल (वास्तविक) आँकड़ों का वक्त आया तब उस बजट को व्यवहारात्मक रूप देने में कठिनाई पड़ी, ऐसा न होना चाहिये। एस्टिमेट्स (अनुमान) बना लिये लेकिन उनको कैरी आउट (कार्यान्वित) करना मुश्किल हो गया। इस बजट में यह खूबी है कि हर तरीके से छानबीन करके इसे व्यवहारात्मक बनाया गया है। आखिरी खूबी और सबसे बड़ी खूबी जो इस बजट की है वह यह है कि बजट जनता का प्रतिबिम्ब होता है। जो बजट जनता का बजट नहीं है वह बजट

बेकार है। यह बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बनाया है यह जनता का बजट है। जितनी डिमांड्स, ग्राण्ट्स बढ़ाई हैं वे डेवलप्मेंट (विकास) के लिये बढ़ाई हैं। सात आठ डिमांड्स इसमें बढ़ाई गई हैं जैसे इरीगेशन, डेवलप्मेंट, एग्रिकल्चर (कृषि) वग़ैरह, इन सबमें करोड़ों रुपया बढ़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि जो वोटेड ग्राण्ट्स हैं उनमें ५० प्रतिशत रुपया डेवलप्मेंट और ऐग्रिकल्चर के कामों के लिये बढ़ाया गया है। वक्त की कमी है लिहाजा डिटेल (विस्तार) में इन बातों को नहीं समझा सकता। १० मिनट में ५ खूबियां मैंने बतला दीं। आखिर में फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं हालांकि जो कंवेंशन (परिपाटी) है वह शुरू में ही बधाई देने का है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने सन् १९५२-५३ का आयव्ययक लेखा उपस्थित है और मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहिले कि मैं उस पर उस जमात का विचार प्रकट करूं जिसकी संख्या भले ही थोड़ी हो लेकिन बहुत उपयोगी है। इसको मजदूर जमात के नाम से पुकारते हैं। आपके द्वारा मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि जो बजट इस समय हमारे सामने है उसमें दो चीजों की जरूरत है। पहिली चीज तो है धन और दूसरा है श्रम। दोनों चीजों को लेकर किसी भी देश का विकास कार्य या निर्माण कार्य किया जा सकता है। जहां तक धन का सम्बन्ध है उसके बारे में माननीय वित्त मंत्री ने कई तरीके बतलाये हैं उनके वसूल करने के। लेकिन यदि उन तरीकों पर विचार किया जाय तो हम यह कह सकते हैं कि वह अधिकांश धन उन किसानों और मजदूरों की जेब से आयगा जिनके लिये निर्माण कार्य किया जायगा। मैं चाहता हूं कि हमारा मंत्रिमंडल मेरी निम्नलिखित प्रार्थना पर दोबारा विचार करे।

जहां तक टैक्स लगाने का सम्बन्ध है हम पहिले बसेज़ पर टैक्स लगाने का विचार करें। जहां तक मेरी इत्तिला है मैं यह कह सकता हूं कि उसमें लगभग २ लाख रुपये माहवार का लाभ है। हमारे वित्त मंत्री जी एक बार इससे पहले सदन में यह कह चुके थे कि जनता के लाभ के लिये जो भी कार्य किया जायगा यदि उसमें घाटा भी हो तो वह उसको जारी रखेंगे। बसेज़ के घाटे का कोई प्रश्न नहीं है किन्तु उसके विकास में अगर घाटे का अन्देशा भी हो तो जरूरत है कि उसको दूसरे मदों से पूरा किया जाय। इसी तरीके से एक दूसरा कर लगाया गया है जो म्यूनिसिपल बोर्ड के एरिया में मकान हैं उन पर। म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्दर जो मकान हैं उनमें रहने वाले या तो मध्यम श्रेणी के लोग हैं या मजदूर जमात है। मध्यम श्रेणी के लोगों की क्या हालत है यह तो मैं आगे चल कर बतलाऊंगा कि इस टैक्स का भार इन लोगों के ऊपर जायगा। दूसरा टैक्स जो लगा है वह उन लोगों पर लगा है जो मोटर या मोटर पेट्रोल लेते हैं।

मैं तीन या चार सुझाव देना चाहता हूं। जहां आप पशुधन की वृद्धि करना चाहते हैं वहां पर इस बात को भी सोचें कि वैजेटेबिल आयल की मिलें हमारे सूबे में बढ़ती जा रही हैं और बाहर से भी बड़ी तादाद में यह आयल आता है और यहां पर भी बनाया जाता है। इसको रंगने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह रंगा नहीं जा सका। ऐसी हालत में

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

जरूरत इस बात की है कि यदि आप पशुधन की उन्नति चाहते हैं तो आप वनस्पति आयात पर टैक्स लगायें तो काफी आमदनी हो सकती है। इसी तरीके से जैसा कि हमारे मित्र श्री परिपूर्णानन्द जी ने बतलाया था कि मन्दिरों के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ता है उस पर टैक्स लगाया जाय। तीसरा टैक्स जो लगाना चाहिये वह ट्रस्टों के ऊपर। उनका बहुत सा रुपया व्यर्थ में खर्च हो रहा है और बेकार रुपया व्यय हो रहा है। चौथा टैक्स जो मैं चाहता हूं वह यह है कि मशीन टूल के नाम से जो सामान आता है उस पर जो मशीन हमारे प्रान्त में बाहर से आये उनके ऊपर हैवी (भारी) टैक्स लगाया जाय। इस टैक्स पर मैं और अधिक जोर देना चाहता हूं क्योंकि बहुत सी लोहे की इंडस्ट्री आज हमारे यहां बेकार पड़ी हुई है और उनके मजदूर बेकार हालत में हैं। यदि अधिक टैक्स लगाने के कारण सामान इसी प्रान्त में बनने लगे तो यहां की बेकारी दूर होगी और इससे प्रान्त का निर्माण कार्य भी होगा और टैक्स के जरिये से जो काम हम करना चाहते हैं वह भी हो जायगा।

अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं जिसको श्रम-धन कहते हैं। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है उसके लिये बड़ी जोरदार अपील की जाती है चाहे वह कारखाने के मजदूर हों या खेतिहर मजदूर हों, लेकिन मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं अपने मंत्रिमंडल से कि क्या वितरण में भी हमारा हिस्सा है। क्या आप वितरण में अधिकार हमको देने के लिये तैयार हैं? चाहे कोई कारखाने का मजदूर हो या बस का हो या और कहीं का हो, आप इस बात का विश्वास रखिये कि हम देश के नाम पर उत्पादन बढ़ाने में पीछे नहीं रहे हैं। आप यह भी यकीन मानिये कि हम पीछे नहीं रहेंगे। हम सब से आगे रहेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि वितरण में भी हमारा हिस्सा हो।

हमारे माननीय वित्त मंत्री ने मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार की पालिसी बड़ी अच्छी तरह से बताई है। आपने कहा है कि उनके लिये कानपुर में एक टी० बी० क्लीनिक खोला गया है। जरूर खोला गया है। इसके लिये हम अपने प्रान्त के श्रम मंत्री को बधाई देते हैं। लेकिन जरा उसकी दशा को भी तो देखिये। कानपुर में लगभग ४,००० आदमी सालाना टी० बी० से मरते हैं। दुनिया में सब से ज्यादा मृत्यु टी० बी० से कानपुर में होती है। वहां केवल एक टी० बी० क्लीनिक खोला है। उसमें केवल मजदूर ही जा सकते हैं। वहां मजदूर आता है, दवा लेता है और फिर वहीं अपनी झोंपड़ी में उसे जाना होता है जिसके लिये माननीय पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था कि हम उत्पादन को खोना पसन्द करेंगे बनिस्बत इसके कि हमारे मजदूर ऐसी जगहों में रहें। उन्होंने कहा था कि उनमें आग लगा देनी चाहिये। हमारे सामने बजट में यह कहा गया कि ७५ लाख रुपया मजदूरों के मकानों पर खर्च किया जायगा। मैं कह रहा था कि टी० बी० क्लीनिक में मजदूर गया और फिर उसी जगह जाकर वह रहता है तो ऐसी दवा से क्या फायदा? मैं कहूंगा कि जो ७५ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार का रखा गया है उसके अलावा और भी होना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसा है कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि समय नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिये मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, आज तीसरा दिन है कि जो बजट वित्त मंत्री जी द्वारा उपस्थित किया गया है उस पर विचार प्रकट किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो बातें कही गईं उनमें से दो एक बातों के कुछ अंश जरूर मुझे अच्छे मालूम पड़े। देखने में तो ऐसा मालूम होता है कि जो बातें हमारे इस आयव्ययक में कही गई हैं उनसे हम बड़ी बड़ी आशा कर सकते हैं। लेकिन जब हम गहरी निगाह से देखते हैं और जो गतिविधि

पिछले जमाने की रही है उस पर विचार करते हैं तो मेरी समझ में यह साफ आ जाता है कि उसमें कोई नई बात नहीं है। यह बजट की रूपरेखा ऐसी मालूम होती है कि बाहर से तो यह एक ह्यूज स्ट्रक्चर (दीर्घ काय) सा मालूम होता है लेकिन भीतर से यह बिलकुल खोखला है।

खास करके मुख्य बातें जो आरम्भ में ही कही गई हैं वे हैं सिंचाई और खेती जिनमें यह दुहाई दी गई है कि गरीब किसानों और मजदूरों के लिये इसमें बहुत सी बातें सुरक्षित रखी गई हैं, उनकी भलाई के लिये की जावेंगी। ऐसी कुछ बातें इसमें की गई हैं। लेकिन जब हम गवेषणा पूर्वक सोचते हैं और समझते हैं तो रूप दूसरा ही दिखायी देता है। सबसे पहिले मैं किसानों के लिये और यू० पी० की खेती के लिये सिंचाई के इसी विभाग को लेता हूं। मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार ने अभी तक जो कुछ भी सिंचाई के लिये किया है वह इस शक्ल में है– ट्यूबवेल्स हैं, पंपिंग सैट्स हैं, मेसोनरी वेल्स (पक्के कुंयें) हैं, नहरें हैं, तालाब हैं और नदियां हैं। ये ही जराये हैं हमारी खेती की सिंचाई के। इन जरायों को यदि हम देखें और यदि हम समझें कि इन जराय से हमारे किसानों और मजदूरों को क्या फायदा हुआ है तो हम पायेंगे कि हमारे किसानों को कोई भी फायदा उससे नहीं हुआ है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहूंगा और यदि जरूरत पड़ेगी तो उसके लिये मिसालें भी दूंगा कि जितने ट्यूबवेल्स हमारी सरकार की तरफ से बने हैं, जितने पंपिंग स्टेस बने हैं, मेसीनरी वेल्स बने हैं या और भी जो मशीनिरी के सिंचाई के साधन हुये हैं उनसे अभी तक बड़े बड़े लोगों को ही फायदा हुआ है, बड़े बड़े जमींदारों को ही उससे फायदा हुआ है, राजाओं महाराजाओं को, उनके कारिन्दों को या बड़े बड़े किसानों को ही उससे फायदा हुआ है। लेकिन जो छोटा किसान है, जो मजदूर किसान है जिसका ज्यादातर पेशा खेती के अलावा मजदूरी का ही है उसको अभी तक किसी ट्यूबवेल से, पंपिंग सैट्स, मैसीनरी वेल्स से कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी जो वजह है जिसकी ओर हमारे वित्त मंत्री जी ने इशारा किया है वह है राज्य व्यवस्था और राज्य प्रबंध। उसी की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये चीजें किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं इसकी वजह वही राज्य व्यवस्था है, जिसकी ओर संकेत किया गया है कि उसके नियंत्रण को, उसके प्रबंध को आगे चल कर ज्यादा अच्छा करेंगे। यही अभी तक कहते चले आये हैं। यही असली शिकायत है। अगर स्पष्ट रूप से देखा जाय तो वास्तव में राज्य का कोई प्रताप ही नहीं रहा और जिसके कारण इन योजनाओं से उतना फायदा नहीं होता है जितना कि शोषण उस बेचारे गरीब किसान का होता है।

हमारी सरकार के राज्य प्रबन्ध से जनता का शोषण होता है, क्योंकि पुलिस जो कि रक्षा का महकमा है, यदि स्पष्ट रूप से सोचा समझा जाय और देहात की पूर्ण व्यवस्था का ख्याल किया जाय तो इसमें कोई शक की बात नहीं रह जाती कि पुलिस चाहे कितनी भी बढ़ाई जाय और पुलिस का बढ़ाना किसी राज्य की खूबी भी नहीं है, उससे समस्या का असली हल नहीं होता है। अब देखना यह है कि जितने राज्य कर्मचारी हैं वे आखिर क्या करते हैं? यदि हम पुलिस की तरफ देखें तो हमें यह साफ जाहिर होगा कि जिसकी रक्षा के लिये वह बनी है उसकी रक्षा न करके वह एक संगठित रूप से यह प्रचार कर रही है कि अब तो देशी राज्य है सब लोग ही पन्त जी और जवाहर लाल नेहरू तक पहुंच जाते हैं फिर हमारे पास इसका इलाज ही क्या है? लेकिन जब गवर्नमेंट से कोई बात पूछी जाती है तो उसको ये लोग जवाब देते हैं कि हम लोग क्या करें यदि कोई मुकद्दमा पेश किया जाता है तो हालत यह है सब मुल्जिमान छूट जाते हैं। पब्लिक हमारा साथ नहीं देती। इधर पब्लिक से तो उसका कहना यह है और उधर गवर्नमेंट से उसका यह कहना है। इस बीच में मामूली से मामूली सब-इंसपेक्टर जो कि ७५ रुपया पाता है, एक एक थाने में यदि वह डेढ़ दो साल रह जाता है तो वहां से ४५-५० हजार रुपया रिश्वत का गरीब किसान से लेता है।

वहां जो निगेटिव (नकारात्मक) शोषण हो रहा है उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है, यह बड़े अफसोस की बात है। यह एक बड़ी ठोस चीज है जिसकी तरफ हमें देखना है। यह बड़ी

[श्री वंशीदास धनगर]

चीज नहीं है कि हम मुहकमों में आदमी बढ़ाते जांय बड़ी बड़ी भर्तियां करते जायं आला आला आफिसर्स रखते जायं बल्कि वहां हमें यह भी देखना है कि आखिर ये मुहकमें के आफिसर्स हमारे लिये कुछ काम भी कर रहे हैं या लूट कर रहे हैं। अगर कोई मामला पुलिस के सामने इन्दराज का आता है तो पुलिस क्या करती है? वहां पर दलालों की टोली हर थाने में मौजूद है। उत्तर प्रदेश का कोई भी थाना ऐसा नहीं है जहां पुलिस के दलाल मौजूद न हों। हर एक थाने में १० से लेकर २० तक दलालों की टोली मौजूद है। कोई भी मामला आया तो या तो सब---इंस्पेक्टर साहब मौजूद नहीं हैं और अगर उनकी अनुमति के कोई इन्दराज हो नहीं सकता और अगर कोई इन्दराज होगा तो वह इस लिहाज से होगा कि यह देख लिया जायगा कि जिस पार्टी की तरफ से मामला आया है और जिस पार्टी के खिलाफ मामला आया है, दोनों पार्टियों में किसकी तरफ से ज्यादा पैसा मिल सकता है। बस उसी हिसाब से वह मामला लिखा जायगा। तो यह असल में बेहातों की निर्माण की शक्ल है। अब हमारी सरकार या हमारे वित्त मंत्री शायद यह कह कर छुटकारा पाना चाहते हैं कि पुलिस ज्यादा बढ़ा दी जायगी, सब-इंस्पेक्टर ज्यादा रख दिये जायेंगे या कुछ उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जायगा बस मकसद पूरा हो जायगा। लेकिन मेरी समझ से आज एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर बड़ी जबरदस्त तब्दीली करने की जरूरत है। आखिर जो हमारे कर्मचारियों की फौज है, वह जिस मकसद के लिये है लाजिमी रूप में उससे वह मकसद पूरा नहीं हो रहा है। जिस तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये उस तरफ हम लोग आम-तौर पर कतई मुतवज्जह नहीं होते हैं। ठोस कदम की जरूरत है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिये उनको हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे कहना तो इस बजट पर बहुत कुछ था मगर समय बहुत कम है इसलिये मैं बहुत नहीं कहूंगा। मगर थोड़ी सी बातें अपनी कंस्टीट्युएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) के लिये और अपने पहाड़ी इलाके के लिये कहे बिना नहीं रह सकता।

कोई भी इकनामी (अर्थ व्यवस्था) तब तक साउण्ड (ठोस) इकनामी नहीं कही जा सकती जब तक कि सारे इलाके को एक तरह से न लिया जाय। किसी इलाके के लोग तो अपनी नैसिसिटी (आवश्यकता) पूरी न कर सकें और कोई इलाका कम्फर्ट (आराम) और लक्जरीज (विलासता) के लिये बातें करे, यह कोई सही तरीका नहीं हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस भवन का उद्देश्य यह होना चाहिये कि जब सारे इलाकों की नेसेसिटीज पूरी कर दी जायं तभी किसी इलाके के लिये कम्फर्ट और लग्जरीज की बात सोची जा सके। कोई भी शरीर तब तक सुडौल शरीर नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसका कोई भी हिस्सा कमजोर हो। अगर किसी शरीर के एक हिस्से के सेल्स (पट्ठे) बहुत मजबूत हों और कोई बहुत कमजोर हों तो वह शरीर सुडौल शरीर नहीं है। ऐसी ही बात मैं आपको यहां दिखलाऊंगा कि हमारा पहाड़ी इलाका टेहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल आदि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, उनकी सभ्यता पिछड़ी हुई है। अगर हम उनका मुकाबिला सोलहवीं शताब्दी से करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि जो पिछड़े हुये इलाके हैं उनके लिये एक खास बजट अलग से मंजूर करें ताकि उन इलाकों के लोग भी मनुष्य कहलाने के योग्य हो सकें। यह नहीं कि पहाड़ के ४ जिले तो पिछड़े हुये रहें और बाकी प्लेन्स (मैदानों) के ४८ जिलों में खुशहाली रहे। यह आपके ऊपर कलंक रहेगा और आप पछतावेंगे। अगर आपको अपने यहां ऐसे सिटीजन्स (नागरिक) तैयार करना है जो देश की उन्नति में भाग ले सकें तो आपको उन पिछड़े हुये इलाकों को भी देखना चाहिये और उनके लिये भी कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। यह इनडिफरेंस (उदासीनता) का ऐटीट्यूड (बर्ताव) नहीं रखना चाहिये बल्कि उनको भी

इन्सान समझना चाहिये और उनको ऐसा इंसान बनाना चाहिये जो निर्माण कार्य में सहायक हों। मैं सदन के सामने उन इलाकों की दो चार बातें लाना चाहता हूं इसलिये कि उनको भी मनुष्य बनने का पूर्ण अधिकार है। उनको भी वही सुविधायें मिलनी चाहियें जो प्लेन्स में मिलती हैं। जैसे अस्पताल, जैसी सड़कें और जैसा शिक्षा का प्रचार यहां मिलता है यदि उतना न हो तो थोड़े अंश में तो जरूर होना चाहिये । अगर आप लोगों में से कोई उन इलाकों की हालत देखे तो सैकड़ों मील तक मोटर रोड्स छोड़ दीजिये, टार्ड रोड्स छोड़ दीजिये, कोई भी सड़क नहीं है। पोस्ट आफिस का ऐसा इंतजाम है कि दस दस दिन तक टेलीग्राम नहीं पहुंच पाते। अगर किसी का एक्सप्रेस टेलीग्राम है तो दस दिन में उसे टेलीग्राम मिलता है। अब आप समझिये कि उनको भी इस २०वीं शताब्दी के विज्ञान का कुछ तो फायदा मिल सके। यह तो पोस्ट आफिस की बात है। अस्पतालों की हालत मैं आपको बतलाता हूं। कई जगहें ऐसी हैं जहां से अस्पताल तक पहुंचने के लिये दस दिन लग जाते हैं। भोर से पिथौरागढ़ तक १० दिन का रास्ता है और यदि कोई बच्चा जनाना हो तो तब आकर वह डिलेवरी करा सकते हैं तो क्या आप इस हालत के रहते हुये यह सोच सकते हैं कि यह मुल्क एक सभ्य मुल्क कहला सकता है? मैं जिस कांस्टीटुयेन्सी का नुमाइन्दा हूं यानी पिथौरागढ़ चम्पावत वह एक ओर नैपाल से मिला हुआ है और दूसरी ओर तिब्बत से। बहुत गरीब लोग वहां रहते हैं और बहुत ही शोचनीय दशा वहां की है। २०वीं शताब्दी की सभ्यता का कुछ भी असर वहां नहीं है। अगर मैं उस इलाके का तिब्बत के इलाके से या नैपाल से मिलान करूं तो कोई अतिशियोक्ति न होगी। तो क्या ऐसी हालत में हमारा प्रदेश कोई सभ्य प्रदेश कहला सकता है? ऐसी हालत में हम सबका कत्तव्य है कि हम लोग ठंढे दिल से इस बात को सोचें। हम बालिग मताधिकार के द्वारा चुनाव से यहां पर आये हैं और सारे देश के नुमाइन्दे हैं। तो सारे प्रदेश की दशा को हमें सोचना होगा। अगर हमारे बजट में इतना रुपया न हो कि हम इन इलाकों की उन्नति कर सकें तो हम सेण्ट्रल गवर्नमेंट से इन इलाकों के लिये रुपया मंजूर करा सकते हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि तिब्बत से मिले होने के कारण कम्युनिस्टों (साम्यवादियों) का बहुत बड़ा खतरा इस सारे प्रदेश को हो गया है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि सारे हिन्दुस्तान का मसला है। इसलिये यह जरूरी है कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट इसके लिये खर्चा मंजूर करे। वहां सड़कें बनवाई जांय, वहां के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाय तभी हम पहाड़ी इलाकों का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा और जो इंडस्ट्रीज (उद्योग) हैं जैसे वूल (ऊन) इंडस्ट्री, बोरेक्स की इंडस्ट्री है और कई ऐसे जरूरी पदार्थ हैं जो वहां के जंगलों में मिलते हैं जिनसे दवाइयां वगैरह बनती हैं उनके विकास की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अन्त में मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका है जिसके लिये आपको खास कर कोई बजट रखना चाहिये। तभी इस देश की तरक्की हो सकती है। अगर आप लोग अपने ही जिलों के लिये सोचते रहें और वहां का ख्याल न किया तो यह पिछड़ा हुआ इलाका पिछड़ा हुआ ही रहेगा और वे आप को कोसते रहेंगे। उनकी उन्नति करना आपके हाथ में है और आप का फर्ज हो जाता है कि आप लोग पुरानी अंग्रेजी हकूमत की तरह से अपना रवैया न बनायें बल्कि जो भी पिछड़े हुये इलाके हैं, जो जरूरतमंद हैं, ऐसे लोगों को उठाना, उनको आगे बढ़ाना आप लोगों का कर्त्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन बातों का पूर्ण ध्यान रखेंगे और यह देखेंगे कि कश्मीर ने क्यों इतनी उन्नति कर ली। टूयूरिस्ट ट्रेड [यात्रिक व्यवसाय] के द्वारा वहां बड़ी उन्नति हुई है। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि इन पहाड़ी इलाकों में पिंडारी ग्लेशियर और मानसरोवर झील जैसे मनोरम स्थान हैं। अगर वहां ट्यूरिस्ट ट्रेड स्थापित की जाय तो वहां की बहुत उन्नति हो सकती है।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नैपाल में इधर गड़बड़ी होने की वजह से नैपाल से हमारे इलाके से जो व्यापार होता था वह बन्द हो गया है जिससे हमारे यहां बहुत तकलीफ हो गयी है। वहां जो कपड़ा जाता था, अनाज वहां से आता था, वह भी बन्द कर दिया गया है। इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ है।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश और प्रदेश की जनता को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाने के द्योतक और प्रेरक इस बजट को आदरणीय सदन के सम्मुख उपस्थित करने पर मैं सरकार को, माननीय वित्त मंत्री को और उनके वित्त विभाग को बधाई देता हूं।

इसके अनन्तर मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण में किये गये विलीन रियासतों से सम्बद्ध जिक्र की ओर उनका ध्यान तीन रियासतों में से एक रामपुर की कुछ आवश्यक बातों के विषय में ले जाना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण के इस हिस्से में जिक्र किया है कि विलीन रियासतों का स्तर स्वभावतः कुछ नीचा था। उसको प्रदेश के स्तर पर लाने की कोशिश की गई है। इसलिये जो यह विलीन रियासतें हैं उनकी ओर इस प्रदेश की कुछ जिम्मेदारियां कुछ समय तक रहेंगी; पर मैं समझता हूं कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने इन रियासतों के संबंध में जो कुछ थोड़ा सा हिस्सा रखा है वह बहुत नाकाफी है। रामपुर के संबंध में ही देखिये। वहां की जिला जजी का स्थायी किया जाना तथा वहां की कुछ तहसीलों में अस्पताखाने खोले जाने के लिये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बजट में जिक्र है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत नाकाफी है और इसके लिये हमें थोड़ा सा गम्भीरता-पूर्वक विचार करना पड़ेगा।

विलीन रियासतों में शासन परिवर्तन के बाद वहां की परिवर्तित स्थिति का वहां की साधारण जनता पर पोलिटिकल, आर्थिक, सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा और आज उसकी क्या स्थिति है यह भी आदरणीय सदन के लिये अवश्य विचारणीय है। रामपुर में मरजर (विलय) के बाद तकरीबन ४ हजार सरकारी मुलाजिम नौकरियों से अलग हुये। उन ४ हजार मुलाजिमों से लगे हुये परिवारों में यदि हम एक में पांच-पांच प्राणी भी मान लें तो उनसे संबद्ध इस प्रकार २० हजार प्राणी मरजर के बाद बेरोजगार हो गये। लगभग १० हजार शरणार्थी वहां दूसरे जिलों से मरजर के बाद आये और इस प्रकार एक लाख से कुछ अधिक आबादी के शहर रामपुर में ३० हजार आदमी बेरोजगार हुये। प्रदेशीय शासन ने वहां का शासन भार संभालने के बाद इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये वहां पर थोड़े समय के लिये बन्द हुये दो कारखानों को, टेक्सटाइल्स तथा रामपुर मेज प्रोडक्टस को चलाने के लिये कोशिश की और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे यह बेरोजगारी दूर हो जाती। साथ ही इसके यह बात हुई कि इन बरखास्त शुदा मुलाजिमों को जो पेंशन और ग्रेट्युइटी वगैरह के अधिकार थे वह ढाई साल होने के बाद भी उनको अभी भी नहीं मिले हैं। आडिट कमेटी भी गई, फाइनेंस कमेटी भी गई, टेहरी रामपुर सब जगह गई लेकिन इसका फल कुछ नहीं है। आज यहां कार्यवाई हो रही है, कल वहां हो रही है और वे लोग जहां के तहां हैं। इसके अलावा जून, सन् १९५१ में माननीय मुख्य मंत्री के आदेश पर नैनीताल में उनके निवासस्थान पर एक मीटिंग हुई थी। उसमें रामपुर के बारे में बहुत सी बातों पर गौर करने के लिये सब विभागों के मंत्रीगण एकत्र हुये थे। उस मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री का आदेश था कि वहां के शिक्षा विभाग के मुलाजिमों को जल्द से जल्द स्थायी किया जाय। पर आज भी वही स्थिति है और वे आज भी अस्थायी रूप में चल रहे हैं, टेम्पोरेरी (अस्थायी) चल रहे हैं। इसके अलावा मरजर के बाद कई बार इस बात की मांग की गयी और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि वहां पर लगान की दर ज्यादा है। इसी २१ जून, १९५१ वाली मीटिंग में यह प्रश्न उठा था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने संबद्ध मुहकमों को आर्डर दिया था कि वे जल्द से जल्द इस बात का नक्शा तैयार करें कि रामपुर की विभिन्न तहसीलों में लगान के सर्किल रेट क्या क्या हैं और आस पास के दूसरे क्षेत्रों में क्या क्या हैं। वह नक्शा संबद्ध विभाग की ओर से सरकार की सेवा में भेजा भी गया और यह बिलकुल सही है कि रामपुर की हर तहसील में जो लगान का ऐवरेज (औसत) सर्किल रेट है उसके निकटवर्ती दूसरे जिलों के क्षेत्रों से वह कई गुना, दो गुना, ४ गुना, और ७ गुना तक है।

बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनकी ओर यदि सरकार ने तफसीली बयान नहीं दिया तो वहां की जनता में असंतोष बढ़ता ही जायगा। तहसील शाहाबाद के अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो वर्ष के ६ महीने में अन्य इलाकों से और जिले से बिलकुल कटआफ (अलग) रहते हैं। टेलिफोन वहां नहीं है, तार वहां नहीं है। वहां के एक लाख आदमियों को साल के ६ महीनों में संसार के सब क्षेत्रों से हर प्रकार अलग रहना पड़ता है। उनकी ओर बराबर ध्यान दिलाये जाने के बावजूद भी सरकार ने कोई भी स्कीम नहीं बनाई और कोई बात चालू नहीं की और जितनी सुविधा वहां पहले प्राप्त थी टेलीफोन वगैरह की वह भी अब नहीं रही। इसके लिये बराबर हर अवसर पर कहा गया है।

माननीय वित्त मंत्री के प्रस्तुत बजट में पुलिस विभाग की ओर से लिखा गया है कि इन रियासतों में पुलिस के स्तर को नीचे ले आया गया है और इससे कम में काम नहीं चल सकता था। क्या यही कारण है कि रामपुर में कोतवाली के बिलकुल पीछे १०० गज की दूरी पर शाम के ८ बजे चोरी हो और ३ दिन तक वहाँ कोई तफतीश करने के लिये न जाय और उसका कारण जब वहां के पुलिस अधिकारियों से मालूम किया जाय तो बतलाया जाय कि हमारे यहां की पुलिस की तादाद कम हो गयी है इसलिये काम में दिक्कत होती है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इसकी ओर ध्यान देने की कृपा करें।

आज अदालतों की यह हालत है कि दो-दो ढाई-ढाई साल के मुकदमे अदालतों मे पड़े हुये हैं। धारा ३२३ या इसी प्रकार की दूसरी धाराओं के मातहत हवालाती जेलों में बहुत दिनों से सड़ रहे हैं पन्द्रह पन्द्रह पेशियां पड़ चुकी हैं, लेकिन उनको एक मर्तबा भी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने तक का मौका नहीं मिला है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव यह है कि जहां जनता मे असंतोष है वहां नाराजगी भी है।

जहां शहर के तीनों ही पुलिस स्टेशन्स के इंचार्ज साथ साथ सिनेमा में शाम का शो देखने जायं, वहां पुलिस किस प्रकार शांति एवं व्यवस्था रख सकती है? यह विशेष ध्यान देने की बात है।

करप्शन (भ्रष्टाचार) का यह हाल है कि पिछले कुछ महीनों में बिजली के संबंध म बहुत से केसेज बिजली विभाग के सामने आ चुके हैं। कनेक्शन किसी नाम से मंजूर है और किसी के स्थान पर लगा हुआ है और ग़लत नाम से बिजली का पेमेंट (भुगतान) हो रहा है। विभाग के सामने यह मामला आया परन्तु विभाग के अपराधी को मुअत्तल तक नहीं किया गया। पुलिस के एक आदर्श थाने में पांच सौ रुपया ले करके एक औरत को बेचा गया। यद्यपि शिकायत होने पर जांच में वह साबित नहीं हो सका लेकिन मैं जिम्मेदारी और यकीन के साथ कह सकता हूं कि बात सही है। यदि ऐसे मामले की कानफिडेंशल एंक्वायरी (गुप्त जांच) नहीं की जायगी और कम से कम मुहकमान सजा अपराधियों को नहीं दी जायगी तो वहां की जनता पर सरकार का कैसे अच्छा प्रभाव पड़ सकता है?

इसलिये संक्षेप में इन तमाम बातों को कह कर मैं एक सुझाव आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय जो इन तीनों मर्ज्ड स्टेट्स (विलीन राज्यों) में कुछ दिन रह कर वहां की जरूरतों और जनता की तकलीफ़ों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे तथा सरकार उस रिपोर्ट पर ध्यान देने की कृपा करे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर काफी बहस हो चुकी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने इस बजट को सामने रख करके जनता से खुले आम लड़ाई का एलान किया है। लड़ाई का एलान जरूर है लेकिन लड़ाई गरीबी से है, बेकारी से है। जो सज्जन यह कहते हैं कि इस बजट के द्वारा जनता से लड़ाई का एलान किया गया है उसका अर्थ क्या है वह वही समझ सकते हैं। जिस बजट के द्वारा हमारे विकास

[श्री शिवनाथ काटजू]

और निर्माण की योजनाओं पर लगभग २० करोड़ रुपया खर्च किया जाय, जिस बजट में सड़कों के बनाने पर ७ करोड़ १० लाख रुपये का तखमीना रखा जाय, जिस बजट में शिक्षा पर ६ करोड़ से ऊपर और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर लगभग साढे तीन करोड़ से ऊपर खर्च हो, उस बजट के लिये कहना कि उसके द्वारा जनता से युद्ध का एलान किया गया है, यह कहां तक सत्य है उसको माननीय सदस्य ही समझ सकते हैं। इस प्रकार का बजट स्वतंत्र भारत में प्रथम बार रखा गया है। आज हमारे सामने निर्माण की योजनाएं प्रमुख स्थान रखती हैं और स्वाभाविक है कि जब निर्माण की बड़ी बड़ी योजनायें सामने हों तो उनके ऊपर पहले काफी खर्च भी होगा।

फिर यह प्रश्न उठता है कि यह काम जो हमको करना है उसके लिये द्रव्य कहां से आये। या तो जनता से इतना टैक्स लिया जाय कि उस खर्चे को बरदाश्त कर सके। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि आज सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंटों पर जितना खर्च होता था उन पर उससे तिगुना और चौगुना हो रहा है। मेरे अनुमान में उन खर्चों को करते हुये और इतनी इतनी योजनाओं का भार ले कर सरकार ने जो बजट रखा है वह बहुत ही सराहनीय है। यह ठीक है कि इसके लिये लगभग साढे चार करोड़ का डैफिसिट (घाटा) है और आज किसी भी श्रेणी के लोगों के ऊपर नये टैक्स का भार लादना कष्टदायक अवश्य होगा। जहां तक मध्यम श्रेणी के लोगों का संबंध है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आज उनकी स्थिति शायद गांव वालों से ज्यादा खराब है। पहले जैसे कहा जाता था कि गांव वालों की हालत यह है कि उनको दो वक्त खाने को नहीं मिलता है वैसे ही आज शहरों में मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे सफेद पोश लोग हैं जिनके यहां शायद सप्ताह में एक दिन या दो दिन एक वक्त का चूल्हा ठंडा हो जाता है। तो ऐसी हालत में नये टैक्स का बोझ किसी भी श्रेणी के लोगों पर लादना कष्टदायक अवश्य है। लेकिन आज जनता के सामने केवल यही उपाय है कि जिस तरह से हो अपनी कमर को कस कर और कष्ट उठा कर दो चार साल जहां तक हो सके वे कष्ट झेलें और निर्माण की योजनाओं को सफल बनायें, क्योंकि उसी से हमारे देश की दरिद्रता दूर होगी।

एक माननीय सज्जन ने पुलिस के ऊपर जो खर्च हो रहा है उसके संबंध में कहा कि आज हमारे प्रदेश में कोई अशांति नहीं है।

(इस समय ३ बजकर १६ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मान्यवर महोदय, आज जहां हमारे सामने निर्माण की योजनायें हैं उसी के साथ साथ देश की आन्तरिक रक्षा भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहना कि हमारे यहां पूरी तरह से शांति है, यह कुछ कुछ ठीक नहीं है। हमारे कौंसिल हाउस के सामने ही ५० ही कदम के ऊपर अभी कुछ ही दिन हुये एक बड़ी भारी चोरी हुई। अभी कुछ ही दिन हुये वित्त मंत्री के घर में चोरी हुई, न्याय मंत्री के यहां चोरी हुई और हमारे डी० आई० जी० के यहां चोरी हुई। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि सीतापुर और लखनऊ के बीच दो डाके पड़े। अभी मैंने कल ही पढ़ा कि मेरे नगर प्रयाग में एक सरकारी कर्मचारी के लड़के को उठा कर ले गये और उससे पांच हजार रैनसम (मुक्तिशुल्क) मांगा गया। ये ऐसे उदाहरण हैं जो जनता के सामने आते हैं। गांवों में क्या हो रहा है? वह मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा संतोषजनक स्थिति नहीं है। ऐसी हालत में यह कहना कि पुलिस के ऊपर जो ७ करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं, वे अधिक हैं, यह उचित नहीं है। बल्कि प्रत्येक सरकार का यह धर्म हो जाता है कि वह अपने प्रदेश में शांति स्थापित करे और अगर आज शांति की स्थापना की ज्यादा आवश्यकता होगी तो स्वाभाविक है कि विकास के ऊपर जो कुछ रुपया खर्च किया जा रहा है उसमें से निकाल कर शांति की स्थापना के लिये उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वित्त मंत्री को उनके इस बजट पर धन्यवाद देता हूं लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जितना रुपया इन विकास योजनाओं पर खर्च किया जायगा वह बहुत देखभाल कर होना चाहिये। जैसे नई सड़कों के लिये २ करोड़ ३० लाख की रकम रखी गई है लेकिन किस प्रकार से यह रकम जिलों में बांटी जायगी इसका कुछ भी जिक्र इस बजट में नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस तरह से इसका बटवारा हो कि किसी जिले को कोई शिकायत का मौका न आये और कोई यह न कह सके कि उसके जिले के साथ न्याय नहीं हुआ, बल्कि ऐसी योजना हों जिसमें जिले के रहने वालों से सेल्फ हैल्प के तौर पर कहा जाय कि अगर तुम खुद इस काम में मदद करोगे तो सरकार की तरफ से इतना रुपया दिया जायगा, तो ऐसी योजनाओं में ज्यादा सफलता होगी और कम खर्च में काम होगा। जनता के उत्साह और उद्योग से बड़ी सफलता मिलेगी। मैं फिर एक बार वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

सभा की बैठक के कार्यकाल में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ५ बजे के बजाय आज की असेम्बली का समय ६ बजे तक रख दिया जाय।

अध्यक्ष---मैं इसके ऊपर सदन की राय लेता हूं। मैंने कल भी कहा था कि इस विषय पर आज राय लूंगा।

प्रश्न यह है कि ५ बजे के बजाय आज की एसेम्बली का समय ६ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय. आज दो दिन से इस बजट पर बहस हो रही है। विरोधी पक्ष का जहां तक संबंध है उसके अधिकतर सदस्यों को इस बजट में कोई बात अच्छी नहीं लगी बल्कि पोजीटिवली (अवश्य) उनको यह बजट रिएक्शनरी (प्रतिगामी) और जनता पर युद्ध की घोषणा के रूप में दीखा है। पेश्तर इसके कि कहां तक यह पौपलर (सर्वप्रिय) बजट है, डेवलप्मेण्ट डिपार्टमेण्ट के ऊपर ज्यादा खर्चा करने वाला है, हर प्रकार से यह जनता के हित में है, इस विषय कुछ कहा जाय, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जितने बजट अब तक पिछले मंत्रिमंडल ने तैयार किये हैं, उन सब से, जहां तक जनता के हित के सम्पादन करने का सवाल है, यह बजट ज्यादा दूर जाने वाला है।

पूर्व इसके कि मैं अपने विचार प्रकट करूं, जो मुहकमा मुझे मिला है उस मुहकमे से सम्बद्ध बातों की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है और उसके सिलसिले में जो आलोचनायें की गई हैं, उनका मैं मुख्तसरन जबाब देना जरूरी समझता हूं।

एक सज्जन ने यह कहा, जो एक बहुत ही साधारण सी बात है, कि फ्लड (बाढ़) के लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिये कुछ रुपया नहीं रखा गया है। इसका मोटा सा जबाब यह है कि सात लाख रुपया इस चीज के लिये बजट में रखा हुआ है और मैं माननीय सदस्य की इत्तिला के लिये बजट के वाल्यूम ४ पर ग्राण्ट नंबर ३५, पेज २४७ की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस तरह से एक लाख रुपया रखा गया है और १२,००० रुपया मुरादाबाद और बहराइच में नावों की खरीद के लिये है। यह जबाब तो जो थोड़ी नुक्ताचीनी की गई थी उसका है।

कई सदस्यों ने दोहराया है और कई बार दोहराया है और आज भी दोहराया गया और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से हमने जमींदारी विनाश की योजना को उठाया है उसी समय से आज तक बराबर उसी चीज को दोहराया जाता रहा है। मैं इसका कई बार जवाब दे चुका हूं।

[श्री चरणसिंह]

मुझे अत्यंत खुशी होगी अगर मेरे जवाब का कोई समुचित प्रत्युत्तर आज दिया जा सके या कल दिया जाय। कहा यह गया कि जमींदारी विनाश कानून तो बिलकुल बेकार है। उससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दो काम नहीं किये गये। एक तो लगान नहीं घटाया गया और दूसरे रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड (भूमि का पुनर्वितरण) नहीं किया गया। रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड नहीं किया गया इस बात के साथ ही साथ चीन की ओर इशारा किया जाता है। चीन में भूमि वितरण से क्या फायदा हुआ, क्या हो सकता था उसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर बाद दूंगा। लेकिन पेश्तर इसके कि कुछ मुफस्सिल जवाब दूं मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी स्थिति और चीन की स्थिति में फर्क है। "नेशनल हेरेल्ड" के एडीटर श्री चेलापति राव हैं। उनके एक लेख से चीन की हालत का पता चलता है।"

"The great landlords comprising 30,000 families had often estates over 300,000 acres in the South and up to 400,000 acres in Manchuria."

[ऐसे बड़े जमींदारों के पास जिनके ३०,००० परिवार थे दक्षिण में प्राय ३००,००० एकड़ से अधिक की जमींदारी और मंचूरिया में ४००,००० एकड़ तक की जमींदारी रहती थी।]

३० हजार की तादाद में ३ लाख एकड़ के फार्म्स थे। कुछ के पास ४ लाख एकड़ के भी फार्म्स थे। इसके बरअक्स हमारे सूबे में क्या हालत है? स्थिति यह है कि १,१४,७०० होल्डिंग्स (जोतें) २५ एकड़ से बड़ी हैं। इन १,१४,७०० में केवल ३२ १/२ हजार होल्डिंग्स प्रोप्रायटरी होल्डिंग्स [मिल्कियती जोतें] हैं केवल ८,२०,२०० होल्डिंग्स [जोतें] काश्तकारों के पास हैं। जमींदारों की होल्डिंग्स रिडिस्ट्रिब्यूट (पुनर्वितरित) होनी चाहिये। इसको छोड़ दीजिये। मैं अपने लायक दोस्तों से जानना चाहूंगा कि कितने उनमें से हैं जो किसान के पास जा कर कहेंगे कि २५ एकड़ से ज्यादा तुम्हारे पास ८,२०,२०० होल्डिंग्स हैं उनको रिडिस्ट्रब्यूट कर दो और बिना मुआविजा कर दो। बहुत कम ऐसे लोग होंगे चाहे बहस के लिये आप मेरे सामने कुछ कह दें वह दूसरी बात है। जहां तक जमींदारों की बात है, ३२,५०० होल्डिंग्स ऐसी हैं जो २५ और ५० एकड़ के बीच में हैं। ६,७०० होल्डिंग्स ऐसी हैं जो ५० एकड़ और १०० एकड़ के बीच में हैं और बहुत कम होल्डिंग्स ऐसी हैं जो १०० एकड़ और २५० एकड़ के बीच में हैं। अगर इन सबको तकसीम कर दिया जाय और प्रोप्रायटरी होल्डिंग्स जो जमींदारों की हैं उनको भी तकसीम कर दिया जाय जिनमें २५ एकड़ से जायद रकबा है तो भी हमारी समस्या हल नहीं होती। मैं यह कहता हूं कि जमींदारों की प्रोप्रायटरी होल्डिंग्स को छोड़ दीजिये। १,१४,७०० जो प्रोप्रायटरी और नान प्रोप्रायटरी होल्डिंग्स हैं उन सबका रकबा ५३ लाख एकड़ होता है। २५,२५ एकड़ अगर सबके पास छोड़ दी जाय तो २४ लाख एकड़ जमीन ऐसी बचती है जो एकनामिक (आर्थिक) है। १० लाख ४८ हजार एकड़ जमीन ऐसी है, जो सीर और खुदकाश्त में सबलेट हो (शिकमी पर दी जा) चुकी है। तो १४ लाख ४ हजार एकड़ जमीन रह जाती है और जो कि २५ एकड़ की जितनी होल्डिंग्स हमारे सूबे में हैं उस रकबे को भी लया जाय तो फिर कितनी जमीन काबिले तकसीम रह जाती है? अगर ३० एकड़ की बात रख ली जाय जैसा कि हमारे विरोधी भाई स्वीकार करते हैं तो फिर ५,६ लाख और निकल जाती है और केवल साढ़े सात लाख एकड़ जमीन ऐसी रह जाती है जो आप बांट सकें। इस ३० एकड़ की बात लेने के बाद और उस रकबे को छोड़ने के बाद जो कि आलरेडी (पहले ही) सबलेट (शिकमी पर दिया हुआ) है सिर्फ साढ़े सात लाख एकड़ जमीन सारे सूबे में निकलती है जो कि रिडिस्ट्रीब्यूशन (पुनर्वितरण) की जा सकती है। चीन की मिसाल दी जाती है। वहां पर चार लाख एकड़ के फार्म हैं। चार लाख एकड़ का रकबा किसी के कब्जे में हमारे सूबे में नहीं है और तीन लाख एकड़ के रकबे वाले फार्म भी हमारे हिस्से में नहीं हैं। हमारे सूबे में ३८३ आर्गनाइज्ड (संघटित) फार्म थे जिनका रकबा करीब ६०,८४४ एकड़ होता है। उसका औसत करीब १६० एकड़ के आता है जो कि आर्गनाइज्ड फार्म्स सूबे जिनको आप एग्रीकल्चरल लाइन पर मैकनाइज्ड (मशीनों से युक्त) फार्म कह सकते

हैं। तो अब साढ़े सात लाख एकड़ जमीन को डिवाइड (विभक्त) किया जाय ३४ लाख फैमिलीज [परिवारों] में, न कि एक मनुष्य में और साथ ही सवा छै एकड़ के अनइकानामिक होल्डिंग (अलाभकर जोतें) है तो इस साढ़े सात लाख में करीब ५ बिस्वा या ६ बिस्वा एक के हिस्से में आती है। सन् १९३१ ई० के सेन्सस (जनगणना) के अनुसार साढ़े चौदह फीसदी भूमिहीन लेबरर्स (श्रमिक) थे। वे सन् ४१ में आकर पौने छै फीसदी रह गये हालांकि मुझे इसको स्वीकार करने में संकोच होता है। अगर उसको अब साढे चार भी मान लिया जाय तो इस साढ़े सात लाख को तकसीम करने में किसको क्या मिलेगा ? फिर इसका सर्वे होगा और चांज होगी और फिर आप कहते हैं कि इक्वीटेबिल (बराबर) हो। तो इसमें २५ साल लग जायगे और किसी का कोई भी लाभ नहीं होगा। यह रिडिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल उठाया जा रहा है यह राजनीतिक कारणों से उठाया जा रहा है। अगर मेरे विरोधी दल के भाई मेरे आंकड़ों को गलत साबित कर देंगे तो मैं अपनी सम्मति को रिवाइज (पुनर्वीक्षित) करने के लिये खुश हूंगा। अगर दो चार करोड़ जमीन कहीं से मिल जाय तो मैं अपनी कैबिनेट (मंत्रिमंडल) को सलाह दूंगा कि रिडिस्ट्रीब्यूशन जरूर किया जाय।

दूसरी बात कही जाती है कि रिडक्शन आफ रेंट (लगान में कमी) नहीं किया गया। कुरबान जाइये आपके तर्क और आपकी बुद्धि पर। क्या यह लाजिमी है कि रेंट में जरूर ही रिडेक्शन (कमी) होना चाहिये, बिला लिहाज किसी वक्त के यह जरूर होना चाहिये। क्या इसलिये कि हमने अंग्रेजों के जमाने में रट लिया था कि रेंट जरूर घटना चाहिये। उस जमाने में सन् १९३१ ई० से लेकर सन् १९४० तक एक डिप्रेशन (अधोगति) का जमाना था इसलिये उस वक्त ऐसा किया गया और इस तरह की आवाज उठाई गयी थी। क्या उसी तरह से रेंट आज भी घटना चाहिये ? साहब, क्यों घटना चाहिये ? यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की दफा ११० के मुताबिक रेंट फिक्स (नियत) होता है और उसका कायदा यह है कि जो ऐनुअल प्रोड्यूस (वार्षिक उपज) होता है उसका एक बटा पांच रेंट फिक्स होता है। यह रेंट करीब करीब बराबर है उस लगान के जो १३०९ और १३१३ फसली में यानी सन् १९०१ और १९०५-६ में मुकर्रर हुआ था। दफा ११० के मातहत जो ज्यादातर रिवाइज्ड सैटिलमेंट (पुनर्वीक्षित बन्दोबस्त) हुये वह सब डिप्रेशन के जमाने में हुये और वही लगान आज भी चला आता है। यह वह लगान है जो कि डिप्रेशन के जमाने में मुकर्रर हुआ था। आज जो खेती की पैदावार है उसका औसत चार गुना हो गया है यानी तब की कीमत से आज जो पैदा होता है उसकी चौगुनी कीमत है लेकिन लगान वही है जो पहले था और वही आज भी मौजूद है। यह तो रहा ४० फीसदी हेरिडिट्री टैनेंट्स (मौरूसी असामियों) का सवाल। अब हमारे ३० फीसदी आकूपेंसी टेनेंट्स (दखीलकार असामी) जो हैं उनके लगान का औसत है ४.८ रुपये फी एकड़, हेरिडिट्री (मौरूसी) टैनेंट्स से भी २० फीसदी कम है और जहां तक एक्सप्रोप्राइटरी (साकितुल मिल्कियत) टेनेंट्स की बात है वह ४.६ रुपया फी एकड़ है। वह आकूपेंसी टेनेंट्स से भी कम है और जहां तक फिक्स्ड रेट (शरह मुअय्यन) टेनेंट्स की बात है वह ४ रुपये फी एकड़ है जो लार्ड कार्नवालिस के जमाने में तय हुआ था और उनके पास परमानेंट एरिया (स्थायी क्षेत्र) है। मैं फिर दुहरा दूं कि यह वही दलील है कि किसानों की हमदर्दी हासिल करें। जो किसान की औसतन ऐनुअल प्राड्यूस (वार्षिक उपज) होती है रेंट किसी सूरत से किसी जगह पर उसके १।१५ से ज्यादा नहीं है। तो फिर कहना कि लगान घटना चाहिये और चूंकि घटा नहीं इसलिये जमींदारी के खत्म होने से कोई फायदा नहीं हुआ यह बात महज प्रोपेगेंडे (प्रचार) की है। जमींदारी के खत्म होने का मतलब क्या था। उसका मतलब यह है कि लैंडलार्ड (जमीदार) और टिनेंसी (असामी) का सिस्टम यानी जो लैंडलार्ड और टिनेंट का रिश्ता पैदा होता है वह हटा है। अब लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन और रेंट के रिफिक्सेशन (पुनर्नियति) से उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं मान भी लूं कि उससे उसका वास्ता है तो भी इस वक्त उसके घटाने का कोई सवाल उठता नहीं, रेंट अगर बढ़ाया जाता तो हक ब जानिब था।

[श्री चरण सिंह]

यह भी कहा जाता है कि जेड० ए० एफ० कैम्पेन (जमींदारी उन्मूलन निधि विषयक प्रयास) जो था वह तो खत्म हो गया और बेकार की चीज साबित हो गया क्योंकि ३२ करोड़ रुपया ही वसूल हुआ। गो कि ३२ करोड़ से कुछ ज्यादा ही वसूल हो गया है लेकिन कहा गया कि वह यहां तक खराब था कि लोगों के पास रुपया नहीं था और उनसे वसूल किया गया। उसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं कि पूर्व के वह जिले जिनकी प्रासपेरिटी (सम्पन्नता) ऐवरेज प्रासपेरिटी से कम है जो डैफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स (कमी वाले जिले) हैं उनमें अक्टूबर, सन् १९४९ से लेकर जून, सन् १९५० तक क्योंकि उसके बाद तो वह मुसीबतों में फंस गये विपदा ग्रस्त हो गये इसलिये हमने कैम्पेन वहां रोक दिया, वहां भी बस्ती जैसे जिले में करीब ४० फीसदी, गोरखपुर जैसे जिले में ३१ फीसदी, जौनपुर में १० फीसदी और मिर्जापुर में २८ फीसदी वसूल हुआ। ये जिले थे जो मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बाद चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें नम्बर पर आते हैं और बालिश्त ९ महीने तक वहां काम रुका रहा। ४० फीसदी इकट्ठा हो सका तो इसका मतलब यह हुआ कि ५० फीसदी रुपया उनके पास था और यह हालत थी उस जिले की जो ऐवरेज प्रासपेरिटी से कम का जिला था। तो उसका मतलब यह हुआ कि पहले मौके पर। सारे सूबे में ऐवरेज कम से कम ६० फीसदी वसूल होता। अब इस पर बहस यह की जाती है कि रुपया लोगों के पास नहीं था। दूसरी बात यह कही जाती है कि छोटे खातेदारों के पास नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस का समय खराब होगा अगर मैं आंकड़े कोट (उद्धृत) करूं। उन आंकड़ों से साबित होता है कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ इन तीन जिलों को छोड़कर बाकी ५ डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां का जो ऐवरेज रकबा था यानी जो ऐवरेज होल्डिंग (औसत दर्जे के मालिक) थे उससे छोटे होल्डर्स ने रुपया दाखिल किया। बड़ों ने कम, छोटों ने ज्यादा रुपया दाखिल किया। इसलिये यह दलील भी सराहनीय नहीं है। मैं बदकिस्मती से उस वक्त मौजूद नहीं था लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि कल आजमगढ़ श्री झारखंडे राय ने फर्माया था कि मोस्ट आफ दि मनी इज फ्राम दि डिस्प्यूटेड खाताज [जो रुपया आया है उसका अधिकांश विवादग्रस्त खातों से है], मैंने अखबारों में यह रिपोर्ट देखी कि जो झगड़े के खाते थे उनसे रुपया आया है। यह कहां तक सही है उसके लिये मैं आंकड़े देना चाहता हूं। ४० लाख ८३ हजार दरख्वास्तें लगीं जिनमें ३६ लाख ८ हजार डिक्लेरेशन दिये गये जिनमें कोई झगड़ा नहीं था। लिहाजा बाकी हैं ४ लाख ७५ हजार जिनमें हम डिक्लेरेशन नहीं दे सके हैं। इसमें यह नहीं है कि उनके टाइटिल [स्वामित्व] शुबहे में हैं। यह इस बात से साबित होता है कि पिछले मई के महीने में ४,८९९ दरख्वास्तें पड़ीं भूमिधरी की जबकि हमने डिक्लेरेशन इश्यू किये ७,०९८, यानी दो हजार ज्यादा। ये उन लोगों के थे जो पहले से पैंडिंग (विचाराधीन) थे। इसमें यह नहीं है कि सभी डिसप्यूटेड (विवादग्रस्त) हैं बल्कि किन्हीं वजूहात से देर हो गई। हमारे अफसरान किन्हीं वजूहात से उन्हें दे नहीं सके। दूसरा कारण यह है कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पार्ट पेमेंट (आंशिक भुगतान) किया है। डिक्लेरेशन जब मिल सकता है जबकि पूरा पेमेंट (भुगतान) हो जाय। कम से कम आधे ऐसे हैं। बाकी ऐसे हैं जिन्होंने सब रुपया दाखिल कर दिया लेकिन उनको डिक्लेरेशन नहीं मिल सकता जब तक कि जमींदार राजी न हो। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि दोनों फ़रीकों ने दरख्वास्त डाल दी हो। कुछ ही रुपया ऐसा होगा जो कि डिसप्यूटेड खातों का हो। मेरे पास सिवाय इसके कि मैं आंकड़ों से तरदीद करूं और कोई इलाज नहीं है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने और राजा जगम्मनपुर साहब बहादुर ने यह कहा कि लाखों और करोड़ों जमींदार बेदखल हो गये हैं। उनके लिये पुनर्वासन का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है। उसका उत्तर मोटा सा यह है कि वे लोग जो वाकई डिसपजेस (बेदखल) हुये हैं ऐसे आदमी नहीं हैं जो डिसऐनटाइटिल्ड (निस्स्वामित्व) हुये हैं। जिसके पजेशन (कब्जे) में जितनी जमीन थी उसके पजेशन को हमने डिसटर्ब नहीं किया। जितने भी जमींदार हैं उनमें ९९ फीसदी वे लोग हैं जिनके पास खुदकाश्त जमीन है। उनकी

अरबन प्रापर्टी (नगर सम्पत्ति) को, कुंवो को और मकानों को हमने नहीं छुआ। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास सीर और खुदकाश्त न हो। ऐसे लोग केवल दो क़िस्म के हो सकते हैं। या तो वे ऐसे हैं जो लगान पर गुजर कर सकते हैं और सीर और खुदकाश्त की जरूरत नहीं है। तो उन्हें मुआविजा बहुत थोड़ा मिलेगा। या ऐसे हैं जो छोटे हैं तो मोटी सी बात है कि वे और कुछ नान-एग्रीकल्चरल रोजगार करते होंगे, इसलिये यह समस्या नहीं है कि हमने करोड़ों आदमियों का पुनर्वासन नहीं किया। अगर ५ करोड़ जमींदार ही हो गये तो मैं समझता हूं कि ६ करोड़ ३२ १/२ लाख जब हमारे सूबे की आबादी है तो बाक़ी तो बहुत थोड़े रह जाते हैं। इस तरह लाखों और करोड़ों की बात बेबुनियाद कही जाती है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (ज़िला सीतापुर)--करोड़ों जमींदार तो हरगिज नहीं कहा गया २० लाख जमींदार और फ़ेमिली (परिवार) मिला कर १ करोड़ कहा जाता है।

श्री चरणसिंह--कहा यही जाता है कि "करोड़ों जमींदार"। केवल ३० हजार जमींदार ऐसे हैं जो ढाई सौ रुपया से ज्यादा मालगुजारी देते हैं और २० लाख के खेवट में नाम दर्ज है। एक एक आदमी की कई कई ऐंट्रीज (प्रविष्टियां) भी होंगी। इंडिविजुअल ओनर्स (वैयक्तिक स्वामी) १२ लाख हैं। पीजेंट फेमिलीज (खेतिहर परिवार) केवल ७५ लाख हैं। इस तरह की २० लाख खेवट में इंट्रीज दर्ज हैं, फेमिलियां (परिवार) १२ लाख हैं और उनमें ११ लाख ८ हजार ऐसी हैं जिनके पास खुदकाश्त होगी। मैं अर्ज करता हूं कि अब इस बात को लोग समझते हैं कि इसमें कोई सार नहीं है।

यह कहा जाता है कि हजारों काश्तकार बेदखल हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि बेदखल हो रहे हों लेकिन हमारी जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि लोग आक्यूपेंसी टेनेंट्स हैं, हैरीडेटरी टेनेंट्स हैं, सब-टेनेंट्स भी लाखों की तादाद में हैं और ट्रेसपासर्स (अनधिकारी) भी हैं। जब इन सब लोगों का उसमें इंदराज है तो जबरदस्ती उनके बेदखल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह हो सकता है कि जिनका इंदराज न हो वे जबरदस्ती बेदखल किये जा रहे हों। हो सकता है दो चार काश्तकार ऐसे हों उनके लिये अदालत खुली हुई है। अगर किसी काश्तकार की ऐंट्री [प्रविष्टि] नहीं है लेकिन अगर उसका वाक़ई कब्जा है तो उसके लिये पहिले भी अदालत खुली हुई थी और अब भी खुली हुई है। इस सिलसिले में जितना भी गवर्नमेंट कर सकती थी उसने किया है और कर रही है। वह जिलाधीशों को यह हिदायत जारी कर चुकी है कि जिसका कब्जा जमीन पर कायदे में है और शांतिपूर्वक तरीके से वह रहता है तो उसको जबरदस्ती डिसपजेस न करने की कोशिश की जाय। जो आदमी जबरदस्ती करना चाहता है वह ठीक नहीं है उसके लिये अदालत का दरवाज़ा खुला हुआ है वे अदालत की शरण ले और जबरदस्ती किसानों को बेदखल न करे। इससे और ज्यादा गवर्नमेंट एक्जीक्यूटिव आर्डर्स (प्रबन्धात्मक आदेशों) के कुछ नहीं कर सकती।

एक सवाल और है। उससे मालूम होता है कि माननीय सदस्यों की दलीलें कहां तक सही हैं। माननीय निहालुद्दीन ने जो विरोधी पक्ष के प्रमुख सदस्य हैं, यह आवाज उठाई कि जमींदारी खत्म नहीं की गई, बल्कि और भी ज्यादा जमींदारियों को कायम कर दिया गया है। अगर वे जमींदारों से मतलब जमीन का मालिक से लेते हैं तब तो उनका ख़याल ग़लत है। राजपूताने और पंजाब में तो किसानों को भी जमींदार कहते हैं। जब वे जमींदारी खत्म करने की बात कहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उनका जमींदारी से क्या मतलब है। क्या उसका मतलब वे लैंड ओनर समझते हैं या लैंड लोर्ड ? लैण्ड लोर्ड तो भूमिधर हो नहीं सकता क्योंकि अगर वह जमींन को लगान पर उठाता है तो उसकी जमीन ही चली जायगी। मैं समझता हूं कि चीन की तारीफ आप भी करते होंगे। चीन वालों ने क्या किया उनको फुल [पूरे] प्रोपराइटरी राइट्स (स्वाम्याधिकार) दे दिये, टाइटिल डीटड्स (स्वामित्व के कागज) दे दिये और वे यहां के लिये कहते हैं कि जमींदारियां कायम कर दीं।

[श्री चरण सिंह

उनकी पार्टी के दूसरे सदस्य हैं श्री राम सुन्दर पांडेय। वे कहते हैं कि स्टेट लैंडलार्डिज्म (सरकारी जमींदारी) कर दी गई जब कि दूसरे साहब कहते हैं कि २० लाख से ६० लाख जमींदार बना दिये गये। यह सही है कि जो लोग मालगुजारी नहीं देंगे उनकी जमीन भी नीलाम हो सकती है। लगान वास्तव में लैण्ड टैक्स (भूमि कर) है और जैसे किसी भी टैक्स की अदम अदायगी में डिफाल्टर (दोषी) की जायदाद नीलाम हो सकती है उसी प्रकार इसमें भी नीलाम की जा सकती है। खैर स्टेट लैन्डलोर्डिज्म ज्यादा बढ़ गई है या प्राइवेट लैंड लार्डिज्म (व्यक्तिगत जमींदारी) ज्यादा बढ़ गई है इसे वे आज पार्टी मीटिंग करके तय कर लें तब कल को मैं जवाब दे दूंगा।

फिर यह कहा गया कि चीन ने जिस तरह अपने यहां के मसले को हल कर लिया है हमको भी अपने मसलों को उसी तरह से हल करना चाहिये। आजमगढ़ से जो माननीय सदस्य आते हैं उन्होंने यह बात कही और जहां तक मुझे ख्याल है श्री गेंदा सिंह ने कहा था कि चीन में तो जमींदारी खत्म होने के बाद अनइम्पलायमेंट (बेकारी) खत्म हो गया लेकिन यहां अनइम्पलायमेंट बढ़ गया और वहां फूड प्रोबलम (खाद्य समस्या) भी हल हो गया। जहां तक चीन में जमींदारी खत्म करने की बात है, बेशक वहां जमींदारी खत्म की गयी लेकिन कैसे की गयी उसका भी जिक्र मैं अभी बाद में करने वाला हूं। लेकिन जहां तक यह कहा गया है कि यह गवर्नमेंट जो क्लेम (दावा) करती है कि हमारी भूमि व्यवस्था का अधिनियम चीन के अधिनियम से बेहतर है यह सही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बात सोलह आने सही है कि हमारा अधिनियम बेहतर है। वहां का एग्रेरियन ला (कृषि विषयक विधि) इस प्रकार है---

"The Agrarian Reform Law enacted on June 28, 1950.----Land owned by rich persons and cultivated by them or by hired labour and their other properties shall be protected from encroachment. If the portion of the land rented out by the rich peasents of the small landlord type exceeds in size the land irrigated by them or by hired labour, the land rented out shall be requisitioned, but small portions of land rented out by rich landlords shall be retained by them."

[२८ जून, १९५० को निर्मित कृषि विषयक सुधार विधि--

धनी व्यक्तियों की भूमि को, जिसे वे स्वयं या मजदूर लगाकर जोतते हों, तथा उनकी अन्य सम्पत्तियों को अनधिकृत प्रयोग से सुरक्षित रक्खा जायेगा। छोटे जमींदारों के वर्ग के मालदार किसानों द्वारा लगान पर दिया हुआ भूमि भाग यदि उस भूमि से अधिक हो जिसे वे स्वयं या मजदूर लगा कर सींचते हों तो लगान पर दी गयी भूमि उनसे ले ली जायेगी, परन्तु मालदार जमींदारों द्वारा लगान पर दिये हुये भूमि के छोटे भाग उनके पास रहेंगे।]

यानी अगर किसी जमींदार के पास ५०० बीघा जमीन है जिसमें से २०० बीघे पर तो वह काश्त करता है और ३०० बीघे उसने किसान को उठा दी है तो जितना भाग सीर का उसको खुद काश्त में है उतना रकबा बकदर जो उसका काश्तकार के पास है उसमें से उसे मिल जायगा यानी ३०० बीघे में से २०० बीघे जमीन उसके पास आ जायगी और बकिया १०० बीघे जमीन ही काश्तकार के पास रह जायगी। अगर किसी ने अपनी सीर के बराबर रकबा काश्तकार को उठा रखा है तो उससे वह डिसपजेस्ड (बेकब्जा) नहीं होगा, जमीन किसान के पास ही रहेगी। लेकिन हमने यह रखा है कि अगर किसी के पास पांच बीघा भी जमीन है और उसे उसने काश्तकार को उठा रखी है तो सारी जमीन पर काश्तकार को हक मिल्कियत मिल जायगा बिला लिहाज इस बात के कि उसका स्टेटस् क्या है। वह जमीन काश्तकार के पास ही रहने दी जायगी। इस तरह से चीन वाले हमसे किसी बात में सुपीरियर (उच्चतर) नहीं हैं सिवा इसके कि उन्होंने मुआविजा नहीं दिया। मुआविजा क्यों दिया गया उसके बारे में सैकड़ों दफा जिक्र किया जा चुका है। इसलिये मैं तफ़सील में जाने की जरूरत नहीं समझता।

एक माननीय सदस्य जो जालौन से तशरीफ़ लाते हैं उन्होंने कहा कि करप्शन (भ्रष्टाचार) को मिटाने के लिये, जमींदारी मिटाने के लिये सही तरीका नहीं इस्तेमाल किया गया। मैं समझता हूं कि वह तरीका मनुष्यता के विरुद्ध पड़ता है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध पड़ता है और हमारे महापुरुष नेता ने जो रास्ता बतलाया उसके यह खिलाफ़ पड़ता है। आज सारे देश में कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी (बहुमत) है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है। अगर डिक्टेटरशिप भी होगी तो वह कांग्रेस पार्टी की ही होगी। क्रामवेल ने कहा था "हेड्स विल रोल" [सिर लुढ़कते रहेंगे]। क्या आप सर को धड़ से अलग होकर लुढ़कता हुआ देखाना चाहते हैं ? क्या आप इस बात के लिये तैयार हैं यह सही है कि उन्होंने रुथलेस कैलिसिटी (नृशंस कठोरता) के साथ काम किया, स्पीडी (शीघ्र) काम किया। लेकिन डेमोक्रेसी में देर लगती है, इसे दुनिया जानती है। इस बात का बहुत जिक्र किया गया कि करप्शन के लिये वहां पर लाखों आदमी फांसी पर चढ़ा दिये गये। क्या आप भी इस देश में एसा करने के लिये तैयार हैं ? अगर इसके लिये तैयार हैं तो पहले अपने कंस्टीट्यूशन (संविधान) को बदलें।

यह कहना कि चीन में फूड प्राबलम (खाद्य समस्या) हल हो गयी है, जो लोग वहां से आये हैं इस विषय में वे ज्यादा जानते होंगे। लेकिन दलील कुछ नहीं दी गयी। यहां तक कहा गया कि जहां उनको पहले एक वक्त खाना मिलता था दो साल के अन्दर अब उनको तीन वक्त भोजन मिलता है। जिस शख्स ने यह कहा है वह विद्वान है मैं उनके सामने नत मस्तक होता हूं। लेकिन मेरी बुद्धि में यह बात आ नहीं रही है। लाव जी शाब जो कि उनके मुख्य लेंड रिफार्म्स (भूमि सुधार) के संचालक हैं उन्होंने जो स्पीच दी है वह मेरे पास छपी हुई मौजूद है। उन्होंने कहा है कि रिच पीजेंट इकोनमी (मालदार किसानों वाली अर्थ व्यवस्था) को इसलिये रख रहे है ताकि पैदावार बढ़े तो जब एक एक हूप– हूप उनके यहां जमीन की इकाई है वह हमारे यहां के छः बिस्वा के बराबर होता है– तो जब एक एक हूप जमीन तकसीम करके लोगों के पास पहुंची छः छः बिस्वा जमीन प्लाट दर प्लाट दे दी गयी जब कि उनका नारा है 'रिच पीजेन्ट इकोनमी" है। यहां इकोनामिक होल्डिंग (लाभकर जोत) की बात कही जाती है या कहा जाता है कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग (चकबन्दी) होनी चाहिए। लेकिन उनके लिए नहीं कहा जाता है कि वहां अनइकोनामिक होल्डिंग है। जब वहां इकोनामिक होल्डिंग नहीं है तो वहां की पैदावार कैसे बढ़ गयी ? नतीजा इस बात से निकाला जाता है कि चीन ने हम को एक लाख टन अनाज दे दिया। पचास हजार टन पहले दे दिया था।

अध्यक्ष––माननीय मंत्री कितना समय चाहेंगे ?

श्री चरणसिंह––केवल दो मिनट।

अध्यक्ष––तो मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे मंत्री जी जो हैं उनके समय से वह कटेगा। आप तय कर लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चरणसिंह––हिन्दुस्तान से भी सन् १९३७–३८ ई० में ४ लाख ६० हजार मन चावल और गेहूं बाहर गया। १९३८–३९ में ६ लाख ७० हजार मन गेहूं और चावल हिन्दुस्तान से बाहर भेजा गया। १९३९-४० में ३ लाख ७० हजार मन एक्सपोर्ट (निर्यात) किया। १९४०–४१ में ४ लाख ३० हजार मन एक्सपोर्ट किया। इससे क्या नतीजा निकलता है कि हिन्दुस्तान में सरप्लस (आधिक्य) था। "ट्रेड रिव्यू" गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो त्रैमासिक पत्रिका थी उससे मैं यह फीगर्स दे रहा हूं। तो अगर हिन्दुस्तान ने कुछ अनाज एक्सपोर्ट किया तो क्या इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि हिन्दुस्तान मे सरप्लस था ? साथ ही साथ कितना इम्पोर्ट (आयात) हुआ ? १९३८–३९ में १९ लाख ३७ हजार, उसके बाद १७ लाख ३० हजार, उसके बाद २५ लाख ३० हजार और उसके बाद १३ लाख ९० हजार। तो इस तरह एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट ज्यादा किया गया है।

[श्री चरणसिंह]

इसलिये अगर कोई आदमी सिर्फ एक्सपोर्ट की फीगर्स को लेता है और इम्पोर्ट की फीगर्स नहीं लेता है और सिर्फ एक्सपोर्ट फीगर्स से कोई नतीजा निकालना चाहता है तो यह गलत है। मैं यह नहीं कहता कि चीन ने इम्पोर्ट किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एक्सपोर्ट की फीगर्स से यह नतीजा निकालना कि चूंकि किसी देश ने इतना एक्सपोर्ट कर दिया, इसलिये वह सरप्लस हो गया, यह बात गलत है।

दूसरी बात यह है कि जब से मैंने होश सम्हाला है और अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू किया है, सन् १९२०-२२ ई० से, तब से बराबर, तब से लगा कर १९५० ई० तक, चीन की कोई खबर ऐसी नहीं थी जिसमें लड़ाई का जिक्र न हो। चीन बराबर युद्ध स्थल बना हुआ था। दोनों तरफ के लाखों किसान लड़ते थे। लाखों एकड़ जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी उसमें अब खेती होती होगी। तो अगर पैदावार बढ़ी है तो यह कारण है। मैंने नहीं सुना कि वहां अनावृष्टि हुई हो या अतिवृष्टि हुई हो। अगर यह कहा जाय कि चीन की सरकार ने बाढ़ को रोक लिया है तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई गवर्नमेंट बाढ़ को नहीं रोक सकती। कन्ट्रोल (नियंत्रण) उसके एफेक्ट (प्रभाव) को थोड़ा सा चेक कर (रोक) सकता है फ्लड (बाढ़) को रोक नहीं सकता और न अनावृष्टि के असर को दूर कर सकता है। मनचूरिया जो कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड (उद्योगयुक्त) है, जापान के कब्जे में था। आज वह उनके कब्जे में नहीं है। तो यह कहना कि जमींदारी ६-६ बिस्वा तकसीम करके खत्म की गई है और उससे पैदावार बढ़ गयी है, मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं जब तक कि उसके संबंध में आंकड़े न दे दिये जायं।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा इस समय बहुत सी बातों का, जो खाद्य समस्याओं के सिलसिले में इस भवन में कही गयी थीं, उत्तर देने की नहीं थी। मेरा मतलब था कि हमारी नई नीति की घोषणा के बाद इस प्रकार की आलोचनायें अब नहीं होंगी जिसमें अधिक उत्तर देने की आवश्यकता पड़े। अब इस समय तो मेरे पास समय भी नहीं रह गया है जिसमें मैं बहुत सी बातों का उत्तर दूं। उन बातों का उत्तर तो मैं जब अपने विभागों का बजट इस भवन के सामने उपस्थित करूंगा तब दूंगा, परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि कल कुछ गलतफहमी समाजवादी पार्टी के "भावी खाद्य मन्त्री" ने इस भवन में कुछ आंकड़े पूछ कर इस भवन के सदस्यों के सामने और बाहर की जनता के सामने उपस्थित करने की चेष्टा की। कल उन्होंने मुझसे कुछ आंकड़े पूछे और इस बात की जानकारी उपलब्ध करने की चेष्टा की कि सरकार ने कोई प्रान्त की या प्रदेश की जन संख्या की जरूरतों की जांच करके कि कितने अन्न की आवश्यकता है उसके आंकड़े भी उपलब्ध किये हैं? मैंने उत्तर में यह कहा था कि सरकार ने ऐसा नहीं किया है और मैंने इस उत्तर के देने के समय ही यह कह दिया था कि इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने की इसलिये आवश्यकता नहीं है कि प्रदेश में जो लोग रहते हैं और वे जिस प्रकार से खाना खाते हैं और उनके खाने के तरीके और रहन सहन में बहुत अन्तर है। इस तरह से यदि हम कोई आंकड़े इकट्ठे भी कर लें तो उनसे हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। आज हमारे लिये कितने गल्ले की जरूरत है, कितनी गल्ले की कमी है इस बात को जानने के लिये तो हमारे पास काफी मसाला मौजूद है। क्या हम नहीं जानते कि हमारे प्रदेश में इस वर्ष कितना अन्न पैदा हुआ है? आखिर को यह आंकड़े तो हमारे सामने मौजूद ही हैं और हम आज यह भी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य औसतन कितना खाता है। तो यदि यह तीन प्रकार की इत्तिलायें हमारे पास हैं तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम अपना समय और अपना धन उन तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करने में व्यतीत करें जिनको हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न किया था, जानना चाहते थे और उस जवाब की बुनियाद पर उन्होंने खट से नतीजा निकाल लिया कि यह सरकार और इस सरकार के मंत्रीगण निकम्मे हैं जिन्हें इस तरह की भी जानकारी नहीं है

कि हमारे प्रदेश की खाद्य की जो सामग्री है उसकी कितनी मात्रा में आवश्यकता है । आज हमारे पास इस बात की तो सूचना है, हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े तो हैं, पर हम अपना समय उस जांच करने में क्यों व्यतीत करें ? मैं अदब के साथ उन भावी मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सरकार यह बात कहती है कि आज के हालात में जब कि हमारे यहां वर्षा नहीं हुई है, हमारे यहां समय समय पर बहिया आ गयी है, प्रदेश उतनी मात्रा में अन्न पैदा कर नहीं कर पा रहा है जितनी मात्रा में आज उसकी जन संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जरूरत है ।

हमारे प्रदेश की जन संख्या, जैसे कि सारे प्रदेशों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इन दस वर्षों में बढ़ी है और करीब ११ फीसदी के वह ऊंची उठी है । प्रतिवर्ष हमारे यहां जनसंख्या में करीब १.७ परसेंट इनक्रीज (बढ़ती) होता है । जब ऐसी बात है, जब हर साल जनसंख्या बढ़ती जाती है तो यह जरूरी भी है कि हर साल हमारी खेती भी बढ़े, हमारी उपज भी बढ़े, हमारी खाने की सामग्री भी बढ़े । इस तरह से जब हम जनसंख्या और उपज की मात्रा को अपने सामने रख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे यहां गल्ले की कमी है या गल्ले की कमी नहीं है । यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहें कि आज और इन पिछले वर्षों में गल्ले की कितनी कमी रही है, तो मेरे सामने वे आंकड़े आज यहां हैं जिनसे मैं बता सकता हूं कि यदि हम यह मान लें कि हर एक देहात का रहने वाला १६ औंस कम से कम गल्ला खाता है और शहर का रहने वाला कम से कम १२ औंस गल्ला खर्च करता है और हम किसी साल की आबादी को अपने सामने रखलें तो हमें फौरन पता चल जाता है कि उस वर्ष में कितनी गल्ले की कमी हमारे प्रदेश में रही है । अगर हम उन आंकड़ों का मुकाबिला करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सन् १९४३-४४ में हमारे शहरी और देहाती क्षेत्रों की जनसंख्या ५ करोड़ ६४ लाख थी । उस ५ करोड़ और ६४ लाख जनसंख्या में ३० फीसदी बच्चे भी शामिल हैं । इस प्रकार से यदि उन ३० फीसदी बच्चों को हम १५ यूनिट मान कर चलें तो करीब ८५ फीसदी जनसंख्या १२ और १६ औंस के हिसाब से गल्ले को प्राप्त करती है । इस अनुपात से सन् १९४३-४४ में ७ लाख २८ हजार टन गल्ला हमारे यहां ज्यादा पैदा हुआ था । सन् १९४४-४५ में जब जनसंख्या बढ़ गई तो वही गल्ला २ लाख ८० हजार टन हमारी जरूरत के अनुपात से कम पैदा हुआ । सन् १९४५-४६ में फिर हमारे यहां पैदावार में वृद्धि हुई और वह गल्ला फिर ३ लाख ८२ हजार टन ज्यादा पैदा हुआ । सन् १९४६-४७ से बराबर गल्ले की पैदावार में कमी होती रही है और वह कमी ६ लाख ३६ हजार टन तो सन् १९४६-४७ में रही ३ लाख ३० हजार टन सन् १९४७-४८ में रही, २ लाख २८ हजार टन सन् १९४८-४९ में रही, ५ लाख ४ हजार टन १९४९-५० में रही, ५ लाख ५८ हजार टन सन् १९५०-५१ में रही और ६ लाख ९२ हजार टन सन् १९५१-५२ में रही । जब हम यह आंकड़े अपने सामने रखते हैं तो हमें यह भी ख्याल रखना चाहिये कि हमें इस गल्ले की जरूरत बैलों, जानवरों और बीज के लिये भी होती है । इसलिये जो मैंने कमी के आंकड़े आपके सामने रखे हैं उनमें करीब साढ़े सत्तरह परसेंट हमने घटा दिये हैं क्योंकि साढ़े सत्तरह फीसदी गल्ला बीज में, बैलों और जानवरों के खाने में अवश्य खर्च होता है । ज्यों-ज्यों हमारे किसान की हालत बढ़ती जाती है त्यों-त्यों वह किसान अपने जानवरों को अच्छा रखने की कोशिश करता है और अपनी खेती की उपज को बढ़ाने की चेष्टा करता है ।

आज इन आंकड़ों को सदन के सामने रखने का मेरा मतलब यही है कि कल जो एक भ्रमात्मक बात यहां कही गई है जिस की बुनियाद पर हम सब को निकम्मा बता दिया गया है, मैं उन महाशय से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास आंकड़े रहते हैं, सरकार के पास जानकारी रहती है और ऐसी जानकारी रखते हुये सरकार को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वह हर गांव में जा कर गांव के रहने वालों की जरूरत को जानने की कोशिश करे और उसमें काफी समय और धन व्यय करे । इसलिये उनका यह कहना कि सरकार के पास तो कोई आंकड़े ही नहीं हैं वह गल्ले की पैदावार को क्यों बढ़ायेगी जब वह कुछ जानती ही नहीं है वह बात निरर्थक थी ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

उन्होंने कल एक बात यह भी कही कि सरकार नें डिकंट्रोल (विनियंत्रण) की पालिसी को इसलिये अख्तियार किया है कि अमरीका से गल्ला आने वाला है। मैं अदब के साथ उन महाशय से कहना चाहता हूं कि उनकी यह धारणा भी गलत है। उन्होंने ३० जून को मेरी उस घोषणा को रेडियो से सुना होगा। मैंने उस घोषणा में साफतौर से बता दिया था कि कौन सी वजह हैं जिन कारणों से हम अपनी नीति में तब्दीली करने जा रहे हैं, और फिर हमने अपनी नीति में अभी तब्दीली ही क्या की है? हमने तो थोड़ी बहुत सुविधा उन लोगों को जो अब तक वह प्राप्त नहीं किये हुये थे प्रदान की है वास्तव में यह वह सुविधा है जो हम अब तक अपने प्रदेश के केवल चार पांच नगरों में दिये हुये थे। हमने अपने प्रदेश के जिन नगरों में ओपेन मार्केट (खुला बाजार) खोल रखा था वहां अलावा राशन की दूकानों से खरीदने के लिये हमने जनता को ओपेन मार्केट से खरीदने की सुविधा दी। मैंने अपनी उस घोषणा के अन्तर्गत अब सारे प्रदेश की जनता को यह मौका दिया है कि वह ओपेन मार्केट से खरीद सकें और हमने ऐसा क्यों किया? हम उस निर्णय पर इसलिये पहुंचे कि पारसाल हमारे प्रदेश में जो रबी का प्रोक्योरमेंट (वसूली) हुआ वह तीन वर्षों के मुकाबिले में बहुत अधिक हुआ। सन् १९४९ में हमारे प्रदेश में करीब ३ लाख ३ हजार टन गल्ला रबी का उपलब्ध हुआ था। सन् १९५० में ३ लाख ३१ हजार ९१४ टन गल्ला उपलब्ध हुआ था। सन् १९५१ में १ लाख ४३ हजार ६७७ टन गल्ला उपलब्ध हुआ था और इस वर्ष ३ जुलाई, १९५२ तक ३ लाख ५७ हजार ७९६ टन गल्ला उपलब्ध हो चुका है। अब गल्ला ओपेन मार्केट में उपलब्ध होगा और हमें इस बात की भी आशा है कि थोड़ी बहुत यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें केन्द्र से गल्ला मिल जायगा। साथ ही में हमने यह भी अनुभव किया कि अब की बरसात ठीक तरह से गुजरने वाली मालूम पड़ती है, पानी ठीक समय पर आ गया और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बरस भी गया जिससे ऐसी आशा हमारे दिलों में पड़ी कि इस साल हमारी खरीफ की पैदावार ठीक हो जायगी गल्ला उचित मात्रा में कदाचित् हमारे प्रदेश में पैदा हो जायेगा और साथ ही में हमने यह भी अनुभव किया कि इस समय जब हमारे पास गल्ला इतना है और पैदावार भी अच्छी होने जा रही है और अब गल्ले को इधर-उधर ले जाने की जो ट्रांसपोर्ट (परिवहन) की सुविधायें हैं वे भी अच्छी हैं तो हमने यह उचित समझा कि हम उस नीति को अपनाने की कोशिश करें जिससे कि जनता जगह जगह पर उचित दामों पर गल्ला उपलब्ध कर सके। आज हमने न तो अपनी मशीनरी में कोई तब्दीली की है, न हमने गल्ले की दूकानों में जो दाम आज हम लोगों से ले रहे हैं उसमें कोई तब्दीली की है। तो यह नीति क्या बताती है? यह नीति बताती है कि हम इस बात की चेष्टा में हैं कि इस नीति को अपना कर हम जनता को वह सुविधा दे सकें कि जो प्रदेश के चार, पांच शहरों में अब तक दी जा रही थी।

इस नीति के और १९४८-४९ की नीति के सम्बन्ध में जिसके कारण कि देश में अन्न के दाम बढ़ गये थे इन्होंने बहुत सी आशंकायें प्रकट कीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस समय तो कोई आशंका पैदा होनी ही नहीं चाहिये। हम अपनी दूकानों को कायम रखे हैं और उन्हीं दामों पर इन दूकानों से गल्ला दे रहे हैं। यह भय क्यों किसी के दिल में पैदा होता है? आखिर हमारी चेष्टा हमेशा यही रही है कि अन्न के दाम बढ़ने न पायें क्योंकि इन पर बढ़े हुये दामों का असर और चीजों की कीमतों के बढ़ने में बहुत पड़ता है। इसलिये सदा हमारी यह कोशिश रही है और उसको आप लोग भी अच्छी तरह से जान सकते हैं कि जब और प्रदेशों ने अपने राशन की दूकानों में जब कि केन्द्रीय सरकार ने सबसीडी (राज सहायता) बंद कर दी, तो गल्ले के दाम बढ़ा दिये, लेकिन इस प्रदेश की सरकार ने करोड़ों रुपये के खर्च को भुगतकर गल्ले की कीमत को नहीं बढ़ाया। तो इसका असल मंशा यह था कि गल्ले की कीमतें रीजनेबिल (उचित) रहें जससे यहां का कंज्यूमर (उपभोक्ता) तकलीफ न उठाये और परेशानी में न पड़े और उसकी आवश्यकतायें ठीक तरह से पूरी हो सकें।

आज भी हमारी राशन की दूकानों में वही कीमतें ली जा रही हैं और हम इस कोशिश में हैं कि बाजार भाव को फांद सकें और बाजार में कीमतें स्टैबिलाइज़ कर सकें जिससे नार्मल ट्रेड (साधारण व्यापार) हमारे हाथ में आ सके। जब तक यह नहीं होगा तब तक हम हमेशा इसी प्रयत्न में रहेंगे कि जितना बोझा हम उठा सकें उठाते रहें और किसी भी तरह से गल्ले की कीमतें बढ़ने न पायें। इसलिये सन् १९४८–४९ की बात फिर से रच जायगी यह बिलकुल भ्रमात्मक है। इसके पीछे कोई सत्य तथा तथ्य नहीं है। मैं इस प्रदेश की जनता को इस भवन के द्वारा सचेत कर देना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स कीमत बढ़ाने की कोशिश करेगा, गल्ले को जमा करेगा और नाजायज तौर से फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो यह बात सरकार नहीं होने देगी। वह बात यह सरकार कभी पैदा नहीं होने देगी जो कि सन् १९४८—४९ में हुई थी जब कि केन्द्रीय सरकार के आदेश से वह नीति अपनाई गई थी। वह चीज इस प्रदेश में नहीं आ सकती है और हमारा विश्वास है कि कहीं भी किसी भी प्रदेश में यह चीज नहीं होगी और न हमारे प्रदेश में तथा हमारे बीच में यह चीज पैदा हो सकेगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था समय मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अधिक कह सकूं। जब मैं अपने बजट को भवन के सामने उपस्थित करूंगा तो उस समय मैं कहूंगा।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्रात्मक शासन में अपोज़ीशन (विरोधी दल) का बहुत ही ऊंचा और महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि हमने अपने देश में रूस की शासन प्रणाली चलाई होती या चीन की नकल की होती जिसका असर आज हमारे प्रदेश में और भवन में चारों ओर दिखायी पड़ता है, तो सामने की बेंचेज खाली होतीं। परन्तु हमने तो लोकतंत्रात्मक शासन-प्रणाली को स्वीकार किया है और इसमें विरोधी पक्ष का स्थान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विरोधी पक्ष का भी कर्त्तव्य है कि वह अपने अस्तित्व के औचित्य को दिखाये। यह तब ही हो सकता है जब कि वह अपने पद के अनुसार कार्य करे और यह तभी हो सकता है जब कि विरोधी पक्ष का प्रत्येक सदस्य सदा इस बात को सोचता रहे कि यदि कहीं कल शासन की बागडोर मेरे हाथ में या मेरे दल के हाथ में आ गई तो हमको भी वही बातें करना होंगी जिनको कि आज हम कह रहे हैं। उनको कार्यान्वित करना होगा। यदि यह महत्वपूर्ण बात हमेशा अपने सामने रखी जाय तो विरोधी पक्ष निस्संदेह अपने कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन कर सकता है। मुझे यह देख कर दुःख होता है कि विरोधी पक्ष की तरफ़ से जो भी भाषण हुये हैं उनमें प्रायःइस बात की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है। जहां पर फैक्ट्स ऐंड फीगर्स (तथ्यों और आंकड़ों) की बातें न हों और उनकी जगह विशेषणों से काम लिया जाय तो फिर कठिनाई होती है कि क्या जवाब दिया जाय, विशेषणों की कौन सी बात स्वीकार की जाय, कौन सी न की जाय? कोई शरीफ आदमी अपने को इतना नीचा गिरा नहीं सकता कि सदन के किसी दूसरे सदस्य पर व्यक्तिगत आक्षेप करे। अब मुश्किल यह है कि वार आफ एडजेक्टिव्स (विशेषणों के युद्ध) में कौन जीतता है और कौन हारता है। एक तरफ से कहा जाता है कि आप बहुत निकम्मे हैं, अयोग्य हैं। दूसरी तरफ से यह कहने में कोई फ़ायदा नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई मजा नहीं।

एक बात नारायण दत्त जी ने कही कि वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से न हुआ करे। इस बात में बहुत कुछ तथ्य है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर हम आगे चलकर काफ़ी विचार करेंगे और बहुत संभव है कि विचार करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचें कि हमारे देश की जो पहले परम्परा थी, ऋतुओं का जो क्रम है उनको देखते हुये अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू न करके आगे बढ़ाकर ले आयें। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कोई बात नहीं कही गई जिसके सिलसिले में गम्भीरता से विचार किया जाय। एक सदस्य ने कहा कि अगर हुकूमत उनके हाथ में होती तो वह क्या क्या करते। बड़ी लम्बी लम्बी बातें कीं। उन्होंने कहा कि हम उधर चले आयें और वे इन कुर्सियों पर आ जायं तो क्या क्या काम करके दिखलायेंगे। मुझे यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ। मैं नहीं समझता कि सोशलिस्ट पार्टी आज इतना नीचे गिर गई है। आज से कई वर्ष पहले की बात है मैं इस संबंध में बतलाता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान्जी, मैं एक विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं।) मेरा आक्षेप यह है कि 'सोशलिस्ट पार्टी नीचे गिर गई है,' ये शब्द पार्लियामेंटरी (संसदीय) नहीं हैं। आपके द्वारा इस पर आदेश चाहूंगा।

अध्यक्ष---यह पार्लियामेंटरी है। आप भी कांग्रेस के बारे में ऐसी बहुत सी बातें कहते हैं। किसी व्यक्ति के लिये ऐसा नहीं कहा गया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आज से कई वर्ष की बात है। वर्किंग कमेटी की बैठक बनारस में हुई। महात्मा जी उस समय बनारस आये हुये थे। उस वक्त यह तै हुआ कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से तीन आदमी महात्मा जी से बात करें। वे तीन आदमी श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव और यह सेवक, सम्पूर्णानन्द थे। बातों के बाद महात्मा जी ने कहा कि मैं एक बात करने को तैयार हूं कि हम सब लोग वर्किंग कमेटी से हट जाते हैं और आप लोग वर्किंग कमेटी में आ जाइये और सारा काम चलाइये। हमने कहा कि महात्मा जी आपकी बड़ी कृपा है लेकिन ऐसे पद दान में नहीं लिये जाते, अपने बल से लिये जाते हैं। मंत्रिपद की इन कुर्सियों पर बैठना किसी से मांगा नहीं जाता, जनता के सामने अपने कार्य रखे जाते हैं, जनता उसे स्वीकार करती है, उसी को वोट देती है, चुनती है। इस तरह से लोग इन कुर्सियों पर आते हैं।

यहां पर कई बातें टैक्सेशन (करारोपण) के बारे में कही गईं। इसका जवाब खास तौर से हमारे पंत जी देंगे। एक बात मैं कह देना चाहता हूं। एक सदस्य के कहने का नतीजा यह निकलता है कि स्वराज्य होने के बाद बहुत कुछ ज्यादा जगह नये टैक्सेज की नहीं रहती। मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि स्वराज्य के बाद ही सचमुच टैक्सेशन होता है। टैक्सेज स्वराज्य के बाद ही लगा करते हैं।

जब कोई बच्चा नाबालिग होता है तो महज उसके कपड़े और खाने की बात रहती है लेकिन जब वह गृहस्थ होता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है और उसको इन्तजाम करना पड़ता है। ऐसा कोई भी समझदार आदमी न होगा जो इस बात को चाहे कि नहीं मैं तो बच्चा ही अच्छा हूं। नाबालिग बच्चा था तो अच्छा था कोई फिकर नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी आने पर यह सब भार सिर पर आता है। यह तो स्वराज्य हासिल करने का दंड है और उसका इनाम है। जब हमारे पास स्वराज्य आया है तो हमको उसकी बहुत सी जिम्मेदारी लेनी होगी और उनके लिये खर्चा भी होगा और उस खर्चे का इंतजाम करना पड़ेगा। उस खर्चे को अमीर को भी सहना होगा और गरीब को भी सहना होगा। जो भी हमारे मुल्क में रहते हैं उन सब को सहना होगा। वह किसान को भी सहना होगा और जो शहरों में रहते हैं उनको भी सहना होगा। स्वराज्य भी मिल जाय और पैसा भी बच जायं यह दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। स्वराज्य आया है तो आप इन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। एक मित्र ने यह कहा कि टैक्सेशन इसलिये हुआ करते हैं कि रुपये का बंटवारा हो। आजकल टैक्सेशन इसलिये नहीं हुआ करते हैं कि उससे सरकारी खर्चा चलाया जाय टैक्सेशन से वेल्थ (सम्पत्ति) का बटवारा जरूर होता है लेकिन किताबों को महज पढ़ने से काम नहीं चलता है। महज उनमें जो लिखा होता है उसको पढ़ने से काम नहीं चलता है। उसके व्यवहार को भी देखना पड़ता है कि कैसे उसका प्रयोग किया जाय। अगर इस तरह का ध्यान न रखा जाय तो काफी गलती हो सकती है। जिन देशों में बहुत से रुपये वाले लोग हैं और जिनके पास बहुत वेल्थ है वहां पर वेल्थ का बंटवारा हो सकता है। लेकिन जहां पर बहुत थोड़ी वेल्थ है वहां पर बहुत सोच-समझ कर कदम रखना पड़ता है और सब बातों का खयाल रखना होता है। अभी आचार्य जी चीन से आये हैं और मेरी उनसे बहुत देर तक बातें हुईं। हमने पहले किताबों में पढ़ा था कि वहां इस तरह पर चीजें हुआ करती हैं। चीन के बारे में और भी बहुत सी बातें सुनी हैं। जहां पर उन्होंने बहुत सी उन्नति की बातें की हैं वहां पर उन्होंने यह किया है कि अपने यहां

की प्राइवेट इंडस्ट्री (निजी उद्योग) को नहीं लिया है हमारे मुल्क में भी चीन के बारे में चारों तरफ कहा जाता है कि उसने यह किया और वह किया लेकिन आचार्य जी ने बतलाया कि वहां पर उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्री को रहने दिया है। यहां पर कहा जाता है कि हमको अपने यहां की इंडस्ट्री को खत्म कर देना चाहिये। आप लोगों को याद होगा कि इसी सदन के अन्दर सन् १९४६ ई० में मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था कि जमींदारी खत्म होने के बाद हमारा लक्ष्य कैपिटलिज्म (पूंजीवाद) को खत्म करने का होना चाहिये, लेकिन व्यवहार की बात है और देश की सारी परिस्थितियों को देखना होता है। इसलिये हमको इन सब बातों को सोचना पड़ता है कि हमारा कदम ऐसा न उठ जाय जिसके जरिये से हमारे देश को नुकसान पहुंच जाय। हमारे यहां की इंडस्ट्री बहुत तरक्की पर नहीं है और उसका उत्पादन भी बहुत कम है। तो ऐसी दशा में उसको खत्म अभी नहीं किया जा सकता है। इस बात का हमेशा ख़याल रखना पड़ता है।

अब मैं अपने विषयों पर आता हूं जिनका मुझसे संबंध है यानी जेल, लेबर (श्रम) और पुलिस। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं समझता इसलिये कि बजट में मांगों पर उनका तजकरा करने का अवसर होगा। जो बातें जेल के बारे में सुनीं उनमें दो बातें कही गईं और निहालुद्दीन साहब की बात सुनकर तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जेल के अन्दर कोई सुधार नहीं हुआ है। मालूम नहीं निहालुद्दीन साहब किस जगह जाकर बैठ गये कि जहां से उनको मालूम हुआ कि जेल के अन्दर कोई सुधार नहीं हुआ है। सन् १९४६ ई० में जेल रिफार्म कमेटी बैठी थी। उस कमेटी की कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिनको हमने माना है और जिनके ऊपर अमल हो चुका है। क़ैदियों के खाने और कपड़े और रोजाना के काम के मामलों में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी हाल में सत्याग्रह होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। यदि होता तो हमारे दोस्त देख सकते कि वहां अब कितना अच्छा प्रबन्ध हो गया है। बहरहाल, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जेल में बहुत काफ़ी सुधार हुआ है। एक दोस्त ने जिक्र किया कि गवर्नमेंट को जेल इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना चाहिये। हम ध्यान देते हैं। यह इसी से साबित हो जाता है कि सन् १९४७ में जेल से बना माल १४,९४,५७८ रु० का बिका, सन् १९४८ में १७,९८,००० रु० का, सन् १९४९ में १८,२५,७२६ रु० का, सन् १९५० में १७,७६,००० रु० का और सन् १९५१ में २३,३५,२०४ रु० का बिका। यह स्वयं इसका प्रमाण है कि जेलों में ज्यादा चीजें तैयार होती रही हैं। हां, एक प्रश्न हमेशा हमारे सामने रहता है कि जेल इंडस्ट्रीज का प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मुकाबला कैसे कराया जाय। हमारे पास कैदी होते हैं जिनसे बहुत आसानी से सस्ता काम कराया जा सकता है। यह सोचने की बात है कि जेल में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चलाई जावें और किस तरह से उन्हें चलाया जाय कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नुकसान न हो। जो कुछ भी है, हम जेल इंडस्ट्रीज की तरफ़ काफ़ी ध्यान रखते हैं।

लेबर के संबंध में दो तीन तरह की बातें खास तौर से कहीं गईं। एक तो सूर्य प्रसाद अवस्थी जी ने कानपुर की टी० बी० क्लीनिक का जिक्र किया। उनका कहना ठीक है कि वहां अभी कोई टी० बी० सैनेटोरियम नहीं है। लेकिन उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि क्लीनिक भी अभी नई चीज है। अभी जो प्रान्तीय वैलफेयर कमेटी हुई उसमें इस पर विचार किया गया कि टी० बी० का सैनेटोरियम भी होना चाहिये। रास्ता सोचना है कि किस तरह इसका प्रबन्ध हो सकता है। श्री राजनारायण जी ने कहा कि इंडस्ट्रीज का जो मुनाफ़ा है उसमें मजदूरों को हिस्सा दिलाने के लिये कोई खास काम नहीं किया गया है। यह बात इस मानी में सही है कि प्राफिट शेयरिंग (लाभ-वितरण) की हमने अभी तक कोई स्कीम नहीं चलाई है। लेकिन जहां तक बोनस के जरिये से मजदूरों को इंडस्ट्रीज में हिस्सा मिलता है वह हम बराबर देते रहे हैं। प्रॉफ़िट शेयरिंग का मामला तो आलइंडिया बेसिस (अखिल भारतीय आधार) पर तय हो सकता है क्योंकि बहुत सी इण्डस्ट्रियल कन्सर्न्स (औद्योगिक संस्थाएं) ऐसी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

हैं कि उनकी एक कैटरी तो उत्तर प्रदेश में है और दूसरी किसी और सूबे में है। इस संबंध में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूरों और मिल मालिकों को मिलाकर कोई क़दम नहीं उठाती तब तक हम भी कुछ करने में असमर्थ हैं। राजनारायण जी ने कहा कि कन्सीलियेशन (साधन) के काम में दिक्कत पड़ रही है। हम भी उससे परिचित हैं। कई वर्ष पहले जब हमने अपनी कन्सीलियेशन मशीनरी बनाई थी तो हमने अपने सामने आदर्श रखा था आस्ट्रेलिया के लेबर लाका, क्योंकि वहां लेबर गवर्नमेंट थी, तो जाहिर लेबर के हक़ में उसका कानून होना चाहिये। हमारे कानूनों के लिये हमको कुछ सरटीफिकेट्स भी मिले हैं। हमारे माननीय सदस्य हैं जिनका लेबर के कामों में काफी हाथ रहता है। मेरा मतलब श्री राजारामजी शास्त्री से है। वह अब इस सदन के तो सदस्य नहीं रहे हैं परन्तु दूसरे सदन के सदस्य हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि उत्तर प्रदेश के लेबर लाज (श्रम संबंधी विधियों) को तो देखकर ऐसा मालूम होता है कि शायद चीन के लेबर लाज उत्तर प्रदेश के लेबर लाज के आधार पर बने हैं। हम तो छोटे से लोग हैं। हमारा और चीन का क्या मुकाबला? लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि आन दी हील (सब कुछ देखते हुये) हमारे लेबर कन्सीलियेशन के कानून कितने अच्छे हैं। मगर एक बात है शुरू से ही किन्हीं कारणों से कुछ राजनीतिक दलों ने और कुछ मजदूरों से संबंध रखने वाली संस्थाओं ने इसमें सहयोग नहीं दिया, ठीक आचरण नहीं किया। कम्युनिस्टों की ट्रेड यूनियन संस्था और सोशलिस्टों की हिन्द मजदूर सभा ने सहयोग नहीं दिया। अच्छे से अच्छे नियमों में भी तरक्की और परिवर्तन की जरूरत हो सकती है। जो भी नियम हों उनको भी बदलने की जरूरत हो सकती है। जो नैनीताल में मीटिंग हुई थी उसमें मैंने वायदा किया था कि इन नियमों को मैं देखूंगा, लेबर और मिल मालिकों को मैं कंसल्ट (परामर्श) करूंगा और जो परिवर्तन कर सकूंगा करूंगा। मैं राजनारायण जी की इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो नियम चल रहे हैं वे संतोषजनक नहीं हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है और यह कि उनसे कभी कभी दिक्कत पैदा हो जाती है।

अब मैं पुलिस की ओर आता हूं। पुलिस की हालत की ओर श्री राजनारायण जी ने ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि जो बजट रखा गया है उसमें पुलिस पर ज्यादा खर्च किया गया है। उन्होंने १९४८–४९, १९४९–५० और १९५०–५१ का जिक्र किया और कहा कि यही क्रम अब भी जारी है। जो भी खर्चा पुलिस पर किया जाता है उसमें बजट से ज्यादा खर्च कर दिया जाता है। जहां तक पिछले तीन वर्षों का ताल्लुक है उनके लिये मेरा कहना यह है कि सन् १९४७-४८ में पार्टीशन (विभाजन) हुआ था, जिसमें दंगे हुए, कम्युनल रायट्स (साम्प्रदायिक दंगे) हुए, उनकी वजह से हमारा खर्चा ज्यादा बढ़ गया। दूसरे साल में पी० आर० डी० (प्रान्तीय रक्षा दल) का पहले पहल संघटन हुआ। उसकी वजह से पुलिस में खर्चा ज्यादा बढ़ गया। तीसरे साल में डीयरनेस अलाउन्स (मंहगाई भत्ता) बढ़ा दिया गया जिसकी वजह से खर्चा बढ़ गया। लेकिन सन् १९५१–५२ में आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति नहीं हुई और हमने बजट के भीतर ही रह कर अपना खर्चा चलाया। इस साल माननीय सदस्य देखेंगे कि हमारा बजट ८-९ लाख कम है। यह खर्चा बहुत ज्यादा है या कम है यह तो मैं नहीं कहता हूं लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि इस में इस समय और ज्यादा कमी कर सकना सम्भव नहीं है। जो परिस्थिति हमारे देश के भीतर है, जो उत्तर प्रदेश के चारों ओर की परिस्थिति है, नैपाल और तिब्बत हमारी सरहदों से मिले हुये हैं वहां क्या हो रहा है उसका ज्ञान तो हमारे माननीय सदस्यों को होगा ही। जो ज्ञान उनको होगा उससे ज्यादा वहां की स्थिति खराब है। उसके लिये भी हमें प्रबन्ध करना पड़ता है जिसका ब्यौरा देना भी इस सदन में संभव नहीं है। हमारे पड़ोस में राजस्थान है, विन्ध्य प्रदेश है, मध्य भारत है। ये बहुत से छोटे छोटे राज्य थे जो मिला कर बड़े कर दिये गये हैं जिन्हें वहां की गवर्नमेंट अभी पूरे तौर से संभाल भी नहीं सकी है। उनके यहां जो अनसोशल एलीमेंट्स (अराजकतत्व) हैं वे इसका फायदा उठाते हैं उसके लिये भी हमें इंतजाम करना पड़ता है। ऐसी हालत में अगर मैं इसमें और कुछ कमी कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी शिकायत की जाती है कि जब बहुत से लोग रिपोर्ट लिखाने के लिये जाते हैं तो या तो उनकी रिपोर्ट दबा दी जाती है या लिखी ही नहीं जाती है। मैं पुलिस की वकालत तो करना नहीं चाहता। पुलिस में गल्तियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं। जरूर ही उसमें कमियां होंगी, गल्तियां होंगी कुछ पुरानी आदतें भी हैं जो वे मुश्किल से छोड़ सकेंगे, लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि हमारी और आपकी बराबर यह कोशिश रहेगी और पुलिस का सुधार बराबर होता जायगा। यहां के अफ़सरान और पब्लिक सब मिलकर इस काम में हिस्सा लें और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके दोषों को दूर करें। जो पुलिस की बात निंदा के योग्य हो उसकी निंदा अवश्य ही करनी चाहिये लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पुलिस के अफसरान कहीं बाहर से नहीं आये हैं। हमारे आपके घरों के आदमी ही इस पुलिस में हैं। अगर मैं नहीं हूं तो मेरा भाई होगा। अगर आप नहीं हैं तो आपका कोई रिश्तेदार होगा। अब आप यह देखेंगे कि अगर सब पुलिस वाले नालायक हैं, बदमाश हैं, चोर हैं तो फिर वह धान का धान कहां से आता है, वे लोग किन लोगों के बीच से वहां जाते हैं। वह समाज कैसा है जो ऐसे लोगों को अपने यहां रहने देता है, इसकी तरफ भी हमें और आपको ध्यान रखना है। जरूर पुलिस में सुधार कीजिये लेकिन जब हम पुलिस की आलोचना की कुछ बात करें तो हम इस बात को सोचें कि समाज के एक सदस्य होने के नाते हमें और आपको समाज को ऊपर उठाने के लिये, पुलिस को ऊपर उठाने के लिये मदद करनी है।

एक सदस्य ने कहा कि सब-इंसपेक्टर तो चालीस-चालीस पचास-पचास हजार रुपये तक रिश्वत लेते हैं। मैं तो उसे सुन कर दंग रह गया। बाज़ बातें ऐसी कही जाती हैं जिनके ऊपर किसी का विश्वास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर सब-इंसपेक्टर ४०, ५० हजार रुपये तक कमाता है और इस तरह से आफिसर्स की लूट हुआ करती है। लेकिन अगर इस तरह से लूट होती तो हम और आप यहां पर दिखलाई नहीं देते, हमारी आपकी तमाम जायदादें गायब हो जातीं। ऐसी-शिकायतें करने का नतीजा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि बेबुनियाद शिकायतें करने का नतीजा यह होता है कि जो सही एलीगेशंस (आरोप) होते हैं वे भी उसमें छिप जाते हैं। तो यह जरा सोचने की बात है। एक सज्जन ने कहा कि उनका यह तजुर्बा है कि सब-इंस्पेक्टर रिश्वत से हजारों रुपया कमाते हैं, आफिसर्स लूट मचाते हैं। मैं कहता हूं कि वे हमें दो चार केस ऐसे बतला दें कि फलां सब-इन्स्पैक्टर ने पचास हजार या दस हजार, बीस हजार ही रुपया कमाया, फलां आफिसर्स ने लूटा तो दो चार केस में ही सजा मिल जाने से इसका परिणाम लोगों को मालूम हो जायगा। मैं अभी भी माननीय सदस्य को निमंत्रण देता हूं कि वे दो चार केस अगर सदन में न बतला सकें तो बाद में मुझे बतला दें और इससे तमाम दिक्कतें दूर हो जायगीं। मैं अब अपने डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बातें कह कर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। जब डिटेल (विस्तार) में बहस होगी तब मैं अधिक बोलने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री, आप कृपया बैठ कर ही बोलें क्योंकि आपके दर्द है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं आज इस सदन के सामने फिर बैठ कर बोल रहा हूं। मुझे याद आता है कि बीस-पच्चीस वर्ष हुये जब कि मुझे ऐसे ही बैठ कर, इस तरफ से नहीं, बल्कि उस तरफ से बोलने की आवश्यकता होती थी। इस बीच ऐसा अवसर कोई भी नहीं हुआ। आज फिर इसकी आवश्यकता हुई और इसके लिये मैं आपको और सदन को, मुझे इस तरह से बोलने की इजाजत देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

जो यहां भाषण हुए हैं उनको मैंने सुना और जो कुछ भी बातें कही गई वे तो यहां पर कलम से लिखी गयीं हैं और उन पर विचार करना हमारा कर्तव्य है। राजनारायण जी तो बजट को सिर्फ रद्दी की टोकरी में ही फेंक सकते हैं। उनकी रद्दी की टोकरी बहुत बड़ी मालूम होती है और नयी चीजें उसमें डाली जाती हैं। परन्तु मैंने तो महात्मा जी को देखा है। वे तो औरों द्वारा रद्दी की टोकरी में फेंके हुये कागजों को लेकर उन पर उपयोगी चिट्ठियां लिखा करते थे और मैं तो महात्मा जी के मार्ग पर, अपने लिये जहां तक उसकी आवश्यकता जान पड़े, उनके अनुयायी होने के नाते मान कर चलता हूं। मैं तो उनके द्वारा रद्दी की टोकरी में फेंके हुये बजट की

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

भी कायम रहेगा और इससे भी और उनके भाषणों से जो कुछ भी लाभ उठा सकूंगा उठाऊंगा और मैं यह कहूंगा कि आज जो चीज उनको रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिये दिखलाई देती है उसको वह पीछे देखेंगे तो उनको दिखलाई देगा, जैसे कि आज नकली चीजें असली बन जाती हैं, ताँबा सोना हो जाता है। उसी तरह से यह वजन भी उनके लिये बहुमूल्य हो जायेगा। (करतल ध्वनि)

मैं इस वक्त कोई बहुत लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता। हम लोगों के सामने बहुत से प्रश्न हैं। मैं जिन हमारे साथियों ने चाहे वे उधर बैठे हों या इधर अपने विचारों को प्रकट किया है उनकी कद्र करता हूं और यह कहने में भी संकोच नहीं करता कि कई बातें ऐसी हैं जिनका अनुमोदन भी करता हूं और जिनके लिये मैं उनके साथ हो सकता हूं और चाहता हूं कि उन बातों को सामने रख कर वे और हम ठंडे दिल से देश के हित की बातों को सोचें। उन्होंने कहा कि इस देश में विद्या नहीं है, लोग विद्याहीन हैं, इस देश में सड़क पर चलते चलते लोग गिर जाते हैं, कोलेप्स हो जाते हैं, तपेदिक के मरीजों के लिये अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, लाखों आदमी ऐसे हैं जिनको पेट भर भोजन नहीं मिलता है, बेकारी इतनी फैली हुई है जिसमें जितने लोग पढ़ लिख कर आते हैं जिस वक्त उनकी बुद्धि का विकास होना चाहिये वे मुरझाने लगते हैं। उन्होंने यहां की गरीबी का भी जिक्र किया। ये सब बातें हैं। तो सवाल यह आता है कि हमको कुछ इलाज करना है या इनको देख कर, सिर्फ एक दूसरे को, कोस को कर इन चीजों इस अवस्था को ऐसी ही रहने देना है। उसका इलाज होना चाहिये और मेरा पक्का इरादा है कि यह हालत इस सूबे की नहीं रहेगी। यहां के रोग शोक सब दूर किये जायेंगे, बेकारी दूर की जायगी, अविद्या दूर की जायगी और यहां के लोग सुख और समृद्धि से रहें, इसके लिये यथासम्भव हम यत्न करेंगे और आप और हम अपने देश को स्वर्ग बनाने में जहां तक हमारी शक्ति होगी कोई कोताही नहीं करेंगे। इसलिये मायूस हो कर बैठने से तो काम नहीं होता है। मैं यह भी कहने में संकोच नहीं करता कि आखिर ६ साल में हमने जो कुछ किया उसमें कोई नैराश्य की बात नहीं है। आखिर हजारों की तादाद में २५ हजार के करीब स्कूल खुले, हजारों की तादाद में हाई स्कूल खुले, कालेजेज खुले, यूनिवर्सिटीज का विकास हुआ, टेकनिकल वोकेशनल एजूकेशन भी कुछ बढ़ा, हजारों मील पक्की सड़कें बनीं, लाखों एकड़ नई जमीन में आबपाशी हुई, लाखों एकड़ नई जमीन काश्त में आयी और हमारे देश में जो कुछ भी उपज होती थी वह अगर हमें वक्त पर पानी मिले और कोई प्रकृति का कोप न हो तो करीब करीब अपने सूबे के लोगों को खिलाने के लिये पर्याप्त मात्रा में पैदा करने का अब अवसर मिला है। देहात में एक नया जीवन उत्पन्न हुआ। हमारे किसानों को फिर मर्दों की तरह खड़े होने का अवसर मिला। देहातों की गरीबी एक हद तक दूर हुई और कम से कम कर्जदारी तो दूर हुई और करीब करीब खत्म सी हो गई है। देहात में लोग अब बारीक चावल और गेहूं खाने लगे, कभी कभी उनको बारीक कपड़े की भी चाह हुई और हमारे प्रदेश ने एक नया पलटा लिया। हमारे यहां सैकड़ों अस्पताल भी खुले और और भी चीजें हुईं। इसलिये जो पीछे के ६ सालों में हुआ है उससे हमको आगे बढ़ने का अवसर मिला है। परन्तु जो कुछ हमने किया है उससे ज्यादा आगे करना है। वह तो बहुत ही कम है जो हमने किया है, वह तो उसका एक फ़ैक्शन (अंश) भी नहीं है जो कि हमको आगे करना है। इसलिये मैं मानता हूं कि हमारे यहां त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को, समाज में जो पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिये हमें पूरी कोशिश करनी है। इस बात को मानते हुए यथाशक्ति जो कुछ किया गया है उस को भी देखते हुए, अगर कोई भी देखे तो उस को असंतोष नहीं होगा।

यह अक्सर चीन का जिक्र किया जाता है। मैं उन से, जो इसका जिक्र करते हैं, कहना चाहता हूं कि जो विदेशी हमारे देश में आते हैं और जाते हैं वे अपने दांतों

तले उंगली दबाते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े देश के होते हुए और हमारे प्रदेश में जहां कि पुरानी बहुत सी बुराइयां और आपस में झगड़ा फसाद और एक दूसरे पर अविश्वास चला आता था, एक बड़ी ही सराहनीय उन्नति हुई है। इसलिये यदि हमारे यहां के लोग चीन की प्रशंसा करते हैं तो मुझे इस बात से तसल्ली मिलती है कि बाहर से आये हुये लोग हमारे कामों से भी असंतुष्ट नहीं होते हैं और बाहर जाकर भारत ने जो कुछ इन वर्षों में किया है उसकी सराहना करते हैं। लेकिन जो लोग चीन की इस तरह बार बार बातें कहते हैं मैं उनसे पूछता हूं कि यदि चीन की व्यवस्था यहां होती तो यह लाल टोपी कहां होती और इस तरह के भाषण कितने दिये जाते? कितने इस तरह के कार्य होते जिनमें कि हम लोग एक दूसरे से विचार विनिमय करके एक साथ मिल कर जहां तक भी संभव हो, विवेक द्वारा एक हो कर करने का उद्योग कर सकते? और सोशलिस्ट पार्टी तो कम्युनिज्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि कम्युनिज्म और सोशलिज्म वास्तव में जिस तरह से वे चलाना चाहते हैं शायद साथ चल नहीं सकते हैं। फिर मौलिक ढंग से अगर उसका विरोध है तो बार बार फिर उसकी चर्चा करने से लाभ ही क्या है? अगर उसको कबूल करना है तो कम्युनिस्ट पार्टी में मर्ज (सम्मिलित) हो जाना चाहिये। अगर उससे संघर्ष करना है तो फिर आइडियोलोजिकल कनफिलक्ट (आदर्शवादी विरोध) अगर हैं तो लोगों में ऐसी बात फैलाने से जिससे वे गलत रास्ते पर जायं, उससे उनका भी हित नहीं हो सकता है। परन्तु चीन ने कैसे किया, वहां रिश्वतखोरी कैसे खत्म हुई? मैंने सुना है कि करीब करीब लाखों आदमी वहां मारे गये। वहां चौराहे पर बैठ कर मुकदमे होते हैं। कोई कानून वहां नहीं रहा सिवा कुछ जमीन के बारे में और शायद कुछ शादी के बारे में कोई कानून है। इसके अलावा कोई कानून नहीं है। किस जुर्म के लिये क्या सजा दी जाय? चौराहे पर मुकदमे होते हैं। टेलीफोन से शहादत सुनी जाती है। टेलीफोन से मुल्जिम से पूछ लिया जाता है और फांसी का हुक्म टेलीफोन से दे दिया जाता है। मैं चीन में जो बातें हो रही हैं उनकी कद्र करता हूं और चीन हमारा मित्र देश है। उन को पूरा अधिकार है कि जिस तरह से चाहें देश का प्रबन्ध करें और जो वे कर रहे हैं उनकी बुद्धि में वह चीन के लिये उपयुक्त है। हमें कोई अधिकार नहीं है कहने का कि गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां किसी का डिटेंशन (निरोध) तक कर दिया जाय, अगर जमानत का मुकदमा सुनने में जरा देर भी हो जाय तब तो ऐडजर्नमेंट मोशन (कार्यस्थगन प्रस्ताव) आ जाता है। इसके अलावा यहां तो इस प्रकार की बातें होती हैं। इस प्रकार सत्याग्रह की चर्चा की जाती है। चीन को छोड़ दीजिये, यूरोप, अमेरिका इंग्लैंड किसी भी कांस्टीट्युशनल डेमोक्रैसी के अन्दर सत्याग्रह की चर्चा कहीं सुनी जा सकती है? कहीं लोगों को यह कहने का अधिकार हो सकता है कि किसी डैमोक्रेटिक सिस्टम में जहां पर जनता के प्रतिनिधि देश का प्रबन्ध करते हों, जहां पर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाये हुये कानून के विरुद्ध जो लोग कहें वह अपराध होता है। बुनियादी तरीके पर उसका यह अपराध है कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया हुआ जो कानून है उसके खिलाफ वह बोलता है। डिमोक्रैसी में जनमतों को अपने साथ कर के लोग, दूसरे का स्थान ले लेते हैं। आपस के समझौते से भी अगर आवश्यकता हो तो आपस में बात हो कर के भी मिल जुल कर हम सब काम करते हैं परन्तु सत्याग्रह की बात कैसे चल सकती है?

कहा जाता है कि पुलिस का खर्चा ज्यादा है। क्या पुलिस का खर्चा घटाने का तरीका यह है कि इस सदन के सदस्य यह कहें कि हम सत्याग्रह करेंगे। बाहर जाकर इस तरह के भाषण दें जिसमें लोगों से कहा जाय कि सत्याग्रह करो? अगर प्रोक्योरमेंट (वसूली) की कीमत कम की जाय तो सत्याग्रह करेंगे। अगर करोड़ों का घाटा पूरा करने के लिये कुछ नाज की कीमत बढ़ाई जाय तो सत्याग्रह करेंगे। अगर लगान की माफी कम न हो तो सत्याग्रह करेंगे। अगर कम हो तो सत्याग्रह करेंगे और टैक्स की चर्चा की जाय तो सत्याग्रह करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि यह बुनियादी तौर पर एक लोकतन्त्र राज की जो व्यवस्था होती है उसके विरुद्ध बात है और यह किसी तरह से लोकतन्त्र के शासन के साथ चल नहीं सकती, क्योंकि हमें तो इस सदन ने इसीलिये नियत किया है कि जो कानून हो उसके विरुद्ध जो भी काम करे उसे उस काम के करने

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

से रोका जाय, वहां ऐसे कानूनों का विरोध करने से इस सदन की अवहेलना होती है। हमारे प्रदेश के बालिग मताधिकार से जो लोग चुने गये हैं उनके बनाये गये कानून की जब अवहेलना होती है तो सारे प्रदेश की अवहेलना होती है। जब उनके द्वारा बनाये गये कानूनों के विरुद्ध किसी तरह से थ्रेट (धमकी) दी जाय या सत्याग्रह किया जाय तो यह सारे प्रदेश की अवहेलना है। कहा जाता है कि पुलिस क्यों रखी जाय ? पुलिस क्यों नहीं अलग की जाती ? पुलिस का खर्चा क्यों नहीं घटाया जाता। उसका तरीका तो यह है कि हम सब यह बीड़ा उठा लें कि कानून को हर तरह से मनवायेंगे, कानून के विरुद्ध कोई बात किसी को नहीं करने देंगे। आपस में वाद विवाद करके जो कुछ भी निश्चय हो वही करेंगे, परन्तु जो कानून बना हुआ है उसके विरुद्ध जो भी काम करें उसके लिये हर आदमी पुलिसमैन इस सूबे का होगा। जब ऐसा बीड़ा हम अपने ऊपर ले लेंगे तभी पुलिस की तादाद कम की जा सकेगी। मगर कहा तो यह जाय और किया ऐसा जाय जिससे यहां के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनके विरुद्ध भी पुलिस को कभी कभी समाज को बचाने के लिये, यहां की व्यवस्था को बचाने के लिये, यहां के विधान की सुरक्षा के लिये, कार्य करना पड़ा तब कैसे पुलिस का खर्चा कम किया जा सकता है ? जिम्मेदारी उन पर आती है जो पुलिस के काम को हल्का करने की बात करके इस तरह की शंकाएं उठाकर इस तरह की चर्चा को बार बार करके, ला ऐंड आर्डर (शान्ति और व्यवस्था) के लिये जोकि स्वतंत्र देश में नागरिकों की श्रद्धा होनी चाहिये उस पर आघात करते हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि ऐसी बातें नहीं की जायंगी। परन्तु मैं आपसे कह रहा था कि हमारे यहां बहुत सी कमियां हैं। उन कमियों को हमें दूर करना है।

मैं इस बात को नहीं मानता कि भूख से हमारे यहां कोई आदमी मरा। वैसे तो बहुत से भिकारी होते हैं, वे मरते हैं, परन्तु कोई भी काम करने वाला, कोई कृषक, भूख से मारे—मैं नहीं समझता कि हमारे प्रदेश में कहीं भी लोग इतने गिर गये हैं कि जब तक उस गांव के सौ आदमी जिन्दा हैं वह एक को भूखा मरने देंगे। यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। हमारे यहां लोग किसी तरह से सहन नहीं कर सकते और मैं समझता हूं जब तक कोई भी सदन का सदस्य जिन्दा है मुझे पूरा विश्वास है, वह देवरिया में किसी को भी कभी भूखा नहीं मरने देगा, क्योंकि यह तो सब से प्रथम, सर्वप्रिय कर्त्तव्य होता है कि किसी को भूखा न मरने दें। कहा जाता है कि मैंने धमकी दी। धमकी की कोई बात नहीं थी। मैंने कहा था कि हमारे यहां की जो मर्यादा है, हमारे यहां की जो संस्कृति है, उसमें किसी गांव में कोई भूखा नहीं मरने दिया जायगा और मुझे पूरा विश्वास है के हमारे यहां के लोग चाहे भूखे मरें परन्तु दूसरे को भूखा नहीं मरने देंगे। जब तक एक रोटी भी उनके पास होगी आपस में बांट कर खायेंगे। हमारे देश के पुराने कथानक हैं कि यहां के ऋषि मुनियों ने आपना मांस काट काट कर दूसरों को खिलाया है और दूसरों को समर्पित किया है। इस देश में कभी भी कोई किसी को भूखा नहीं मरने देगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। परन्तु यह सही है कि हमारे यहां गल्ला पूरा खाने को प्राप्त नहीं है। हमारे यहां बार बार स्केयरसिटी (कमी) वगैरा हुआ करती है और हमारे यहां इस बात की जरूरत है कि अन्न पैदा हो, बेकारी दूर हो। हमारे यहां कृषि से जो भी पैदावार होती है वह दूसरे देशों से आधी तिहाई होती है। वह उतनी ही हो जितनी और देशों में होती है। हमारे यहां इस तरह की इनडस्ट्रीज (उद्योग) हों जिन से बेकारी कहीं न रहे, सब काम करें। हमारे यहां सड़कें बनें। सैकड़ों हजारों गांव ऐसे हैं जहां बरसात में जाने को कोई रास्ता नहीं रहता, नाव ले करके भी आप नहीं पहुंच सकते, पानी इतना गहरा नहीं कि नाव चल सके और इतना गहरा है कि पैदल न चल सके। इस तरह से हमारे यहां लोगों को बीसों कष्ट हैं जिन को हमें दूर करना है।

दूर करने का क्या उपाय है ? मैं पूछता हूं कि कैसे किया जा सकता है ? क्या बगैर पैसे के काम चल सकेगा ? टैक्स लगाना कोई पसन्द नहीं करता। टैक्स लगाने से हर एक

गवर्नमेंन्ट को चिढ़ाने की गुंजायश निकलती है परन्तु हमें प्रदेश की जनता की रक्षा करनी है। उपनिषदों की बात यहां के सदस्यों को याद होगी। एक ने पूछा कि वह चीज की जाय जो पसन्द हो या वह चीज की जाय जो हित की हो। इस पर उत्तर मिला कि जो चीज पसन्द हो, जो चीज ठाकुरसोहाती वाली हो, वह न की जाय, बल्कि जो हित की बात हो वह करनी चाहिये। हमें तो हित की बात करनी है। हम से कहा जाता है कि तुम नहीं रहोगे, दूसरी दफा तुम नहीं आ पाओगे। मैं कहता हूं कि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, दस दफा हम को अलग कर दिया जाय, आजन्म हम को यहां न बैठने दिया जाय, परन्तु जनता के हित में जो बात हमें करनी है वह तो हम करते ही रहेंगे। उससे हम कभी नहीं भागेंगे। हम यहां इसलिये नहीं हैं कि हमें यहां बैठना है। हम यहां इस लिये हैं कि हमें जनता की सेवा करनी है, हमें उनके स्तर को ऊंचा करना है, बेकारी, गरीबी, रोग, दुख और अविद्या को दूर करना है। उसके लिये हमें जो कुछ करना होगा वह हम करेंगे चाहे उसके लिये हमें कोई भी मूल्य चुकाना पड़े।

जहां तक हमारे व्यक्तित्व का सम्बन्ध है, जो इस तरह की बात सोचते हैं वे जानते नहीं कि किस कर्तव्य को पूरा करने के निमित्त हमने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया है। लिहाजा मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब चाहें तब हम को अलग कर दें। मुझसे कहा गया था कि तुम यहां से हट जाओ हम आ जायं। मैं उनके साथ जगह बदलने के बजाय यहां तक तैयार हूं कि वे आ जायं और मैं चला जाऊं। परन्तु फिर भी आवश्यकता होगी कि हम सब मिल करके काम करें जहां तक कि देश के हित में हम मिल कर चल सकते हैं। भले ही इंगलैंड में कोई राजनीतिक खेल होता हो, मगर यहां, हमारे देश में, जहां इस तरह के भूखे और नंगे लोग हैं, जहां कोई भी साधन नहीं है, कोई राजनीतिक खेलवाड़ नहीं हो सकता। इसलिये हमको अपनी गंभीर अवस्था को देख कर अपने व्यवहार को यहां भी और बाहर भी ठीक करना है। इसलिये मेरा स्पष्ट निवेदन है कि जो हमारे सामने प्रश्न हैं उनको इसी दृष्टि से देखें।

हम से पूछा जाता है कि टैक्स क्यों लगता है। आखिर क्या तरीका है काम करने का? जहां तक मैंने सुना सिर्फ दो बातें यहां कही गयीं, एक तो यह कि सरकारी नौकरों की तनख्वाह कम कर दो। यह भी मैं समझा नहीं। कोई कहता है कम करो, कोई कहता है कि बढ़ाओ, कोई कहता है कि जो छोटे आदमी हैं उनकी बहुत बढ़ना चाहिये। अब मैं आपको बतलाता हूं कि क्या सरकारी नौकरों की तनख्वाह बढ़ाने या घटाने से कोई ऐसा फायदा हो सकता है जिससे कि हमारा काम चल सके? इससे पहले मैं आप को याद दिलाना चहता हूं कि हमारे बजट में साढ़े चार करोड़ रेवेन्यू की इस साल कमी है और इसके अलावा कैपिटल (पूंजी) में बीस करोड़ की कमी है। इन दो का प्रबन्ध हमें करना है इसे आपको याद रखना है। क्या आप चाहते ह कि नहर का काम न किया जाय, क्या आप चाहते हैं कि पावर प्लांट न लगाये जायं, क्या आप चाहते हैं कि कालेज और स्कूल न रखे जांय, क्या आप चाहते हैं कि एक्जिक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग न किया जाय? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसके लिये पैसा कहां से आयेगा। टैक्स के लगाने से आप का भी दिल दुखता है और हमारा भी दिल दुखता है, मगर उसका इलाज कहां से लाया जाय, उसका इलाज कैसे हो, यह प्रश्न आप के सामने आता है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी संख्या क़रीब २ १/२ लाख के है, २ लाख ४० हजार। उनमें से १,६८,५८० तो ५० रुपये से कम तनख्वाह पाते हैं। ५० रुपये से १०० रुपये तक पाने वालों की संख्या ५१,८११ है और इन दोनों की तादाद लगभग २ लाख २० हजार होती है और उनको ९ करोड़ ७२ लाख रुपये तनख्वाह के और ५ करोड़ ६० लाख रुपये डियरनेस एलाउंस (मंहगाई भत्ते) के मिलते हैं। इस तरीक़े पर १५ करोड़ ३२ लाख रुपये तो १०० रुपये से कम तनख्वाह पाने वालों को मिलते हैं। १०० से २०० रुपये के बीच के लोग १३,५१७ हैं जिनको २ करोड़ ४३ लाख रुपये तो तनख्वाह के और ५२ लाख रुपये डियरनेस एलाउंस के मिलते हैं। २०० रुपये से ५०० रुपये तक पाने वाले करीब ४ या ५ हजार के हैं जिनको कुल मिला कर २ करोड़ के क़रीब तनख्वाह मिलती है। इस तरीक़े पर करीब ११०० आदमियों को छोड़ कर बाक़ी सब को जिनकी

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

तनख्वाह ५०० या इससे कम है २० करोड़ २१ लाख रुपये तनख्वाह के मिलते हैं और इन ११०० आदमियों को क़रीब १ करोड़ रुपया मिलता है, यानी इन ११०० की औसत क़रीब क़रीब १ हजार रुपया महीने की है। अब इनकी तनख्वाह कम कर दीजिये। कितनी कम करना चाहते हैं? ५०० से कम तो कोई नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि इस सदन में जितने सदस्य बैठे हैं उनका खर्चा ५०० से कम नहीं है और घरों का खर्चा अलग है। तो अगर इनको कम नहीं करना है तो फिर क्या बचत हुई? एक हजार की औसत तनख्वाह जो पाते हैं उनकी तनख्वाह कम कीजिये। उनको कितना कम कीजिये? मान लीजिये कि आधा कर दें तो ५० लाख की बचत हुई। २५ फ़ीसदी कम कर दीजिये तो २५ लाख मिले। परन्तु आपको याद रखना चाहिये कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया में इससे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती है। हमारे मुलाजिम वहां जाते हैं और वहां की बड़ी मांग हमेशा रहती है। हमें अपने यहां भी काम लेना है। कुछ तो उनको देना ही होगा। फिर किस तरीक़े से काम चले? अगर कम भी किया जायगा तो २५ करोड़ का हमें प्रबंध करना है, २० करोड़ पूंजी का और ४ १/२ करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट (मालगुजारी की कमी) का। यह इन २५ लाख रुपयों से कैसे पूरा होगा? इसलिये आपको इसका ध्यान करना है।

केवल कह देने से ही हम आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं आपको यह भी बतला देना चाहता हूं कि हमने एक एकोनामिक कमेटी पहले बनायी थी। उसकी सिफ़ारिशों पर तब्दीली की। उसके बाद फाईनैन्शल (आर्थिक) कमिश्नर को मुक़र्रर किया। उसके कहने पर फिर कमियां कीं। उसके बाद हमारी फिर कमेटी बनी और रात दिन हमारा यत्न रहता है कि हम बिल्कुल फ़ज़ूल खर्ची न होने दें। मैं समझता हूं कि आपको हक़ है और हमारा फर्ज है कि एक पैसा भी टैक्स-पेयर (कर-दाता) का बेकार न जाय और उसका पूरा मूल्य जनता को मिले। इसके लिये हमें उद्योग करना है। कहीं उसमें खामी हो सकती है। उसे हमें दूर करना है। फिर भी हमें यह देखना है कि इस २५ करोड़ की कमी को किस ढंग से पूरा किया जाय। क्या हम नहरों को छोड़ दें या और कामों को छोड़ दें? हम एक बड़े शिकन्जे में फंसे हुये हैं और बड़ी दिक़्क़त की बात है। एक तरफ़ तो यह कहा जाता है कि हम ग़रीब हैं लिहाजा टैक्स न लगे। दूसरी तरफ कहा जा सकता है और कहा जाता है कि जब तक कुछ अमीर न होंगे तब तक टैक्स न लगेगा। इसलिये कैसे काम चलेगा? अंडा पहले हो या मुर्ग़ी पहले हो? परन्तु वास्तविक बात यह है कि ग़रीबों के होते हुए भी ऐसे लोग भी हैं जिनको एक दफा भी खाना नहीं मिलता। उनसे बेहतर वे लोग हैं जिनको एक दफा खाने को मिल जाता है। उनसे बेहतर हैं वे जिनको दो दफा मोटा अनाज खाने को मिल जाता है। उनसे बेहतर वे हैं जिनको एक दफा बारीक और एक दफा मोटा नाज खाने को मिल जाता है। इसलिये सबसे नीची कोटि के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। किस ढंग से काम किया जाय जिससे समाज का स्तर ऊंचा हो और यह दुख दूर हो और सुख की स्थापना हो? इसलिये हर एक को आवश्यक है कि वह त्याग करे, कुर्बानी करे, यह टैक्स नहीं है, त्याग है, सैक्रीफाइस है। पिछड़े हुए देश को जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा आज उसे आजादी मिली है। उसका यह हौसला है कि वह अपने को मिटा देगा मगर अपने देश को बना कर छोड़ेगा। चाहे उसे कितनी ही दिक़्क़त हो। इस उम्मीद से हर एक से आशा की जाती है चाहे उसको; कितनी ही दिक़्क़तें हों वह इस काम में मदद देगा। यह सही है कि तकलीफें होंगी मगर तकलीफ न हो तो फिर दूसरों के लिये कुछ करने का मौक़ा कैसे हो? स्वराज्य के बाद आराम करना है तो फिर उन्नति की बात कैसे की जा सकती है? उसे तो करना है इसलिये यथा संभव हमें उसका उद्योग करना है।

मैं यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे देश में सब से कम टैक्स हमारे सूबे में है। बम्बई में ११ रुपये पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति) टैक्स है, मद्रास में ६.६, पंजाब में ६.१

मध्य प्रदेश में ६.४, वेस्ट बंगाल में ९ है और उत्तर प्रदेश में ४.८ है। हम बहुत चीजों में पिछड़े हुए हैं। लेकिन अपनी तरफ से कुर्बानी न करना यह तो हमारी चीज है, ईश्वर की मार नहीं है। कम से कम हम इसमें बहुत पिछड़े हुए न रहें और इस बात का उद्योग करें कि देश में जो कुछ आवश्यकता हो उसको पूरा करने का प्रयत्न करें। हमारा जो नेशनल प्लान (राष्ट्रीय योजना) है उस पर हमें काफी उम्मीद है। एक साहब ने यह कहा कि वह प्लान देखने तक को नहीं मिला। अगर सूरज चमकता हो और आंख बंद कर ली जाय तो सूरज नहीं दीखता। यह प्लान तो दिसम्बर, सन् १९५० में छापा गया था, अखबारों में भेजा गया, सैकड़ों प्रतियां बांटी गईं, प्रेस कान्फ्रेंसेज हुईं, फिर भी किसी ने उस पर नज़र न डाली तो उसका मुझे खेद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह उसको पढ़ें और मुझे आशा है कि पढ़ने के बाद उन्होंने जो कुछ विरोध किया है टैक्सेशन के बारे में वह इरादा अपना बदल देंगे और यह समझेंगे कि ऐसे कौमी काम में उनको मदद देनी है।

कुछ और भी बातें यहां कही गईं, मस्लन पुलिस का जिक्र किया गया। और और बातों का जिक्र किया गया। हरिजनों के बारे में भी कहा गया कि उनकी क्या मदद होती है? मैं कहना चाहता हूं कि हम हरिजनों के लिये बहुत कुछ करना चाहते हैं। हरिजन बहुत पिछड़े हुये हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनको जितना ऊंचा उठा सकें उठायें। किसी भी जंजीर में कोई भी कड़ी कमजोर हो तो वह सारी जंजीर कमजोर रहती है। लेकिन किसी चीज को बढ़ाने का तरीका यह नहीं है कि जो कुछ उसके हित की बात होती हो उसको भी इंकार किया जाय। कहा गया कि कुछ पाइयों में ही उनकी मदद होती है। पहले तो पाइयों में भी न होती थी। मगर अब तो ४७ लाख रुपये साल हरिजनों के ऊपर खर्च होता है। इस हिसाब से ७ आने प्रति हरिजन खर्चा है। इसके अलावा जो औरों के लिये रकमें हैं उनसे भी वे लाभ उठा सकते हैं। इस तरीके पर यहां व्याख्यान देना मानो उनके साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है उनको सताया जा रहा है, यह किसी तरह से न्याय की बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस तरह का व्याख्यान देकर उनके रास्ते में रुकावटें नहीं डाली जायंगी क्योंकि यह उनके लिये लाभदायक नहीं हो सकता। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि अब के बजट को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें कितना फर्क है और किस तरह से जब से हम यहां आये हैं अच्छे कामों में खर्च बढ़ाया गया है, मस्लन एजूकेशन पर सन् १९४५-४६ में १ करोड़ ६५ लाख खर्च था और वह हर साल बढ़ता ही गया है। १९५१-५२ में वह खर्च ७ करोड़ ३९ लाख था। करीब एक करोड़ रुपया सन् १९५२ के मुकाबिले में इस साल के बजट में ज्यादा है और इसका इशारा भी बजट स्पीच में था। जो यूनिवर्सिटी का कर्जा है उनके लिये हम आगे ऐसा इंतजाम करना चाहते हैं जिससे यूनिवर्सिटी की शान और भी बनी रहे और उनकी रक्षा करनी चाहिये। पुराना कर्जा उनका गवर्नमेंट अपने ऊपर लेकर उसको अदा करने का इंतजाम करे।

इसके अतिरिक्त और भी आप देखेंगे कि पुलिस के खिलाफ़ भी कहा गया कि पुलिस पर खर्चा बढ़ा हुआ है। पुलिस का खर्चा जो सन् १९५०-५१ में था वह ७ करोड़ ४० लाख था और अब वह घटकर ७ करोड़ ११ लाख है और इससे पहले १९४९-५० में वह खर्चा करीब ८ करोड़ के था। लिहाजा वह भी कम किया गया है।

इसके अलावा मेडिकल का खर्चा कई गुना बढ़ गया है और भी ऐसे खर्चे बढ़े हैं जो जनता के फायदे के हैं। ऐसी हालत में जो रुपया बजट में रखा गया है वह जनहित के लिये रखा गया है। उसमें यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस काम को मत करो, वह सब ज़रूरी काम हैं।

हमसे पूर्वी जिलों के बारे में कहा गया कि वहां की दशा दयनीय है। मैं मानता हूं कि उनको काफ़ी आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने में हमें उनका पूरा साथ देना है परन्तु जब आगे बढ़ाने के लिये काम करना है तो उसके लिये हमें द्रव्य की जरूरत होगी और उसके लिये पैसा चाहिये। पूर्वी ज़िलों में हम कई हज़ार कुयें बनाना चाहते हैं। वहां पर रिहन्द डाम

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

चालू करना चाहते हैं। इस तरीके पर हर तरह से उनकी अवस्था को सुधारना चाहते हैं। लेकिन अगर पैसा न आवे या पैसे का नाम न लिया जाय और उसके लिये सत्याग्रह का नाम लिया जाय तो फिर यह काम कैसे हो सकता है? इसलिये जो महाशय इन कार्यों से सहानुभूति रखते हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि इन कामों को इस ढंग से करें जिससे हम आगे बढ़ सकें।

इतना मैं और कहना चाहता हूं कि जमींदारी विलीन हो गई। मुझे खेद है कि इससे बहुत से जमींदारों को कष्ट पहुंचेगा। हम देश का हित करना चाहते हैं परन्तु किसी को भी कष्ट देना नहीं चाहते लेकिन अगर देश के हित में किसी को कष्ट उठाना पड़े तो यह गौरव और गर्व की बात है। इसलिये उनसे मैं यह आशा करता हूं कि वह अपना पूरा सहयोग इसमें देंगे जिससे जमींदारी के रहने से जो अड़चन देश के सामने थी वह दूर होगी। इससे आर्थिक लाभ कितना हुआ है इस बात को छोड़ दीजिये परन्तु इससे नैतिक लाभ जरूर हुआ है, मानवता का संचार हुआ है। जो लोग सदियों से कमर झुका कर चलते थे और जिनकी कमर झुक गई थी अब वह अपनी गर्दन को ऊंची करके चलेंगे और सड़क पर सदियों के बाद उनको चलने का मौका मिलेगा। ऐसी मानवता के लिये लाखों करोड़ों रुपया कीमत देना भी कोई कीमत नहीं रखता है। इसलिये जो मानवता उन्होंने उनको प्रदान की है उसके भरोसे पर ईश्वर के भरोसे पर अपने भविष्य के लिये त्याग करना चाहिये। हम आशा करते हैं कि अब गांवों के अन्दर किसान और जमींदारों के बीच में अच्छे भाव उत्पन्न होंगे और दोनों भाई भाई की तरह रहकर अपनी उन्नति करते हुए देश का भला करेंगे।

कभी कभी जमीन के बटवारे की बात कही जाती है परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर वह यह चाहें कि जमींदारी के उन्मूलन में अड़ंगा डालकर इसको ऐसा उलझा दिया जाय कि जिससे कभी सुलझ न सके और हम लोग बेकार हवा में गुम होकर किसी काम को न कर सकें और तकसीम के काम में फंस जायं तो उनका भ्रम है। उनका यह कहना मौलिक दृष्टि से चाहे सही हो, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से किसी तरह सही नहीं है। हमारा प्रदेश इतना बड़ा है उसमें जमींदारी उन्मूलन करना बड़ा काम है। करीब करीब ५ करोड़ आदमियों का इससे सीधा संबंध है और वैसे तो सबका संबंध ही जमींदारी से है। उनके लिये मुआविजा लेकर उनकी जमींदारी के बदले में उनके हकूक को परिपक्व करके सदैव उन्नति की ओर हम उनको ले जाना चाहते हैं। जमींदार और किसान के बीच भाईचारा बढ़े, सहयोग और हिम्मत बढ़े और कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग (जोतों की चकबंदी) हो, हर तरीके पर दुगुनी और तिगुनी पैदावार बढ़े, सबके अन्दर सद्भावना की प्रेरणा हो, उस के लिये सब को एक होकर काम करना चाहिये।

हमने तो अब अपने देश की उन्नति इसी बात पर निर्भर समझी है कि हम स्वावलम्बन के आधार पर काम करें। मुझे खुशी है कि पंचायत, पी०आर० डी० (प्रान्तीय रक्षा दल) और हमारी और संस्थाओं ने ऐसे काम किये हैं जिनमें हजारों मील सड़कें, सैकड़ों पंचायत घर और सैकड़ों मील नहरें आदि बनी हैं। और भी बहुत से काम किये हैं जिनसे अपना खर्चा करके और तकलीफ उठाकर उन्होंने अपने समाज का हित किया। यह भाव हमारे समाज में होना चाहिये। इसके लिये सब के आशीर्वाद की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि इसमें हम शीघ्र से शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे। इसे प्राप्त करने में कोई कोताही नहीं करेंगे। जो कोई भी योजना इसके लिये बनाई जाय उसमें सब खुशी खुशी शरीक होंगे ताकि यह देश जो इतना पिछड़ा हुआ है फिर से दुनिया में आगे बढ़ सके। हम नये समाज का अपने यहां निर्माण करें ताकि नव भारत के इस गगन चुम्बी निर्माण मंदिर को बनाने का हम सब को संतोष प्राप्त हो सके।

वित्त मंत्री (श्री मुहम्मद इब्राहिम)---जनाब स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले उन मेम्बरान साहेबान का जिन्होंने कि इस बजट के मुताल्लिक बधाई दी, शुक्रिया अदा करता हूं। गवर्नमेंट की तरफ से जवाब में बहुत सी बातें कही गईं और मैं सिर्फ इसलिये खड़ा हो गया हूं कि

मुझे एक बात इस ऐवान से बहुत ही जरूरी अर्ज करनी है। अब कोई और बात ऐसी नहीं रही है जिसका मुझे जवाब देने की जरूरत हो। लेकिन एक बात है जो इस वक्त तक जिक्र में नहीं आई है। मैं चाहता हूं मेम्बर साहेबान उसे तवज्जह से सुनें। जो इस वक्त बजट दरपेश है सिर्फ उसी का सवाल नहीं है। अभी हम अपने चीफ मिनिस्टर साहेब से बातें सुन रहे थे। मैं यह समझता हूं कि चाहे कोई किसी पार्टी का हो और कैसे ही खयाल रखता हो लेकिन अगर उसे इस प्रदेश से मोहब्बत है तो वह जरूर इसकी तरक्की चाहता है और यह चाहता है कि यह मुल्क दुनिया के मुल्कों में सबसे बड़ा मुल्क हो। अगर मेरा ख्याल सही है और मैं समझता हूं कि सही है, तो जो बात मैं अर्ज करने वाला हूं उसकी निस्बत मैं यकीन रखता हूं कि वह मेम्बरान के दिलों को उठायेगी और जो सहायता मैं उनसे चाहूंगा वह सहायता उनसे मुझको मिलेगी।

मैंने अभी यह अर्ज किया था कि यह सवाल सिर्फ इसी बजट का नहीं है। इस साल चार करोड़ या साढ़े चार करोड़ रुपये की डेफीसिट (कमी) बचाकर काम हो सकता था और गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के सामने उसके प्रतिनिधियों के सामने किसी टैक्स का सवाल नहीं रखती। लेकिन, इस वक्त तो मुल्क का हर आदमी जानता है कि इस मुल्क के विकास, तरक्की, डेवलपमेंट के लिये एक प्लान बना लिया गया है और उसके साथ ही साथ इस उत्तर प्रदेश के लिये भी एक प्लान बन गया है। मैं मेम्बरान को यह इत्तला देना चाहता हूं कि उस प्लान का खर्चा जिससे नहरों का भी ताल्लुक है, ट्यूबवैल्स का भी ताल्लुक है, बिजली का भी ताल्लुक है, ऐग्रीकल्चर (कृषि) का भी ताल्लुक है, तालीम का ताल्लुक है, इंडस्ट्री (उद्योग) का भी ताल्लुक है और भी जितनी तरक्की की तजावीज़ की गई हैं वे सब भी इसमें शामिल हैं, जिन पर इन पांच सालों के अन्दर ९२ करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। यह ९२ करोड़ रुपया उस खर्चे से अलहदा है जो कि हम रिहन्द डैम पर करने वाले हैं इसलिये कि अभी तक वह गवर्नमेंट आफ इंडिया की पांच साला प्लान में शामिल नहीं हुआ है। इसके पहले जो स्कीम्स (योजनायें) बनी थीं वे सब उस प्लान में शामिल की गई हैं। उन पर ९२ करोड़ और उसके अलावा ३५ करोड़ रिहन्द पर खर्च होने वाला है। गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि ये सब प्लान इसी ५ साल में खत्म हो जायं। इस तरह से कुल १२६ या १२७ करोड़ रुपया हम इन ५ सालों में खर्च करने वाले हैं। इसमें से १४ करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। यह जाहिर है कि किसी वक्त आपको किसी जगह अपने घर के काम में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत हो जाय तो उसे आप भुगत लेंगे। इसी तरह से हमने १४ करोड़ रुपया तो और खर्चों को करते हुए भी कर दिया लेकिन बराबर इन १४ करोड़ को बावजूद और खर्चों के बराबर करते ही रहें, बिना किसी तबदीर के, तो यह मुमकिन नहीं हो सकता।

कहा गया कि खर्चा कम किया जाय मैं तो यह उन आदमियों का फ़र्ज समझता हूं जिनके हाथ में पावर (शक्ति) है। उनका यह फर्ज है कि वे खर्चे पर नजर रखें और फिजूल खर्चा न करें। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि किसी मुल्क का जिसका हमें डेवलपमेंट करना हो, तरक्की करनी हो, उसका खर्चा कम हो सकता है। खर्चा कम करना मुल्क की तरक्की को रोकना है। अगर तरक्की होना है, उन्नति करना है तो खर्चा करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक फ़िजूल खर्चों का सवाल है उसके ऊपर हमने नजर रखनी है। सन् १९४९-५०, १९५० ५१ और १९५१-५२ में हम उस खर्चे पर नजर रखते आये हैं और हमने उस खर्चे को ढाई करोड़ कम कर दिया है। हमारी नजर इस पर बराबर रही है। हम हमेशा इस बात की देखभाल करते रहे हैं और आइन्दा भी करेंगे। जैसा कि अभी चीफ़ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हमें इतने करोड़ रुपये की जरूरत है और उस पर कोई तवक्को करे कि हम इस खर्चे को अपने खर्चे में से कम करके उसको चलायें तो यह कोई अक्ल की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी शख्स इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता। हम जो अमल कर रहे हैं इस बात का कि खर्चा जो कुछ हो रहा है वह ग़लत न हो इसका हम हमेशा ख़याल रखेंगे। लेकिन जाहिर है कि रिट्रेंचमेंट (छंटनी) से काम नहीं चल सकता। बजट स्पीच में जिक्र किया गया कि हम सेंटर से भी

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

मांगेगें, कर्जा भी मांगेंगे और रिहन्द डैम के मुताल्लिक भी अर्ज किया कि हम इसके मुताल्लिक गवर्नमेंट आफ इंडिया से लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि हमें उस पर खर्च करने के वास्ते रुपया मिलना चाहिये।

कर्जे की जो पोजीशन (स्थिति) थी उसे भी बजट स्पीच में बयान किया गया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से कर्जा लेकर हम यह तवक्को नहीं कर सकते हैं कि हम इतना ज्यादा खर्चा कर सकें। इतना मैं जरूर चाहता हूं कि सब का सब कर्जा गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिल जाय। मगर गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो कर्जा मिलेगा वह इस तरीके का होगा जिस तरीके से इस बजट में करने की तजवीज की गयी है और कहा गया है कि उसके लिये टैक्स लगेगा। जहां तक टैक्स का ताल्लुक है, यह सही है कि बजट में सिर्फ उनका नाम दिया गया है कि कौन कौन टैक्स लगेंगे। लेकिन उसके मुताल्लिक यह बात कभी नहीं आई है कि टैक्स कितना होगा और क्या होगा। जहां तक मैंने समझ रक्खा है मेरे नजदीक इसको कोई जरूरत नहीं थी कि इसको ऐवान के सामने इस तरीके से रखा जाय। बल्कि वह नावक्त था, कब्ल अजवक्त था। ऐसा बजट स्पीच में कहा गया है कि उसके मुताल्लिक लेजिस्लेशन आयेगा और लेजिस्लेशन के माने यह तो नहीं हैं कि सन् १९५१ और १९५२ में बात कही गयी और वह लेजिस्लेशन सन् १९५३, १९५४ में आयेगा। बजट सेशन के बाद ही लेजिस्लेशन आयेगा। जब तक गवर्नमेंट के सामने बिल की पूरी शक्ल न आजाय, पूरी तजवीज न आ जाय तब तक उसके ऊपर इस ऐवान के सामने तफसील से कोई बात रखना, कि क्या टैक्स लगेगा और कितना टैक्स लगेगा, उसके मुताल्लिक किसी किस्म के अल्फाज निकालना मेरे नजदीक कब्लअजवक्त बात है। इसलिये मैंने उस बजट स्पीच में न इसकी जरूरत समझी थी, न मुनासिब समझा था और न समझता हूं कि उसे यहां पर हाउस के सामने कहूं। चार रोज से बजट पर बहस हो रही है, टैक्सेशन (करारोपण) की चर्चा भी की गयी लेकिन पूरी तफसील के साथ उसका फैसला यहां नहीं हो सकता है। इसका फैसला तो उसी वक्त होना चाहिये जब कि कानून आपके सामने राय लेने के लिये आवेगा कि इस कानून को मंजूर किया जाय या नामंजूर किया जाय और आपके मंजूर और नामंजूर करने के बाद ही टैक्स के मुताल्लिक सही फैसला हो सकेगा कि इस किस्म के टैक्स लगेंगे और इतने टैक्स लगेंगे।

मेरे एक दोस्त ने कहा कि प्लानिंग कमीशन में उसके मुताल्लिक कुछ कहा गया है और उसी लाइन पर हमारी तजवीज है। उन्होंने बजट स्पीच को पढ़ कर समझा कि कहीं तो डेवलपमेंट लेवी (विकास कर) है, कहीं इंटरटेनमेंट लेवी (आमोद कर) है इस तरह से तीन चार मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ चीजें हैं और उसी लाइन पर यह काम होगा। लेकिन यह तो मैंने कभी नहीं कहा कि जितनी बातें बजट स्पीच में लिखी हुई हैं हम बिलकुल उसी लाइन पर एक-एक लफ्ज पर चलेंगे। बावजूद इसके भी उसमें यह सही है कि इस बजट ने इस सूबे के नुमाइन्दों की तवज्जह को अपनी तरफ खींचा है। इसका सबूत यही है कि इस पर बोलने के लिये सभी बेचैन हैं। वक्त खत्म हो गया लेकिन बोलने वाले अभी भी काफी तादाद में हैं। तो यह एक कुव्वत है जो इससे साफ मालूम होती है। बजट पहले भी पेश हुए और आयन्दा भी पेश होंगे। लेकिन आज एक मौका है, जब कि इस उत्तर प्रदेश को यह फैसला कर लेना है कि उसे अपनी किस्मत बनानी है या बिगाड़नी है। अपने आप को संवारना है, अपना विकास करना है, अपनी तरक्की करनी है या नहीं करनी है।

जब मैं यहां के मेम्बरों से यह सुनता था कि टैक्स न लगाया जाय, वह वादे तो मैं दुहराना नहीं चाहता जो चीफ मिनिस्टर साहब ने या जो मेरे भाई सम्पूर्णानन्द जी ने फरमाये। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूंगा कि तकरीरें जो हुईं और उनमें जिन साहबों ने टैक्स के खिलाफ कहा उसे सुनकर मुझे मायूसी हुई इसलिये कि वह आदमी जो इस ऐवान का मेम्बर है वह अपने मुल्क के रहने वालों को राइट लीड (उचित पथ-प्रदर्शन) देने का अपने कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझा रखता है और वह कैसे इस बात को करे?

मैं एक नुमाइन्दा हूं। जिले बिजनौर से यहां आकर यह कहूं कि टैक्स न लगाया जाय और मेरे यहां हालत यह है, तो फिर मुझसे क्या तवक्को है कि मैं गलत पब्लिक ओपीनियन (जनमत) को सही कर सकता हूं ? यह कैसे जुर्रत हो सकती है ? कोई भी आदमी जिसके ऊपर कोई बोझ डाला जाय उसको पसन्द नहीं करता चाहे उसके अन्दर उसको उठाने की कुव्वत हो, लेकिन वह उस बोझ को लेना नहीं चाहता।

जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है बजट स्पीच में मैंने कहा था कि वह उन उसूलों के मुताबिक जो उसूल टैक्सेशन के हैं, जितना जो अदा कर सकता है उससे उतना ही लेने की कोशिश की जायगी। यह बात तो उसमें कह दी गई है। तो मैं यह कैसे समझूं कि इब्राहीम जो कि एक जिले बिजनौर का नुमाइन्दा है वहां की पब्लिक के सामने यह कहने की जुर्रत नहीं रखता कि ऐ भाइयो तुम्हारी खेती की तरक्की के वास्ते, तुम्हारे जंगलों के अन्दर नहरें चलाने के वास्ते, उसमें बिजली लगाने के वास्ते, इंडस्ट्री (उद्योग) के अन्दर जरूरी और अच्छे काम होने के वास्ते, तुम्हारे घरों को सुधरवाने के वास्ते, तुम्हारे छप्परों की जगह महल चिनवाने के वास्ते और उनमें टिमटिमे चिराग़ों की जगह बिजली के कुमकुमे लगाने के वास्ते और दुनिया में जो आराम और आसायश की नियामतें, जो आराम कि किसी मुल्क के लोग उठा रहे हों, उनको उठाने के वास्ते, इन सब कामों के वास्ते अगर तुम्हारे मुल्क की हुकूमत कहती हो कि लाओ दो पैसे लाकर दे दो तो मुझे मुकम्मिल यकीन है कि वह इसको देने में दरेग नहीं करेंगे। यह एक्स्ट्राआर्डिनरी पोजीशन (असाधारण स्थिति) है, गैर मामूली हालात हैं, वह नहीं हैं जो और किस्म के होते हैं जिनमें हम देखें कि टैक्स किस उसूल पर लग रहा है और किस उसूल पर नहीं लग रहा है और जैसा कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने फरमाया सेक्रिफाइस (त्याग) करने का वक्त है। थोड़े से भाइयों ने सैक्रिफाइस की और मुल्क की आजादी हासिल की और आज हर मुल्क के रहनेवाले को सैक्रिफाइस करने का मौका है। इस मुल्क की तरक्की के वास्ते, अपने वास्ते, अपनी आइन्दा औलादों के वास्ते, अपनी नस्लों के वास्ते और इतने काम करने के वास्ते तो मैं जो सवाल करना चाहता था उसको जनाब की तरफ से तमाम मेम्बर साहबान से दरख़्वास्त करता हूं कि वह जो कुछ भी इस ऐवान में तय हो उसके मुताल्लिक़ अपनी पब्लिक में उसके लिये फेवरेबिल ओपीनियन (पक्ष में राय) कायम करने की कोशिश करें और लोगों को इस पर आमादा करें, उनमें जोश पैदा करें और मुझे यकीन है कि जब वह हक़ीकत को बतलावेंगे और जब सच्ची बातें उनके सामने आवेंगी तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के रहने वाले इस उत्तर प्रदेश के रहने वाले इतने बेशरम और इतने बेजज्बा हैं कि वह उनको आगे न बढ़ा सकें चाहे उनका दिल न भी चाहे तब भी वह अपनी आमदनी का हिस्सा मुल्क में अपनी तरक्की करने के वास्ते देंगे। हम इतने बेशरम और इतने बेहिम्मत नहीं हैं। मैंने देखा है कि गरीबों ने और बेवाओं ने चन्दे दिये हैं। इसकी मिसालें बहुत सी मौजूद हैं। बहुत से जलसों में आपने देखा होगा आप इसी वक्त इस लखनऊ के किसी भी हिस्से में चले जाइये, गरीब से गरीब आदमी के पास चले जाइये और उससे कहिये कि तेरे इस शहर के वास्ते इस क़िस्म की जरूरत है और तू इसके लिये कुछ दे दे, तो वह देगा और यकीनन देगा चाहे उसके पास खाने के वास्ते न हो। यह तो है तबियत इस मुल्क की और इस मुल्क के रहने वालों की। अगर हां, आप डरा देंगे या मैं उसके खिलाफ़ कोई ओपीनियन पैदा करने की कोशिश करूंगा तो मुमकिन है कि कुछ आदमियों की तबियत पर असर हो जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप इस काम के वास्ते कहेंगे तो कोई इन्कार नहीं करेगा। फिर कितना लेना है ? १ अरब २७ करोड़ रुपया मैंने अर्ज किया और अगर साल भर में १४ करोड़ रुपया काटें तो फिर भी कम से कम १ अरब १३ करोड़ रुपये के करीब है जिसका इंतजाम करने की हम कोशिश करेंगे। उसका एक जुज़ यह है। पांच सालों में उसको करना है। मैं उसका तजकिरा नहीं करना चाहता कि कितना टैक्स किससे लिया जायगा और न यही कि पांच साल के लिये टैक्स के जरिये से कुछ थोड़ा सा रुपया पैदा भी कर लें तो भी पूरा रुपया उसके जरिये से तो पैदा होने वाला नहीं है। आपसे भी मांगेंगे, इस हाउस से भी मांगेंगे। इस मुल्क के वास्ते, मांगते हैं, अपने वास्ते, आपके वास्ते मांगते हैं। यह टैक्सेशन की नजर से नहीं देखा गया है बल्कि अपनी गैरमामूली जरूरत को

[श्री मुहम्मद इब्राहीम]

नजर से देख कर इस बात की कोशिश की जाय कि हम कुर्बानी करें और इस मुल्क को यहां से उठा कर आसमान पर बिठा दें ।

अनुदानों की मांगों पर मतदान का कार्यक्रम

अध्यक्ष---अब मैं अनुदानों के संबंध में एक सूचना देना चाहता हूं । पहले ग्रूप के अनुदान ११, १२ तारीख को लिये जायंगे । उसके लिये मैंने कल एलान कर दिया था । अभी वह हिन्दी व अंग्रेजी में छप कर नहीं आये हैं । लेकिन दूसरे ग्रूप के संबंध में मैं आज यह सूचना दे देना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्य अपनी कटौती के प्रस्ताव अगर देना चाहें तो दे सकें । ग्रूप २ के अनुदान १४ और १५ तारीख में लिये जायंगे । वे इस प्रकार हैं :--

ग्रांट नं० २५---विद्युत् योजनाओं पर व्यय (Expenditure on Electricity Schemes)

ग्रांट नं० २६---विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय । (Charges on Establishment of Electricity Schemes)

ग्रांट नं० ४७---बिजली योजनाओं पर पूंजी की लागत (Capital outlay on Electricity Schemes

ग्रांट नं० ४३---राजस्व लेखे से बाहर सिंचाई और जल विद्युत् निर्माण कार्य (Construction of Irrigation and Hydro--electric Works outside Revenue Account)

ग्रांट नं० २८---उद्योग (Industiries)

ग्रांट नं० ४५---औद्योगिक विकास (Industrial development)

ग्रांट नं० ३८---लेखन सामग्री और छपाई (Stationery and Printing)

ग्रांट नं० ३९---विविध व्यय (Miscellaneous)

ये अनुदान १४ और १५ तारीख को लिये जायंगे । इनके संबंध में छपा कर सूचना वितरित कर दी जायगी ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ४५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१० जुलाई, १९५२ ।

नत्थी 'क'

(देखिये १० जुलाई, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०७ पर।)

तालिका

सं०	जिला	कटौती की रक़म	भुगतान की हुई रक़म	शेष
१	सहारनपुर	१५,१७,१६०	१४,५५,८०९	६१,३५१
२	देहरादून	८२,०६५	८१,४८४	५८१
३	रामपुर	४,८०,१४८	४,२५,६०२	५४,५४६
४	पीलीभीत	४,६१,४६७	४,३७,०००	२४,४६७
५	बिजनौर	२,८०,७९९	२,१०,७९५	७०,००४
६	नैनीताल	१,०४,०१६	७६,४४४	२७,५७२
७	मुरादाबाद	२३,२०७	..	२३,२०७
८	हरदोई	३,३७,७१४	२,९९,००७	३८,७०७
९	फैजाबाद	१,६२,९९७	२,८१६	१,६०,१८१
१०	जौनपुर	१,३०,१४२	३७,७०९	९२,४३३
११	मुज़फ़्फ़रनगर	१९,२५,६५०	१८,४०,३९७	८५,२५३
१२	गोंडा	६,६१,९३८	१,४९,५२०	५,१२,४१८
१३	बहराइच	१,२१,४७७	११,९७५	१,०९,५०२
१४	देवरिया	२४,३१,४२५	६,६५,६६१	१७,६५,७६४
१५	बरेली	५,६२,९५७	३,९०,००८	१,७२,९४९
१६	सीतापुर	९,३५,९९२	७,११,७९६	२,२४,१९६
१७	खीरी	१०,२७,२७१	८,१६,४७२	२,१०,७९९

संसद पुस्तकालय

क्र.सं.	जिला	कटौती की रक़म	भुगतान की हुई रक़म	शेष
१८	बाराबंकी	४१,९०४	४,७३२	३७,१७२
१९	बदायूं	१,५३,५६८	१,१९,९६०	३३,६००
२०	शाहजहांपुर	२,५७,१६३	९६,४८०	१,६०,६८३
२१	मेरठ	२३,७३,६७४	१९,३६,७६२	४,३६,९१२
		१,४०,७२,७३४	९७,७०,४३७	४३,०२,२९७

विधान सभा सचिवालय प्रदेश उत्तर

नत्थी 'ख'

(देखिये १० जुलाई, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर ।)

राजकीय सहायता प्राप्त टेकनिकल और इंडस्ट्रियल विद्यार्थियों की सूची ।

क्रम. सं०	जिले का नाम	संस्था का नाम	पढ़ाये जाने वाले विषय
१	इलाहाबाद	हरिजन आश्रम	टोकरी बनाना, चमड़ा कमाना, लोहे का काम ।
२	,,	म्युनिसिपल लेदर वर्किंग स्कूल	चमड़े का काम ।
३	,,	म्युनिसिपल महिला शिल्प भवन	बिनाई, चमड़े का काम, जिल्दसाजी।
४	,,	यू० पी० डैफ ऐन्ड डम्ब स्कूल	छपाई ।
५	,,	के० पी० महिला कला निकेतन	
६	आगरा	टेकनिकल कालेज,दयालबाग़	इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आटो-मोबाइल इंजीनियरिंग ।
७	,,	लेदर वर्किंग स्कूल, दयालबाग़	चमड़े का काम ।
८	,,	वायरमैन क्लास,दयालबाग़	वायरमैन शिक्षा ।
९	,,	सेन्ट जोसेफ आरफैनेज	दर्जीगीरी और बिनाई ।
१०	,,	नरेन्द्र विद्या मंदिर, किराउली	कपड़ा बुनना, कताई और लोहारगीरी ।
११	अलीगढ़	मुस्लिम यूनिवर्सिटी	वायरमैन क्लास ।
१२	अल्मोड़ा	प्रेम विद्यालय, तारीखेत	कताई ।
१३	बदायूं	क्रिस्चियन स्कूल आफ आर्ट्स एंड क्राफट्स	दर्जीगीरी, कताई, बढ़ईगीरी ।
१४	बनारस	म्यूनिसिपल लेदर वर्किंग स्कूल	चमड़े का काम ।
१५	,,	बेसले टेकनिकल स्कूल	बढ़ईगीरी, दर्जीगीरी, लोहार-गीरी, वायरमैन क्लास ।
१६	,,	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी	मिट्टी के वर्तन बनाना ।
१७	,,	काशी अनाथालय	कपड़ा बुनाई, कताई, दर्जीगीरी, बिनाई ।
१८	बरेली	अंजुमन इस्लामियां आर्फनेज	दर्जीगीरी, बिनाई ।

राजकीय सहायता प्राप्त टेकनिकल और इण्डस्ट्रियल विद्यार्थियों की सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	संस्था का नाम	पढ़ाये जाने वाले विषय
१९	बरेली	आर्य समाज आर्फनेज	कताई, कपड़ा बुनाई, दर्जीगिरी बढ़ईगीरी।
२०	,,	म्युनिसिपल टेलरिंग स्कूल	दर्जीगीरी।
२१	बाराबंकी	हीवट बीविंग स्कूल	कपड़ा बुनना।
२२	,,	मैसन लेदर स्कूल, रदौली	चमड़े का काम।
२३	इटावा	चौधरी गुर नरायन इण्डस्ट्रियल स्कूल, मानिकपुर।	लोहारगीरी, इलेक्ट्रिक फिटिंग।
२४	एटा	राम आश्रम आर्ट स्कूल	कपड़ा बुनना, बढ़ईगीरी, रंग करना।
२५	गढ़वाल	उत्तराखंड विद्यापीठ, गुप्त काशी	बढ़ईगीरी, कपड़ा बुनना, कताई।
२६	गोरखपुर	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वीविंग स्कूल	कपड़ा बुनना।
२७	गोंडा	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वीविंग स्कूल	कपड़ा बुनना।
२८	गाजियाबाद	महिला शिल्प निकेतन	दर्जीगीरी, बिनाई।
२९	हमीरपुर	रहमानियां कारपेन्ट्री स्कूल, महोबा	बढ़ईगीरी।
३०	हरदोई	हादी कारपेन्ट्री स्कूल	,,
३१	,,	डी० वी० इण्डस्ट्रियल स्कूल	दर्जीगीरी, कपड़ा बुनाई।
३२	जालौन	श्री गांधी औद्योगिक कालेज, ओरई	दर्जीगीरी, बढ़ईगीरी कपड़ा बुनाई, लोहारगीरी।
३३	झांसी	दीन हितकारणी कारपेन्ट्री स्कूल	बढ़ईगीरी।
३४	कानपुर	हिन्दू आर्फनेज	,,
३५	,,	मुस्लिम ,,	,,
३६	लखनऊ	श्री राम आर्फनेज	,,
३७	,,	आर्य समाज टेलरिंग स्कूल	दर्जीगीरी।
३८	,,	मुस्लिम आर्फनेज	बढ़ईगीरी, चमड़े का काम।
३९	,,	आल इंडिया शिया आर्फनेज	कपड़ा बुनाई, दर्जीगीरी, बढ़ईगीरी, चमड़े का काम।
४०	,,	डफ एंड डम्ब इंस्टीट्यूट	..
४१	,,	कमला नेहरू शिक्षा केंद्र	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजकीय सहायता प्राप्त टेकनिकल और इंडस्ट्रियल विद्यार्थियों की सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	संस्था का नाम	पढ़ाये जाने वाले विषय
४२	आगरा	स्टेवन वार्ड मेमोरियल स्कूल, सिकंदरा	बढ़ईगीरी, दर्जीगीरी, चमड़े का काम।
४३	मुरादाबाद	ईश्वरदास टेक्निकल इन्सटीट्यूट, बहजोई	....
४४	मैनपुरी	कुंवरलाल सिंह मानसिंह इंडस्ट्रियल स्कूल	कपड़ा बुनाई, दर्जीगिरी, बढ़ईगीरी, तारकशी का काम।
४५	मथुरा	महिला शिल्प विद्यालय	दर्जीगीरी, बिनाई, एम्ब्रायडरी, खिलौने बनाना, कपड़ा बुनाई, चमड़े का काम।
४६	,,	प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन	इन्जीनियरिंग।
४७	मेरठ	वैश्य आर्फनेज	बढ़ईगीरी, दर्जीगीरी।
४८	,,	महिला दस्तकारी स्कूल	कपड़ा बुनाई, दर्जीगीरी, खिलौने बनाना।
४९	प्रतापगढ़	मिशन वीविंग स्कूल	कपड़ा बुनाई।
५०	अल्मोड़ा	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कारपेन्ट्री स्कूल, अल्मोड़ा	बढ़ईगीरी, तारकशी, पालिश करना, कैनिंग।
५१	कानपुर	राजेश शिल्प कला मंदिर, कानपुर	एम्ब्रायडरी, दर्जीगीरी, खिलौने बनाना, सलमा का काम।
५२	लखनऊ	महिला शिल्प शिक्षालय, लखनऊ	बिनाई, एम्ब्रायडरी, दर्जीगीरी।
५३	आगरा	महिला शिल्प कुटीर सीतला गेट, आगरा।	....

राजकीय टेकनिकल और इण्डस्ट्रियल विद्यालयों की सूची

क्र. सं०	जिले का नाम	संस्था का नाम	पढ़ाये जाने वाले विषय
१	कानपुर	एच० वी० टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट	१—जनरल रिसर्च। २—आयल सेक्शन— अ—आयल टेक्नोलाजिकलाजिस्ट का डिप्लोमा कोर्स, ब—पोस्ट डिप्लोमा कोर्स। ३—थोड़े समय पढ़ाये जाने वाले विषय— अ—तेल मिल का काम। ब—साबुन बनाना। स—तेल पेण्टर्स तथा वारनिश का बनाना।
२	लखनऊ	टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ	१—मेकनिकल इंजीनियरिंग। २—इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ३—लाइट मशीन्स मेकेनिक्स क्लास। ४—तेल के इंजिन को चलाने की कक्षा। ५—वायरमैन कक्षा।
३	गोरखपुर	टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गोरखपुर	१—मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कक्षा। २—आर्टिजन कक्षा। ३—वायरमैन कक्षा।
४	झांसी	टेक्निकल इंस्टीट्यूट, झांसी	मेकेनिकल और इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग क्लास।
५	गाजीपुर	टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गाजीपुर	१—मिलराइट। २—मिकेनिस्ट।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राजकीय टेकनिकल और इंडस्ट्रियल विद्यालयों की सूची

क्र०सं०	जिले का नाम	संस्था का नाम	पढ़ाये जाने वाले विषय
	(गाजीपुर)	टेक्निकल इंस्टीट्यूट गाजीपुर	४—स्मिथी ५—वेल्डर्स।
६	अलीगढ़	मेटल वर्किंग स्कूल, अलीगढ़	१—मिकेनिक्स क्लास। २—आर्टीजन क्लास।
७	कानपुर	सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर	१—जनरल टेक्सटाइल टेक्नोलाजी सेक्शन— अ—रूई की धुनाई, कताई में डिप्लोमा कोर्स. या ब—सूती कपड़े की बुनाई में डिप्लोमा कोर्स। २—पार्ट—टाइम एपरेन्टिस कोर्स। ३—कैमीकल टेक्नोलाजी में डिप्लोमा कोर्स। ४—आर्टीजन कोर्स।
८	बनारस	सेन्ट्रल वीविंग इंस्टीट्यूट, बनारस	१—सुपरिन्टेन्डेन्ट्स और मैनेजरों के लिये सीनियर क्लास। २—इन्स्ट्रक्टर्स और मिस्त्रियों के लिये एडवान्स क्लास। ३—इन्स्ट्रक्टर्स और मिस्त्रियों के लिये जूनियर क्लास। ४—आर्टीजन क्लास।
९	मऊ	माडेल वीविंग स्कूल, मऊ	आर्टीजन क्लास।
१०	लखनऊ	स्कूल आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, लखनऊ	१—फाइन आर्ट्स। २—स्वर्णकारी का काम। ३—चांदी का काम। ४—लोहे के काम की कक्षा। ५—लकड़ी के काम की कक्षा। ६—कलात्मक छपाई।

उत्तर प्रदेश सरकार

राजकीय टेकनिकल और इंडस्ट्रियल विद्यालयों की सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	संस्था का नाम	पढ़ाये जाने वाले विषय
	(लखनऊ)	स्कूल आफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ	१—ग्राफिक आर्ट्स डिवीजन की कला। २—आर्चीटेक्चरल डिवीजन तथा ड्राफ्टसमैन कला। ३—ड्राइंग टीचर्स की शिक्षण कक्षा।
११	बनारस	बटुक प्रसाद खत्री इंडस्ट्रियल स्कूल बनारस।	१—लान-आर्टीजन क्लास। २—आर्टीजन क्लास।
१२	बरेली	सेन्ट्रल वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट, बरेली	१—कैबिनेट बनाना, फर्नीचर बनाना। २—एडवान्स्ड कैबिनेट बनाना, और जोड़ना। ३—फोरमैन कैबिनेट बनाना और जोड़ना। ४—आर्टीजन कैबिनेट बनाना और जोड़ना। ५—मशीन टूल काम। ६—छपाई और पालिश करने की कक्षा। ७—अपहोल्स्ट्री काम। ८—मशीन चलाने वालों की कक्षा।
१३	इलाहाबाद	कारपेंट्री स्कूल, इलाहाबाद	१—आर्टीजन कक्षा। २—जनरल कारपेंट्री का काम। ३—एडवान्स्ड कारपेंट्री का काम की कक्षा। ४—शिक्षकों के शिक्षण की कक्षा। ५—रंगाई और पालिश करने की कक्षा। ६—अपहोल्स्ट्री कक्षा।
१४	कानपुर	लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर	चमड़े का काम।
१५	मेरठ	लेदर वर्किंग स्कूल, मेरठ	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजकीय टेकनिकल और इंडस्ट्रियल विद्यालयों की सूची।

क्रम सं०	जिले का नाम	संस्था का नाम	पढ़ाये जाने वाले विषय
१६	फतेहपुर	ट्रेनिंग स्कूल, फतेहपुर	चमड़ा कमाने का काम।
१७	गढ़वाल	पोलीटेकनिक, श्रीनगर	१—कपड़ा बुनाई। २—बढ़ईगीरी।
१८	अल्मोड़ा	जनार्दन जोशी पोलीटेकनिकल, अल्मोड़ा।	१—कपड़ा बुनाई। २—बढ़ईगीरी। ३—रंगाई और छपाई। ४—चमड़े का काम।
१९	गढ़वाल	राजकीय पोलीटेकनिक, टेहरी गढ़वाल।	१—दर्जीगीरी। २—कपड़ा बुनाई। ३—बढ़ईगीरी।
२०	बुलन्दशहर	बीविन्ग और क्लाथ प्रिंटिंग स्कूल, बुलन्दशहर	१—कपड़ा बुनाई। २—रंगाई और छपाई।
२१	लखनऊ	आकूपेशनल इंस्टीट्यूट, लखनऊ	१—मेकेनिकल ड्राफट्समैन। २—मोटर मैकेनिक्स। ३—रेडियो मैकेनिक्स। ४—इलेक्ट्रीकल इन्सट्रूमेंट्स मैकेनिक्स। ५—वेल्डर्स (इलेक्ट्रक और गैस)। ६—इलेक्ट्रोप्लेटर्स और पालिशर्स। ७—प्लंबर्स। ८—टीन और तांबे का काम।
२२	इलाहाबाद	आकूपेशनल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	१—जनरल मैकेनिस्ट। २—मैकेनिस्ट।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजकीय टेकनिकल और इंडस्ट्रियल विद्यालयों की सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	संस्था का नाम	पढ़ाये जाने वाले विषय
	इलाहाबाद	आकुपेशनल स्कूल, इलाहाबाद	३—टूल बनाने वाले।
			४—टरनर
			५—कैबिनेट बनाना।
			६—बढ़ईगीरी।
			७—पेण्ट करना।
			८—डेकोरेटर।
			९—तांबों और टीन का काम।
			१०—छपाई की कला।
			११—धातु के बर्तन बनाना।
२३	रामपुर	राजकीय विमेन्स डामेस्टिक वोकेशनल स्कूल, रामपुर।	१—दर्जीगीरी।
			२—कशीदाकारी और बिनाई।
			३—आसनी और निवाड़ बनाना।
			४—केलिको प्रिंटिंग।
२४	हमीरपुर	राजकीय इंडस्ट्रियल स्कूल, चरखारी	१—कपड़ा बुनाई।
			२—कालीन, दरी और निवाड़ बनाना।
			३—चमड़े का काम।
			४—बढ़ईगीरी।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० ५१ एल० ए०—१९५२—८५०

उत्तर प्रदेश सभा